खण्ड-140, अंक-4
मंगलवार, 23 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(14 सितम्बर, 1954 ई0)

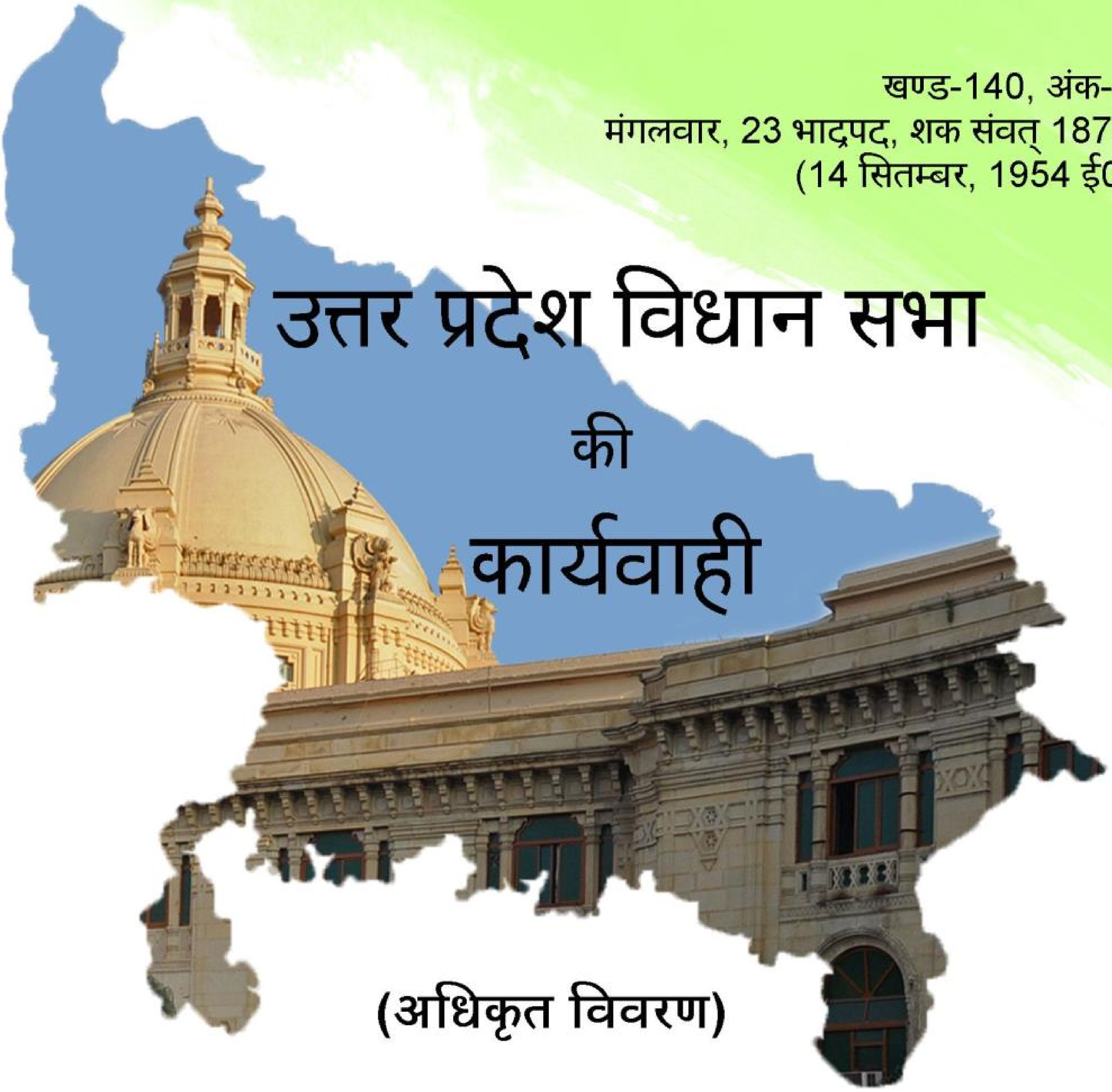

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 140 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

## मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

---

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३४३)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रीतपाल सिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री

बेचनराम, गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
बासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजबासी लाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराय गंगवार, श्री
सियारम चौधरी, श्री
सीतारम शुक्ल, श्री
सुखारी मभारतीय, श्री
सुन्दरलाल श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

## तारांकित प्रश्न

*१–३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये।]

*४–६—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—[स्थगित किये गये।)]

*७–८—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—[हटा दिये गये ।]

*९–११—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—[२१ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

### आजमगढ़ जिले में पकड़ीताल से नहर निकालने की योजना

*१२—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगीं कि आजमगढ़ जिले के पकड़ीताल से जो पम्प नहर निकलने वाली है उस पर कब से काम शुरू हो जायेगा और वह कितने दिन में पूर्ण होगा ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—आजमगढ़ जिले में पकड़ी ताल से निकलने वाली पम्प नहर पर १९५३–५४ से ही काम चालू है और इस योजना के १९५५ ई० में पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

*१३—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस पम्प नहर में कुल व्यय का तखमीना क्या है ?

श्री राममूर्ति—इस योजना की अनुमानित लागत ३ लाख रुपया है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस नहर के सिलसिले में अब तक कितना काम हो चुका है ।

श्री राममूर्ति—अब यह तो कहना मुश्किल है । लेकिन यह बतला दूं कि सन् १९५५ तक तैयार हो जायगी ।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस नहर से कितनी जमीन की सिंचाई होने की संभावना है ?

श्री राममूर्ति—करीब १० हजार एकड़ जमीन का कमांड एरिया होगा और सालाना करीब ४ हजार एकड़ जमीन सींची जायगी ।

### यू० पी० पी० डब्ल्यू० डी० आई० बी० ट्यूबवेल टेक्निकल एम्प्लाईज़ एसोसियेशन की मांगें

*१४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार के पास यू० पी० पी० डब्ल्यू० डी० आई० बी० ट्यूब वैल टेकनिकल एम्प्लाईज एसोसियेशन के सदस्यों की कोई मांगें आई हैं ? यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं और उनके संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**श्री राममूर्ति**--इस एसोसियेशन का वार्षिक अधिवेशन जुलाई, १९५४ में चंदौसी में हुआ था जिसमें एसोसियेशन ने कुछ मांगों के प्रस्ताव पास किये थे। इन प्रस्तावों की प्रतिलिपि चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग को अगस्त, १९५४ के तीसरे सप्ताह में मिली और अभी उनके विचाराधीन है। चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार इन मांगों के संबंध में उचित कार्यवाही करेगी।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस एसोसियेशन की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ?

**श्री राममूर्ति**--इसकी मुख्य-मुख्य मांगें यह हैं --

१--स्टाफ का जो सामान उन लोगों को मिल रहा है वह अधिकांश साइज़ में बड़ा या छोटा आ रहा है तथा उसका मैटीरियल भी खराब होता है। अतः उत्तम सामान प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय।

२--पुराने टूल्स और प्लान्ट्स के स्थान पर नये टूल्स और प्लान्ट्स सप्लाई होने चाहिये।

३--सामान की देखभाल तथा रक्षा के लिये एक चौकीदार दिया जाया करे।

४--विद्युत विभाग से जो अतिरिक्त पावर मिले उससे नलकूपों की पावर की कमी पूरी की जाय जिससे नलकूप २४ घंटे चल सकें।

५--अस्थायी तथा वर्क चार्ज मिस्त्री तुरन्त स्थायी किये जायं तथा वह मिस्त्री जो अधिक समय से काम कर रहे हैं उन्हें योग्यता आदि से मुक्त किया जाय।

**श्री अध्यक्ष**--यह तो आप सब मांगें पढ़ रहे हैं वह तो मुख्य-मुख्य मांगें चाहते थे।

**श्री राममूर्ति**--मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य इनमें से कौन सी मुख्य समझते हैं इसलिये मैं सभी को पढ़ने लग गया।

६--निर्धारित सीमा के बाहर कार्य करने के लिये पूरा भत्ता मिलना चाहिये मिस्त्रियों के हेडक्वार्टर्स पर उनके लिये सरकारी क्वार्टर्स का निर्माण किया जावे।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि इस एसोसियेशन के वार्षिक अधिवेशन चन्दौसी के पहले सन् १९५३ में भी इसका अधिवेशन हुआ था और उसमें भी मांगें सरकार के पास भेजी गई थीं ?

**श्री राममूर्ति**--यह सही है।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**--क्या सरकार बतलायेगी कि इतनी देर इन मांगों पर विचार करने में क्यों हो रही है ?

**श्री राममूर्ति**--सन् १९५३ में जो मांगें की गई थीं वह और किस्म की मांगें थीं इन मांगों से उनका कोई संबंध नहीं है।

**श्री राम नरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस एसोसियेशन को सरकार की स्वीकृति प्राप्त है ?

**श्री राममूर्ति**--प्राप्त है।

## एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग के प्राविधिक कर्मचारियों के कार्य, वेतन तथा भत्ते

*१५--**श्री नारायण दत्त तिवारी**--क्या सरकार बतायेगी कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग में बोरर मिस्त्री, फिटरों और इलेक्ट्रिशियनों तथा नलकूप विभाग के सेक्शन मिस्त्रियों को क्या वेतन एवं भत्ता तथा सुविधायें मिलती हैं, और उनके अलग-अलग कार्य क्या हैं ?

**श्री राममूर्ति**—मांगी हुई सूचनायें परिशिष्ट में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०९ पर।)

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग में और नलकूपों के विभाग में यह जो कर्मचारी हैं जिनकी लिस्ट दी गई है, उनकी कुल संख्या क्या है?

**श्री राममूर्ति**—मेरे पास तो इस वक्त टोटल तो नहीं है। अगर आप कहें तो तीन चार मदें हैं, पढ़कर सुना दें—

एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग बोरिंग मैकेनिक्स १२४ स्थायी और ६३ अस्थायी, ट्यूबवेल टेकनिकल टेकनीशियंस ४०, फिटर १६, हेड फिटर १५, फिटर और एलेक्ट्रिशियंस ५, मैकेनिक्स ड्रिलिंग ४, अस्थायी २।

यह एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग की सूची है।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या सरकार विभाग के महत्व को देखते हुये इन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार कर रही है?

**श्री राममूर्ति**—जब यह मोहकमा हमारे पास आया था उस वक्त इसमें बहुत से अस्थायी आदमी थे। जांच के बाद यह पता लगा कि इनमें से ज्यादातर बेकार किस्म के लोग थे। उनको सबको रिट्रेंच किया गया और उसके बाद जब इसे रीआर्गेनाइज किया गया तो उनसे बहुत ज्यादा तादाद में यानी पहले से दुगुने तिगुने लोग लिये जा चुके हैं। उनको आहिस्ता आहिस्ता स्थायी किया जायगा। ज्यों ज्यों जरूरत बढ़ेगी उनको बढ़ाया जायगा और जैसे जैसे आवश्यकता होती जायगी उनको स्थायी भी किया जायगा।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या सरकार ने इन सभी कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्ते के संबंध में पुर्नविचार करने के लिये कोई विचार किया है?

**सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**—जो मामला विचाराधीन है चीफ इंजीनियर के उसमें जितनी बातें कही गई हैं उसमें रिपोर्ट आने पर सरकार फैसला करेगी।

## नलकूप विभाग के सेक्शन मिस्त्रियों के वेतन व सुविधा सम्बन्धी सिफारिशें

*१६—**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि चीफ इंजीनियर नलकूप विभाग ने अन्य इंजीनियरों के परामर्श पर नलकूप विभाग में काम करने वाले सेक्शन मिस्त्रियों को कुछ सुविधायें प्रदान करने अथवा वेतन बढ़ाने की सिफारिश की है? यदि हां, तो वह सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

**श्री राममूर्ति**—जी हां। चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग ने यह सिफारिश की है कि मिस्त्रियों के वेतनक्रम को रुपया ६०–२–१०० से बढ़ाकर रुपया ७५–५–१२० कर दिया जाय। यह सिफारिश अभी सरकार के विचाराधीन है।

मई, १९५३ में चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग ने यह सिफारिश की थी कि मिस्त्रियों को ऐलेक्ट्रिकल ऐण्ड मेकेनिकल सुपरवाइजरों के पदों पर पदोन्नति देने के लिये १५ वर्ष की सेवाओं की अवधि के प्रतिबन्ध को घटा कर १० वर्ष कर दिया जाय। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर के प्रथम परिच्छेद में उल्लिखित चीफ इंजीनियर की मिस्त्रियों के वेतन के बढ़ाने के लिये कब सिफारिश की गई थी?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—तारीख तो मुझे याद नहीं है लेकिन शायद गत वर्ष की गई थी।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मई १९५३ में चीफ इंजीनियर ने इसी संबंध में और कौन-कौन सिफारिशें की थीं ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—एक तो वही सिफारिश है जो सामने है कि १५ वर्ष के प्रतिबन्ध के बजाय १० वर्ष कर दिया जाय, दूसरी सिफारिश वेतन-क्रम के संबंध में थी और तीसरी सिफारिश रिकगनीशन के लिये की गई थी जो दिया जा चुका है।

**श्री रामनरेश शुक्ल**—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चीफ इंजीनियर ने जो सिफारिश की थी वह गोपनीय थी या खुली की थी ?

**श्री राममूर्ति**—डिपार्टमेंटल तरीके से जो सिफारिशें की जाती हैं वैसे ही की गई थी।

**श्री रामनरेश शुक्ल**—क्या मंत्री जी को पता है कि उनके डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने उन सिफारिशों को जो गोपनीय थीं आउट कर दिया है ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—यह तो माननीय सदस्य से मुझे मालूम हो रहा है। यह मुझे पहले मालूम नहीं था।

## शाहजहांपुर-मैलानी रेलवे लाइन के पुनर्निर्माण पर विचार

*१७—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शाहजहांपुर मैलानी रेलवे लाइन को बनाने की सिफारिश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से की है या करने की बात पर विचार कर रही है ?

**निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)**—सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे लाइन को बनाने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से करने की बात पर विचार कर रही है।

*१८—**श्री भगवान सहाय**—क्या सरकार को इस बात का पता है कि यह Railway Line सन् १९१७-१८ में उस समय की सरकार ने हटा कर विदेश को भेज दी थी ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—जी हां।

**श्री भगवान सहाय**—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रेलवे लाइन जैसी वह थी उसी शक्ल में सिफारिश करने की बात कर रहे हैं या कुछ परिवर्तनों के साथ ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—अभी तो जैसी वह थी उसी पर विचार हो रहा है।

**श्री भगवान सहाय**—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रेलवे लाइन हैं जिनकी सिफारिश की गई है तो इसको प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—यह तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन जो रेलवे लाइन विचाराधीन है उन पर और इस पर भी विचार किया जायगा।

**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस रेलवे लाइन पर विचार करना कब से शुरू किया गया और कब तक समाप्त कर दिया जायगा ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—इस पर विचार किया गया था और केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की गई थी लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया कि यह लाइन आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं है लेकिन फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने सिफारिश मांगी है और सरकार विचार कर रही है कि इस पर भी विचार कर लिया जाय।

**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या माननीय मंत्री जी ने इस बार कोई ऐसे आंकड़े पेश किये हैं जिनसे यह आर्थिक दृष्टि से रेलवे लाइन लाभकर होगी?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—यह लाभकर होगी, यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बहुत से नये आंकड़े और नयी चीजें इकट्ठी करके ही इन पर विचार हो रहा है।

**श्री भगवान सहाय**—क्या यह बात सही है कि यह रेलवे लाइन पहले प्राइवेट कम्पनी थी और अच्छे डिविडेंस दे रही थी?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—इसकी कोई सूचना यहां पर नहीं है, रेलवे में होगी।

*१९–२०—**श्री अनन्तस्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर)—[२० सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ५०–५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२१–२३—**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किये गये।]

## जिला मेरठ की हिन्डन योजना पर व्यय

*२४—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सिंचाई के लिये हिन्डन योजना (जिला मेरठ) पर सरकार का क्या व्यय होगा और यह योजना कब तक चालू हो जायगी?

**श्री राममूर्ति**—हिन्डन योजना का द्वितीय पंच वर्षीययोजना के अन्तर्गत बनाये जाने का आयोजन है। इस पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपया व्यय होगा और यह योजना प्रारम्भ होने पर लगभग दो साल में पूर्ण हो जावेगी।

*२५—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार बतायेगी कि इस योजना से सरकार किन जिलों में सिंचाई के साधन बढ़ा सकेगी?

**श्री राममूर्ति**—इस योजना से आगरा और मथुरा के शुष्क जिलों को प्रधानतः सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हिंडन बांध योजना के अन्तर्गत कितने ऐसे ग्राम हैं जो सरकार को उठाने पड़ेंगे?

**श्री राममूर्ति**—इसमें ११ गांव हैं?

**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी ऐसी भूमि है जो इस रिजर्वायर के अन्दर आयेगी और जो खेती के योग्य है?

**श्री राममूर्ति**—इस सारी योजना में करीब साढ़े नौ हजार एकड़ जमीन आयेगी और वह फ्लड एरिया है। उसमें से कुछ एरिया ऐसा है जिसकी तादाद करीब करीब ५,००० से कम है जो कल्चरेबिल हो सकता है, लेकिन जिसमें ऐक्चुअल खेती हो रही है वह करीब दो हजार या ढाई हजार के बीच में है।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी इस योजना पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे जिससे सबको जानकारी हो जाय?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—यह हिन्डन नदी जो है इसी में गंगा का पानी डालकर हम आगरा कैनाल में ले जाते हैं। जो गंगा में एक्सट्रा पानी होता है उसको हिण्डन में डाल कर के गाजियाबाद के पास एक हिन्डन कट है वहां पानी इकट्ठा करते हैं और वहां से ओखला ले जाते हैं। ओखला से आगरा को अपर कैनाल और लोअर कैनाल निकलती है जो आगरा और मथुरा के जिलों को सिंचाई करती है। उसमें हमेशा पानी कम रहता है और वह सूखा क्षेत्र है। अब जो इस तरह पानी मिलेगा उससे इस क्षेत्र की सिंचाई भी अच्छी हो सकती है तो उसके लिए वाटर सप्लाई की यह योजना बनायी गयी कि हिंडन नदी के जरिये जो पानी आता है उसको अगर हिंडन कट के पास रिजर्वायर में रोक सकें तो आगरा मथुरा में जो रबी की फसल के मौके पर पानी की स्केयरसिटी हो जाती है वह दूर हो जायगी और सप्लीमेंट करके अधिक जल दिया जा सकेगा और अधिक क्षेत्र में सिंचाई भी हो सकेगी। इस दृष्टि से इस योजना की जांच पड़ताल की गयी। मार्च से इसकी जांच-पड़ताल चल रही है। गवर्नमेंट उसकी स्कीम बना चुकी है और जैसा कि उत्तर में बताया गया कि इतनी जमीन डूबेगी, लेकिन उससे हमको ५००–६०० क्यूसेक्स पानी मिलेगा जिससे हम उस क्षेत्र में रबी के दिनों में १२० दिन तक पानी दे सकेंगे और कई हजार एकड़ जमीन की सिंचाई कर सकेंगे।

**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो जमीन अभी बतायी गयी है प्रश्न के उत्तर में कि फ्लडेड एरिया है उसमें खेती काफी अच्छी होती है?

**श्री अध्यक्ष**—यह तो आप सूचना दे रहे हैं, प्रश्न नहीं है।

**श्री श्रीचन्द्र**—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ११ गांवों की जमीन किसानों से ली जा रही है उनकी सहायता सरकार किस प्रकार से करेगी?

**श्री राममूर्ति**—उनको रिहैबिलिटेट किया जायगा और इस बात की कोशिश है कि मेरठ में ही उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके। आसपास के गांव में जो पास्चर लैंड है वहां बसेंगे और हम ऐसा इन्तजाम कर रहे हैं कि एक भी आदमी ऐसा न रह जाय जो रिहैबिलिटेट न हो सके।

**श्री देवकी नन्दन विभव**—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह योजना कब तक प्रारम्भ हो जायेगी?

**श्री राममूर्ति**—यह तो केन्द्रीय सरकार के सामने उपस्थित कर दी गयी है और उसके विचाराधीन है। जैसे ही उससे रुपया मिलेगा वैसे ही काम शुरू कर दिया जायगा।

**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह जब मथुरा पधारे थे तो आम लोगों की शिकायत के ऊपर उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि इस पंचवर्षीय योजना में इस हिन्डन नदी की योजना भी शामिल कर दी जायगी?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—जी हां, मुझे उम्मीद तो यही थी और अब भी है।

**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या माननीय मंत्री जी इस रेजरवायर्स को ऐसे स्थान पर बनाने की कृपा करेंगे जहां गांवों को उठाने की नौबत न आये?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—वह पूरा स्थान सर्वे किये जाने के बाद जहां उपयुक्त होता है वहां रेजरवायर बनाया जा सकता है। यह किसी की मंशा पर नहीं होता है कि जहां चाहे रेजरवायर बना दे, लैंड की टोपोग्रेफी जैसी होती है उसी स्थान पर रेजरवायर बनाया जा सकता है।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो डेढ़ करोड़ रुपया खर्च करने की योजना है उसमें जो जमीन देहातियों की ली जानी है उसके मुआविजे की कितनी रकम है ?

श्री राममूर्ति---इस समय यह रकम बतलाना तो मुश्किल है लेकिन एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।

*२६-२७---श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---[२१ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८---श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)---[१६ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## शराब, गांजा आदि की दुकानों के नीलाम में प्रदेशीय सरकार को घाटा

*२९---श्री इस्तफाहुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या यह सही है कि प्रदेशीय सरकार को देशी शराब, गांजा वग़ैरह की दूकानों के नीलाम से घाटा हुआ है ? यदि हां, तो पिछले वर्ष और इस साल कितना-कितना घाटा हुआ है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जी हां, सरकार को देशी शराब, गांजा, भांग और अफ़ीम की दुकानों के नीलाम से निम्नलिखित घाटा हुआ है :---

| वर्ष | | | घाटा रु० |
|---|---|---|---|
| १९५४-५५ | .. | .. | १६,६९,४९९ |
| १९५३-५४ | .. | .. | ४७,९७,०२५ |

श्री इस्तफा हुसैन---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो घाटे नीलाम से हुए हैं उनकी पूर्ति के वास्ते नीलाम के नियमों में कोई तब्दीली करने का विचार है ?

श्री सैयद अली जहीर---जैसा मैंने कई दफा बताया कि एक्साइज की पूरी पालिसी गवर्नमेंट के विचाराधीन है। उसी सिलसिले में मुमकिन है इस मसले पर भी गौर किया जाय, मगर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या वजीर इन्साफ मेहरबानी फर्मा कर बतायेंगे कि गांजा और भांग वग़ैरह की बिक्री से जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिये कुछ मजीद गांजा और भांग वग़ैरह की दुकानें बड़े-बड़े शहरों में खोलने पर आप विचार फर्मा रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---कोई नई दूकान खोलने का तो ख्याल इस वक्त नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस घाटे की खास-खास वजहें क्या हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---इस मामले पर गौर किया गया था और एक कमेटी भी बिठायी गयी थी और उसके जो नतीजे हैं उन पर अब गौर हो रहा है। जो बड़ी वजह बतायी गयी है वह यह है कि जनरल एकोनामिक डिप्रेशन मुल्क में है उसकी वजह से इन चीजों की बिक्री कम हो गयी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि उनके मुहकमे में बाकायदा कंट्रोल न होने की वजह से भी इस रकम में काफी रकम शामिल हुई है ?

**श्री सैयद अली जहीर**--ऐसी कोई फाइन्डिंग तो नहीं है। मुमकिन है कहीं कहीं इस किस्म की शिकायतें हों लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं समझा जाता है।

**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**--क्या वजीर इन्साफ मेहरबानी फर्मा कर बतलायेंगे कि यह जो घाटा हो रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि बहुत से सियासी काम करने वालों ने गांजा और भांग वगैरह के इस्तेमाल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है?

**श्री सैयद अली जहीर**--एक वजह यह भी हो सकती है।

**श्री हरिसिंह** (जिला मेरठ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब कि नशे की दूकानों पर घाटा हो रहा है तो वह शराबबन्दी पूरे प्रदेश में करने पर विचार कर रही है?

**श्री अध्यक्ष**--यह केवल शराब का सवाल नहीं है।

**श्री हरिसिंह**--जितनी नशीली दूकानें हैं जो कि सरकार की तरफ से खुली हुई हैं, चाहे वे गांजे की हों या शराब की हों, जो नशाबन्दी आन्दोलन चल रहा है उसके अनुसार उनको बन्द करने का विचार रखती है।

**श्री सैयद अली जहीर**--मेरे ख्याल में माननीय सदस्य घाटे के मानी गलत समझे हैं। घाटे की मानी यह हैं कि जो पहले मुनाफा होता था उसमें कमी हो गयी है। मुनाफा तो अब भी हो रहा है।

**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने जनरल डिप्रेशन की बात कही उसमें पीने वालों की तादाद कम हो गयी है या जितने लोग पीते थे वह कम पीने लगे हैं?

**श्री सैयद अली जहीर**--मेरे ख्याल में दोनों ही बातें हैं।

**श्री जोरावर वर्मा**--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि घाटे का एक कारण यह भी है कि प्राइवेट भट्ठियां चालू हैं और उनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है?

**श्री सैयद अली जहीर**--जी हां, एक वजह यह भी हो सकती है।

**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री कृपा पूर्वक यह बतायेंगे कि भांग जो सब से अधिक निर्दोष और हार्मलेस ड्रग है उसको प्राहिबिशन की लिस्ट से बाहर करने पर विचार कर रही है?

**श्री अध्यक्ष**--यह तो घाटे का सवाल है, प्राहिबिशन की पालिसी का नहीं।

## १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में आबकारी के अपराधों की संख्या

*३०--**श्री इस्तफा हुसैन**--क्या सरकार १९५२-५३ और १९५३-५४ में आबकारी के जरायम की कुल संख्या बताने की कृपा करेगी?

**श्री सैयद अली जहीर**--सन् १९५२-५३ में समस्त उत्तर प्रदेश में १५,५१६ आबकारी सम्बन्धी जरायम पकड़े गये थे। सन् १९५३-५४ के आबकारी सम्बन्धी जरायम के आंकड़े अभी एकत्रित किये जा रहे हैं।

**श्री इस्तफा हुसैन**--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस तादाद में इल्लिसिट डिस्टीलेशन की क्या तादाद है?

**श्री सैयद अली जहीर**---मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं इसलिए मैं इस वक्त नहीं बता सकता।

**श्री मदन मोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि यह जरायम जो हो रहे हैं वह ज्यादातर जौनपुर जिले में हो रहे हैं ?

**श्री सैयद अली जहीर**---जी नहीं। ऐसी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है।

**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**---क्या वजीर इंसाफ मेहरबानी फरमा कर बतायेंगे कि जरायम करने वाले जो पकड़े गये हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद पहाड़ियों की थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*३१---**श्री झारखंडे राय**---[हटा दिया गया।]

*३२-३३---**श्री राम नरेश शुक्ल**---[२२ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३७-३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## तहसील निघासन, जिला खीरी की शराब की भट्टियां

*३४---**श्री जगन्नाथ मल्ल** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार तहसील निघासन जिला खेरी में शराब की कच्ची भट्ठियां तोड़ने का विचार कर रही है ?

**श्री सैयद अली जहीर**---तहसील निघासन, जिला खीरी के उत्तरी भाग में कच्ची भट्ठी प्रणाली के स्थान में डिस्टिलरी प्रणाली को जारी करने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

*३५---**श्री जगन्नाथ मल्ल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि शराब की भट्ठियों में तहसील निघासन में पिछले वर्ष १९५३-५४ में कितनी आय हुई ?

**श्री सैयद अली जहीर**---पिछले वर्ष (१९५३-५४) में तहसील निघासन में शराब की भट्ठियों से कुल आय ७,४८,५०० रु० हुई थी।

## जिला देवरिया में टीकमपार ताल से नाला निकालने की योजना

*३६---**श्री बद्री नारायण मिश्र** (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि टीकमपार ताल तहसील सलेमपुर जिला देवरिया से कोई नाला काट कर पानी निकालने की सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री राममूर्ति**---ऐसी एक योजना विचाराधीन है। यह योजना टीकमपार ताल से एक नाला काट कर खनरवा नाला में मिलाने की है।

**श्री बद्री नारायण मिश्र**---माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस साल ताल से कितनी भूमि की खेती नष्ट होती है ?

**श्री राममूर्ति**---इस योजना का सर्वे हो रहा है, गोरखपुर के इग्जिक्यूटिव इंजीनियर के जरिये। उसकी रिपोर्ट आ जाय, उसके बाद में कोई बात बताई जा सकती है।

**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी फर्मा कर बतलायेगी कि जो यह सर्वे हो रहा है वह कौन से अफसर इसके लिये नियुक्त किये गये हैं ?

**श्री अध्यक्ष**---इसका जवाब दिया जा चुका है आपने सुना नहीं।

## बुलन्दशहर जिले में कृषि योग्य भूमि की सरकारी साधनों द्वारा सिंचाई

*३७—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में कितनी भूमि कृषि योग्य है और उसमें से कितनी सरकारी सिंचाई साधनों द्वारा सींची जाती है ?

**श्री राममूर्ति**—जिला बुलन्दशहर में १०,७४,९७२ एकड़ भूमि कृषि योग्य है, जिसमें से ७,४९,५०० एकड़ सरकार के वर्तमान सिंचाई साधनों द्वारा सींची जा सकती है। १९५२-५३ में ५०५,८६२ एकड़ भूमि सरकारी सिंचाई साधनों द्वारा सींची गई।

**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह ७,४९,५०० एकड़ भूमि सींची जा सकती है या सींची जाती है ?

**श्री राममूर्ति**—जवाब तो लिखा हुआ है "सकती है"।

**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसमें नहर विभाग से और ट्यूबवेल विभाग से कितनी जमीन सींची जाने वाली है ?

**श्री राममूर्ति**—मेरे पास अलग अलग आंकड़े तो नहीं हैं किन्तु इतना बतला सकता हूं कि ९११ मील लम्बी इरीगेशन चैनल्स हैं और ३४४ ट्यूबवेल्स हैं।

**श्री गेंदा सिंह**—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शेष जमीन बिना सींची जाने वाली है उसकी सींचने के लिये भी कोई योजनायें सरकार के सामने हैं ?

**श्री राममूर्ति**—सारे प्रदेश में जितनी जमीन है उनके बारे में योजनाएं बनती जा रही हैं।

*३८—**श्री चिरंजीलाल पालीवाल** (जिला फर्रुखाबाद)—[२१ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

## सिंचाई दरों की वृद्धि से लोअर तथा अपर गंगा नहरों की आय में वृद्धि

*३९—**श्री चिरंजीलाल पालीवाल**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लोअर गंगा नहर तथा अपर गंगा नहर की सिंचाई की दरें बढ़ाने से पहले उनसे कितनी आमदनी थी और अब कितनी हो गई है ?

**श्री राममूर्ति**—बढ़ी हुई सिंचाई दरें लगाये जाने के पूर्व अपर गंगा नहर तथा लोअर गंगा नहर से सन् १९५२-५३ में क्रमशः १४६.६ लाख तथा ८५.१४ लाख रुपये की आमदनी हुई। सन् १९५३-५४ में बढ़ी हुई सिंचाई दरें लगाये जाने से आमदनी बढ़कर क्रमशः लगभग २०९.५० लाख तथा १२०.७९ लाख हो गई है।

**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार सिंचाई की बढ़ी हुई दरों को किसानों की पैदावार की दरों के गिरने के कारण कम करने पर विचार करेगी ?

**श्री राममूर्ति**—अभी तो इसका कोई प्रश्न उठता नहीं।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या सरकार अपनी वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए इन सिंचाई दरों को और भी बढ़ाने का विचार रखती है ?

**श्री राममूर्ति**—अभी ऐसा भी कोई विचार नहीं है।

## भवन तथा सड़क अन्वेषण विभाग द्वारा अन्वेषण

*४०—श्री चिरंजीलाल पालीवाल—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भवन तथा सड़क सम्बन्धी अन्वेषण विभाग ने अब तक क्या क्या अन्वेषण किये हैं? क्या कोई अन्वेषण बरसात की नमी (सीलन) जो मकानों में हो जाती है रोकने के लिये किया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी अनुसूची में है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१० पर)

श्री चिरंजीलाल पालीवाल—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्वेषण विभाग ने जो अन्वेषण किये हैं इस संबंध में जिला फर्रुखाबाद में भी कोई प्रयोग किया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तो यहीं पर हो रहा है, किसी जिले में नहीं हुआ है।

श्री चिरंजी लाल पालीवाल—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रयोगों के बाद उन पर कोई अमली कदम भी सूबे में उठाया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, जो चीजें मालूम हो जाती हैं कि उनसे फायदा है मकान बनवाने में या सड़क बनवाने में तो उनके बारे में जिले के इंजीनियर्स को इत्तिला दे दी जाती है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बरसात में जो मकानों में सीलन हो जाती है उसको रोकने के लिये क्या उपाय बतलाये गये हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यों तो सीलन रोकने के लिये बहुत से प्रयोग किये गये जैसे मोटा रेत कंकड़ और बजरी आदि डालने से पानी रुक जाता है। इन बातों पर ये प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन अभी यह प्रयोग हो रहा है कि मोटे रेत में कौन से अंश ऐसे हैं जो पानी रोकते हैं और कौन से नहीं रोक पाते और ऐसे अंश को निकाल कर जो पानी रोकता है, जब वह प्रयोग सफल हो जाय तो लोगों को राय दी जायगी।

## मिर्जापुर सेशन अदालत की कुछ फाइलों का गुम होना

*४१—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को विदित है कि मिर्जापुर सेशन अदालत की लगभग ३ दर्जन फाइलें गायब हो गई जिनमें एक फाइल सहकारी विभाग के एक दुकानदार के विरुद्ध चलने वाले ४२ हजार रुपये के गबन के मुकदमे की भी थी?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*४२—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या यह सच है कि उक्त फाइलों के कुछ पन्ने गंगाजी में बहते हुये मिले? यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन पर मुकदमा चला?

श्री सैयद अली जहीर—(१) जी हां।

(२) मुकदमा किसी पर नहीं चला।

*४३—श्री व्रजभूषण मिश्र—फाइलें गायब होने से उत्पन्न स्थिति में सरकार उक्त मामलों में क्या करने जा रही है?

श्री सैयद अली जहीर—(१) इस संबंध में उक्त अदालत के चौकीदार को बरखास्त कर दिया गया और अदालत के क्लर्क का भी तबादला कर दिया गया है।

(२) काफी सबूत न होने की वजह से सरकार कोई और कार्यवाही नहीं कर सकी।

**श्री व्रजभूषण मिश्र**--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस किस सीगे के कितने मुकदमों की फाइल गायब हुयी थीं ?

**श्री सयद अली जहीर**--इसकी तफसील तो मेरे पास नहीं है कि किस किस सीगे के कितने मुकमदों की फाइल गायब हुयी थी सिर्फ यह इत्तिला है कि ५८ फायलें गायब हुयी थीं उनमें से १९ फायलें दरिया में मिलीं।

**श्री व्रजभूषण मिश्र**--क्या माननीय न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन मुकदमों की फाइलें नहीं मिलीं उन मुकदमों के बारे में क्या हो रहा है ?

**श्री सैयद अली जहीर**--ऐसी हालत में यह कोशिश की जाती है वह फाइल फिर से मुरत्तब की जाय। जहां जहां पर उनकी नकलें होती हैं उनको मंगाकर फाइल बनायी जाती है और जो कागज नहीं मिलते हैं उनके लिये भी जो कुछ सबूत हो सकता है मुहइया किया जाता है।

**श्री रामनरेश शुक्ल**--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि जिससे इन चीजों की पुनरावृत्ति न हो सके ?

**श्री सैयद अली जहीर**--जहां तक मैं समझता हूं यह तो इत्तफाक की बात है कि ऐसी बात हुयी वर्ना यह रोज तो होता नहीं है। इसके लिये तो आम इन्तजाम है और यह आम इन्तजाम हमेशा रहता है।

**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो फाइलें गायब हुयी थीं उनका पता लगाने के लिये सरकारी गुप्तचर विभाग को यह मामला सौंपा गया था ?

**श्री सैयद अली जहीर**--जहां तक मुझे इस वक्त इत्तिला है इस किस्म की कोई कार्यवाही नहीं हुयी थी लेकिन मैं यह बात यकीनन नहीं कह सकता।

**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो खोने के बाद फाइलें मिली हैं वह पूरी हालत में हैं या उनमें से भी कुछ कागज गायब हो गये हैं ?

**श्री सैयद अली जहीर**--जी नहीं, यह इत्तिला मैं नहीं बतला सकता।

**श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो चौकीदार डिसमिस किया गया है वह उसी दिन जिस दिन मालखाने का ताला तोड़कर चोरी हुयी थी डिसमिस किया गया था ?

**श्री सैयद अली जहीर**--यह मैं नहीं बतला सकता हूं कि ताला तोड़ा गया था या खोला गया था लेकिन बहरहाल सुबह को यह मालूम हुआ कि चोरी हो गयी है।

**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह डाकूमेंट जो फाइलों में दाखिल की गयी थी और जिनकी नकल अब नहीं मिल सकती है तो क्या सरकार उनको कम्पन्सेट करने के लिये कुछ कर रही है ?

**श्री सैयद अली जहीर**--कम्पन्सेशन का सवाल इस वक्त कोई उठता नहीं है और अगर उठेगा तो जैसी सूरत होगी उसको हल किया जायगा।

**श्री रामेश्वर लाल** (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह फाइलें गंगा में बहती हुयी कहां प्राप्त हुयी थीं और किसको प्राप्त हुयी थीं ?

**श्री सैयद अली जहीर**--जी नहीं, इसकी इत्तिला मेरे पास नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि इस तमाम मामले की चांज किसके द्वारा की गयी थी ?

श्री सयद अली जहीर---मिर्जापुर की पुलिस के द्वारा।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न होने के कारण क्या इसको गुप्तचर विभाग को दिया जायगा ?

श्री सैयद अलीजहीर---जी नहीं, ऐसा कोई सवाल मेरे सामने नहीं आया। पुलिस ने इस पर कुछ गौर किया हो लेकिन मुझे इसका पता नहीं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---जब ५८ फाइलें सैशन अदालत से गुम हो गयीं तो क्या माननीय मंत्री जी मौके पर गये थे ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं समझता था कि मेरे जाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिये मैं नहीं गया।

## बनारस में गंगा के घाटों का जीर्णोद्धार

*४४---श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जून, १९५४ तक बनारस में गंगा के कौन-कौन से घाटों का जीर्णोद्धार हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जून सन् १९५४ तक सरकार ने हनुमान घाट का जीर्णोद्धार किया और आनन्दमईघाट पर काम हो रहा है।

श्री रामनरेश शुक्ल---इसमें सरकार का अब तक कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---२,८१,२०० रुपया हनुमान घाट पर व्यय हुआ है ?

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बनारस में और कितने घाटों का जीर्णोद्धार होने वाला है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये पहले ही इस सदन में बतला दिया गया कि इस पर विचार हो रहा है और इसके लिये एक कमेटी बनाने का विचार है। आनन्दमयी घाट में काम खत्म हो जाने के बाद मीरघाट को लेने का विचार है, बाकी घाटों के लिये जब पैसे का इन्तजाम हो जायगा, वे लिये जायेंगे।

## इटावा जिले की विधूना तहसील में आनरेरी मजिस्ट्रेटों की बेंच का उन्मूलन

*४५---श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधूना तहसील (इटावा) में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की बेन्च को कब से हटा दिया गया है और हटाने का कारण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह बेंच तो १९४८ से खत्म हो चुकी है। उस वक्त जो मैजिस्ट्रेट थे उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की शिकायतें थीं और उसके बाद से फिर कोई सिफारिश सरकार के पास यहां बेंच कायम करने की जिले से नहीं आयी।

**श्री गजेन्द्र सिंह**—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह मुख्तलिफ किस्म की कौन कौन सी शिकायतें थीं ?

**श्री सैयद अली जहीर**—मस्लन श्री रमेशचन्द्र मिश्र के खिलाफ यह शिकायत थी कि वे लगान वसूल करते थे और अपने काश्तकारों को रसीद नहीं देते थे किसी ने यह भी शिकायत की थी कि एक औरत का मामला जो किसी मेले में हुआ था, उसमें भी इनका हाथ था । इसी तरह की और भी कुछ शिकायतें थीं ।

**श्री गजेन्द्र सिंह**—सरकार को यह शिकायतें किस एजेंसी के द्वारा प्राप्त हुयीं ?

**श्री सैयद अली जहीर**—जेंसी का बतलाना तो ठीक न होगा लेकिन इसके ऊपर जिले के कलेक्टर से तहकीकात करायी गयी थी । उसने बाज शिकायतों को गलत बताया और बाज के लिये कहा कि उनमें कुछ थोड़ी सी असलियत मालूम होती है, इसलिये उनको इस ओहदे से अलहदा कर दिया गया ।

*४६–४८—**श्री उमाशंकर तिवारी** (जिला बनारस)—[प्रश्नों का उत्तर १३ सितम्बर, १९५४ को प्रश्न संख्या ५६–५८ के अन्तर्गत दिया गया ।]

*४९–५०—**श्री बलवन्त सिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—[२१ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५१–५३—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)—[स्थगित किये गये ।]

*५४–५६—**श्री राम सहाय शर्मा** (जिला झांसी)—[२२ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३२–३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

## तहसील कालपी, जिला जालौन में आनरेरी मजिस्ट्रेट का नया चुनाव

*५७—**श्री रामस्वरूप गुप्त** (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील कालपी, जिला जालौन में आनरेरी मैजिस्ट्रेट का नया चुनाव सेलेक्शन कमेटी द्वारा हो चुका है ?

**श्री सैयद अली जहीर**—जी हां ।

*५८—**श्री रामस्वरूप गुप्त**—यदि हां, तो वह चुनाव कब हुआ था ?

**श्री सैयद अली जहीर**—१५ जून, १९५४ को ।

**श्री राम स्वरूप गुप्त**—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इन सिफारिशों के मुताबिक मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो गयी है ?

**श्री सैयद अली जहीर**—जी नहीं । यह मामला अभी विचाराधीन है ।

**श्री रामस्वरूप गुप्त**—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या कारण है कि उन सिफारिशों पर अभी तक कुछ निश्चय नहीं किया गया है ?

**श्री सैयद अली जहीर**—ये सिफारिशें कलेक्टर जिला ने २८ अगस्त सन् १९५४ को गवर्नमेंट के पास भेजी और उसी के साथ साथ कुछ शिकायतें भी थीं, उनकी भी तहकीकात करायी गई है उसी वजह से अभी कोई फैसला इस पर नहीं हुआ कि कोई तकर्रुरी की जाय या न की जाय ।

**श्री मदन मोहन उपाध्याय**--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह सेलेक्शन कमेटी जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट को मुकर्रर करती है, उसमें कौन कौन होते हैं ?

**श्री सैयद अली जहीर**--इसकी बाबत गवर्नमेंट का नोटीफिकेशन है, उसमें सब बातें दी हुई हैं, वह नोटिफिकेशन इस वक्त मेरे पास नहीं है ?

**श्री देवकी नन्दन विभव**--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि इस सेलेक्शन कमेटी में वकील भी रखे जाते हैं ?

**श्री सैयद अली जहीर**--जी हां, ऐसे वकील रखे जाते हैं जो फौजदारी में काम नहीं करते होते हैं। एक नुमाइन्दा बार एसोसिएशन का भी होता है।

**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिले की कमेटी द्वारा सर्व सम्मति से आये हुये नामों में भी यहां तब्दीली होने का क्या कारण होता है?

**श्री सैयद अली जहीर**--ऐसे कोई आम सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। यदि किसी खास नाम के मुताबिक आप पूछें तो मैं बतला सकता हूं।

*५९--**श्री हरदयाल सिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)--[२१ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

## आगरा जिले में गैर-कानूनी शराब का कारोबार

*६०--**श्री देवकीनन्दन विभव**--क्या न्याय मंत्री को विदित है कि आगरा जिले में गैर-कानूनी तौर पर शराब खीचने का कारोबार बढ़ रहा है ? यदि हां, तो उसके रोकने की क्या कोशिश की जा रही है ?

**श्री सैयद अली जहीर**--यह सही है कि आगरा जिले में सन् १९५२-५३ में गैर-कानूनी तौर पर शराब खींचने के ३९ अपराध पकड़े गये और सन् १९५३-५४ में ६७ अपराध चालू वर्ष में ३१ जुलाई १९५४ तक गैरकानूनी तौर पर शराब खींचने के ६ अपराध पकड़े गये हैं। इन आंकड़ों से यह नतीजा निकाला जा सकता है कि सन् १९५३-५४ में १९५२-५३ की अपेक्षा गैर-कानूनी तौर पर शराब खींचने के अपराधों में वृद्धि रही परन्तु चालू वर्ष के चार महीनों में यह अपराध कम रहा।

**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में जो १९५३-५४ में नाजायज शराब बनी उसकी रोकथाम करने के लिये सरकार की तरफ से कोई कड़ा कदम उठाया जायगा ?

**श्री सैयद अली जहीर**--बहरहाल हमारा डिपार्टमेंट इसकी बराबर कोशिश कर रहा है कि जहां तक हो ऐसे अपराध पकड़े जायं। कोई और मखसूस कदम तो इस मामले में नहीं उठाया गया लेकिन कोशिश यही है कि यह अपराध न होने पाये।

**श्री गेंदासिंह**--क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गैरकानूनी तौर पर शराब बनाने की शिकायत है वह आगरा शहर में ज्यादा है या गांवों में ज्यादा है ?

**श्री सैयद अली जहीर**--ये जो आंकड़े हैं वे तो शहर और गांव दोनों के हैं। अगर आप शहर और गांव के आंकड़े अलाहदा अलाहदा चाहते हैं तो मैं वह बतला सकता हूं लेकिन उससे और कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। जो नतीजा मैंने आपको बतलाया है वही नतीजा निकलेगा।

## डाक्टरी दवाइयों का नशे के लिए प्रयोग

*६१--**श्री देवकी नन्दन विभव**--क्या न्याय मंत्री को विदित है कि डाक्टरों के यहां बिकने वाली Ginger Iodine का प्रयोग इस प्रदेश में नशे के लिये अधिक तादाद में किया जा रहा है ?

**श्री सैयद अली जहीर**--जहां तक सरकार को मालूम है Ginger Iodine नाम की कोई दवा नहीं होती ।

**श्री देवकी नन्दन विभव**--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि टिंचर, जिंजर और रोज इकवा जैसी औषधियां नशे के लिये व्यवहार में लायी जाती हैं ?

**श्री सैयद अली जहीर**--जी हां, यह दवायें हैं और इसके अलावा और भी हैं शायद माननीय सदस्य जानते होंगे कि अभी इसके मुताल्लिक एक रिट ऐप्लीकेशन हुयी थी हमने कोशिश की थी कि इन दवाओं की बिक्री के ऊपर कुछ कानूनी पाबंदियां लगायी जायं लेकिन हमारा पुराना नोटीफिकेशन नाजायज करार दिया गया और इल्लीगल हो गया । अब हमने नया नोटीफिकेशन जारी किया है । गवर्नमेंट जानती है और कोशिश कर रही है इनकी बिक्री के ऊपर पाबंदियां लगायी जायं ।

**श्री देवकी नन्दन विभव**--क्या माननीय मंत्री जी ऐसे मैन्यूफैक्चर्स के लायसेंसों को कैंसिल करने पर विचार करेंगे ?

**श्री सैयद अली जहीर**--जब हमारे नये रूल्स बन जायेंगे और लागू हो जायेंगे तो जाहिर है कि जो खिलाफवर्जी करेंगे उनके लायसेंस कैंसेल किये जायेंगे ।

## सीतापुर-बिसवां-लहरपुर सड़क को पक्की करना तथा महमूदाबाद-तम्बौर व बिसवां-बहराइच सड़कों की मरम्मत

*६२--**श्री बशीर अहमद हकीम** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सीतापुर की बिसवां से लहरपुर और लहरपुर से सीतापुर जाने वाली कच्ची सड़कों को पक्की करना "पंचवर्षीय योजना" में शामिल हैं ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**--इन सड़कों को पक्का करने का कार्य वर्तमान पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है । केवल लहरपुर-हरगांव सड़क पर ६ मील की लम्बाई में सीमेंट कांक्रीट टैक्स के निर्माण का कार्य इस योजना में सम्मिलित है ।

*६३--**श्री बशीर अहमद हकीम**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महमूदाबाद से तम्बौर जाने वाली और बिसवां से बहराइच जाने वाली कच्ची सड़कों की कब से मरम्मत नहीं हुई है ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**--यह सड़कें जिला बोर्ड, सीतापुर के अन्तर्गत हैं तथा जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि इन सड़कों की मरम्मत प्रतिवर्ष की जाती है ।

**श्री बशीर अहमद हकीम**--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना में अगर यह सड़कें नहीं ली गई हैं तो अगली पंचवर्षीय योजना में यह ली जायंगी ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**--जी हां । अगली पंचवर्षीय योजना में इसपर विचार किया जायगा ।

**श्री बशीर अहमद हकीम**--क्या सरकार यह बतायेगी कि दोनों सड़कें जिन सड़कों से होकर गुजरती है उनका रकबा एक हजार मील का है और इसके अलावा वहां कोई और कच्ची या पक्की सड़क नहीं है ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। इस सवाल के जवाब के लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी।

**श्री शिव नारायण**--क्या सरकार बतायेगी कि सीतापुर में आंखों का अस्पताल होने के नाते यह सड़क बड़ी आवश्यक है और सरकार इसको बनवा देने की कृपा करेगी ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**--हां, यह सीतापुर की सड़क नहीं है। यह दूसरी सड़क है। सीतापुर की जो पक्की सड़क है वहां आंख वाले बराबर जाते है।

**श्री सुरेश प्रकाश सिंह** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह दोनों सड़कें किसी समय पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत थीं ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**--जी हां, यह सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत थीं और इनको बाद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दिया गया था।

**श्री सुरेश प्रकाश सिंह**--क्या सरकार को यह पता है कि यह सड़कें ऐसी बुरी हालत में है कि न होने के माफिक हैं ?

**श्रीचतुर्भुज शर्मा**--अभी इस किस्म की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

**श्री बशीर अहमद हकीम**--क्या सरकार इन दोनों सड़कों की अहमियत को देखते हुये इनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से वापस लेना चाहती है ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**--इसका मैं उत्तर दे चुका हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वक्त इन पर विचार किया जाया।

## जिला अलीगढ़ के आनरेरी तथा स्पेशल मजिस्ट्रेट्स

*६४--**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में कुल कितने आनरेरी तथा स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं ? उनकी शिक्षा योग्यता क्या है और उनमें कितने देहात के है और कितने शहर के ?

**श्री सैयद अली जहीर**---(अ) पंद्रह

(ब) उनकी शिक्षा योग्यता का आलेख्य नत्थी है।

(स) ६ देहात के और ९ शहर के।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३११ पर।)

**श्री हरदयाल सिंह पिपल**--क्या माननीय मंत्री जी उन मैजिस्ट्रेटों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे कि जो देहातों के हैं या देहाती क्षेत्र से लिये गये है ?

**श्री सैयद अली जहीर**--इस फेहरिस्त से, जो दी गई है उससे मालूम होता है कि श्री जैपाल सिंह जलालपुर के है, श्री छिदालाल जैन सासनी के, श्री याद राम गुप्त सिकन्दराराव के, श्री हरिश्चन्द्र सिकन्दराराव के, श्री ब्रज मोहन सिंह खैर के और श्री खजान सिंह छतारी के है

---

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ६४-६६ श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने पूछे।

## अतरौली, जिला अलीगढ़ की आनरेरी मैजिस्ट्रेसी बेंच का उन्मूलन

*६५--श्री नेक राम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अतरौली जिला अलीगढ़ की आनरेरी मजिस्ट्रेट बेंच आजकल क्यों function नहीं कर रही है और क्या कारण है कि साल भर से एक भी केस उसे नहीं दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर--हाल ही में यह बेंच तोड़ दी गई है। इस बेंच के कार्य function करने के संबंध में जिलाधीश से पत्र व्यवहार हो रहा था जिसकी वजह से जिलाधीश ने कोई मुकदमा इस बेंच को नहीं भेजा था।

श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि उपर्युक्त कुछ आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की भी शिकायतें सरकार के पास आयी हैं। यदि हां, तो क्या और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह बेंच क्यों तोड़ दी गई ?

श्री सैयद अली जहीर--जिलाधीश ने यह कहा कि इस बेंच के लिये काफी काम नहीं है और इस वजह से यह बेंच तोड़ दी गई।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस वक्त बेंच की नियुक्ति हुई थी उस समय काम काफी था ?

श्री सैयद अली जहीर--जिलाधीश की राय से यकीनन काफी रहा होगा।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर) [प्रश्न संख्या ६५ से संबंधित]--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बेंच के लिये कितना स्टाफ दिया गया था और उस पर साल भर में सरकार का कितना खर्च हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बतायेगी कि यह बेंच कब बनी और कब तोड़ी गई ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो मैं नहीं बतला सकता कि कब बनी थी लेकिन २२ सितम्बर, १९५३ में कुछ लोगों से अख्तियारात ले लिये गये बाकी और लोगों के अख्तियारात १७ अगस्त, १९५४ से खत्म कर दिये गये।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बेंच तोड़ने के वक्त मुकद्दमों के क्या आंकड़े थे और शुरू होने के वक्त क्या थे ?

श्री अध्यक्ष--जब उन्होंने यह बताया कि कब शुरू हुई यही उन्हें नहीं मालूम तो वे आंकड़े क्या देंगे।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि समाप्त करने की जो सिफारिश जिले से आयी वह जिलाधीश महोदय की थी या कमेटी की थी कि यह बेंच तोड़ दी जाय ?

श्री सैयद अली जहीर--दोनों की सिफारिश यही थी।

**श्री गेंदासिंह**--क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतायेंगे कि बेंच तोड़ने के पहले कितने दिनों तक बेंच के सामने काम नहीं था ?

**श्री सैयद अली जहीर**--तकरीबन साल भर से कोई काम बेंच के सामने नहीं था ।

**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस बेंच के तोड़ने से अवाम में मुसर्रत की लहर पैदा हुई या कुछ हैजान पैदा हुआ ?

**श्री अध्यक्ष**--यह राय का सवाल है ।

---

## उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ को शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४ तक पारित करने के संबन्ध में संकल्प

**माल मंत्री (श्री चरणसिंह)**--अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं--

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार सदन की बैठक शनिवार को नहीं होती है। तथापि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४, को शीघ्रातिशीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियमित समय पर १८ सितम्बर, १९५४ को भी, जो शनीवार है, होगी, और उक्त विधेयक को दिनांक १८ सितम्बर, १९५४ तक पारित कर दिया जाय तथा उसे पारित करने के हेतु उक्त विधेयक पर सामान्य विवाद १४ सितम्बर, १९५४ को १-१५ बजे तक ही हो और संशोधनों के प्रस्तावक तथा मंत्री जी के प्रथम भाषण के लिये १०-१० मिनट तथा अन्य भाषणों के लिये ५-५ मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय।"

**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--प्वाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय ।

**श्री अध्यक्ष**--माननीय सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर उपस्थित किया है आप (श्री चरण सिंह से) कृपा करके बैठ जायं ।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**--श्रीमन्, मुझे नियमावली के अनुसार ४ प्रकार के एतराज इस प्रस्ताव के उठाये जाने में हैं ।

पहले तो मैं आपका ध्यान नियम ७६ की तरफ दिलाना चाहता हूं। जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर सरकार कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहे तो वह सात दिन का नोटिस देगी और केवल आप ही अपने अधिकार से नोटिस का समय कम कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब सात दिन का नोटिस नियमानुसार है तो आप भी अपनी कृपा अगर सरकार पर करेंगे और सात दिन से कम करेंगे तब भी कम करके ३, ४ या कम से कम २ दिन का ही कर देंगे। लेकिन सात दिन के बजाय एक ही दिन....

**श्री अध्यक्ष**--मैं समझता हूं कि किसी प्वाइंट आफ आर्डर में अध्यक्ष का जो डिस्क्रीशन है उसके बारे में बहस नहीं हो सकती ।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—बहस मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं। एक इशारा सा कर रहा हूं।

दूसरी बात यह है कि इसमें एक ही प्वाइंट नहीं है, इसमें एक ही बात नहीं है और डीक्लेरेशन आफ ओपिनियन भी नहीं है जो कि नियम ७७ के अनुसार होनी चाहिए। फिर नियम ७९ में लिखा हुआ है कि—"It shall raise substantially one definite issue ;"

**श्री अध्यक्ष**— ७७ में क्या आपने बताया ?

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—"A resolution may be in the form of a declaration of opinion by the Assembly."

नियम ७९ में जो उपनियम (२) है उसमें लिखा हुआ है कि केवल एक ही ईश्यू होगा। लेकिन इसमें दो तीन ईश्यूज मिले हुए हैं। पहली पंक्ति में राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि केवल शनिश्चर के लिए ही हम इस प्रस्ताव को ला रहे हैं लेकिन बाद को चल कर उसमें तीन हिस्से आ गये। एक तो शनिश्चर के लिए कह दिया कि शनिश्चर को डिबेट होगा। फिर क्लोजर भी मूव कर दिया जिसके लिए नियम १७६ है जिसके अनुसार किसी समय भी क्लोजर रखा जा सकता था। तीसरी बात यह है कि समय का निर्धारण भी कर दिया। तो ये तीन अलग-अलग बातें थीं जिनके लिये अलग-अलग मोशन आने चाहिए थे या जिनके लिये अलग नियमों की व्यवस्था थी, वह सब इसमें आ गये।

तीसरा एतराज मेरा इस सम्बन्ध में यह है मैं कि आपका ध्यान नियम ८८ की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि रिपीटीशन आफ रिजोल्यूशन के सिलसिले में है कि कोई भी प्रस्ताव दुहराया नहीं जायगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंग्रेजी का अनुवाद भी कर दूंगा—'When a resolution has been moved, no resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within six months from the date of the moving of the earlier resolution." तो सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव पिछले सेशन में ला चुकी है। तो मैं समझता हूं कि जब एक बार सरकार एक प्रस्ताव ला चुकी कि शनिश्चर के दिन डिबेट हो और शनिश्चर को डिबेट हो चुका तो ६ महीने के पहले उसी प्रस्ताव को दुहराना नियमावली के प्रतिकूल होगा। तो इन तीनों चारों दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि आप नियम ८० के अनुसार कृपया अपना व्यवस्था दें कि यह कहां तक नियमावली के अनुकूल है और वैधानिक है ?

**श्री अध्यक्ष**—माननीय राजस्व मंत्री, आपको कुछ कहना है ?

**श्री चरणसिंह**—अध्यक्ष महोदय, कुछ मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मित्र ने जिन नियमों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है वह इस पर लागू नहीं होते हैं। असल में तो यह नियम २२१ जो है उससे मंशा है, उसके अन्दर यह आता है। चाहे इसके अन्दर यह न लिखा गया हो कि फलां रूल सस्पेंड किया जाय लेकिन मंशा वही है। नियम २२१ यह कहता है कि—

"Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being

The Speaker shall decide the procedure to be followed in lieu of that contained in the suspended Rule."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो यह बात ठीक है कि जो मैंने मोशन मूव किया उसमें मोशन का हवाला नहीं है लेकिन मंशा यही है कि वह रूल सस्पेंड किया जाय और उसके बजाय शनिवार को मीटिंग हो। तो मैं यह समझता हूं कि इसके अन्दर यह चीज आती है। और यह जो नोटिस की बात है कि रिजोल्यूशन के लिये नोटिस चाहिये तो यह तो और प्रकार के जो गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन होते हैं उनके लिये है न कि आर्डर के सिलसिले में जो कि बिजनेस है उसके सिलसिले में कोई अगर प्रस्ताव या मोशन हो तो उसके लिए यह नियम हों। उससे वास्ता इस ७६ का या ७९ का या जो ६ महीने की कैद की बात माननीय नारायण दत्त जी ने कही है उसका नहीं है। वह इसके लिये नहीं लागू होता है। फिर वह किसी और शनिवार के लिए था। अगर उसी शनिवार की बाबत यह होता तो बात दूसरी थी। इसके अलावा कायदा है २२२। मैं आपका ध्यान उसकी तरफ भी दिलाना चाहता हूं। २२२ और २२३ में स्पीकर को पूरी पावर है। यह हाउस अपने प्रोसीजर का मास्टर है कि जैसे चाहे वैसे करे। हम यह चाहते हैं और जरूरी है जनहित में कि यह विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर ले १२-१३ अक्तूबर तक क्योंकि इस विधेयक में एक आर्डीनेन्स का प्राविजन शामिल है और लेजिस्लेचर बैठा माना जायगा जब से कि कौंसिल की बैठक शुरू हुई है और तब से ले कर १२-१३ अक्तूबर तक यह समाप्त हो जाना चाहिये। इस बीच में यह विधेयक असेम्बली से पास हो और छप कर कौंसिल में जाय और वहां पास हो। इसके बाद गवर्नर के दस्तखत हों और तब प्रेसीडेंट के दस्तखत हों। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अगर कोई कानूनी दिक्कत या कोई कठिनाई इसमें हो तो मेरी यह दरख्वास्त है कि पब्लिक इंट्रेस्ट को देखते हुये और जैसा कि डिस्क्रीशन २२३ में आपको है आप इसको पास करने और विचार करने का मौका दें और आपके जरिये मैं अपने ननीयम मित्रों से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इसकी टैक्निकैलिटीज में न जा कर असलियत को देखें कि इससे पब्लिक इंट्रेस्ट सफर होगा अगर हम इसको १२-१३ अक्तूबर तक पास नहीं करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**--मेरे सामने अभी श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने एक वैधानिक प्रश्न उठाया है कि जो संकल्प सदन के सामने राजस्व मंत्री जी ने उपस्थित किया है, वह नियमों के अनुकूल नहीं है बल्कि विरुद्ध जाता है। इसमें उन्होंने नियम ७६, ७७, ७९ और ८८, यह चार नियम उपस्थित किये हैं कि वह बाधक होते हैं ऐसे संकल्प को लाने के बारे में नियम ७६ में यह दिया हुआ है कि नोटिस सात रोज का होना चाहिये और उसमें वह मानते हैं कि मुझे अधिकार है इस विषय में कि मैं समय को कम कर दूं तो वह प्रश्न इसी पर निर्भर रह जाता है कि अगर मैं समय न दूं तो अवैधानिक हो जायगा। वह तो निश्चय मैं बाद में अपना करूंगा। वह नियम सीधा बाधक नहीं होता है इस संकल्प को लाने के लिये, लेकिन अगर मैं अनुमति न दूं तो बाधक हो जाता है।

दूसरे नियम ७७ का हवाला दिया गया है कि वह एक तरह की सिफारिश होगी, जो प्रस्ताव होगा वह सिफारिश होनी चाहिये। तीसरे प्रस्ताव के बारे में नियम ७९ में यह दिया हुआ है कि एक ही डेफीनिट इश्यू उसमें होना चाहिये, एक ही निश्चयात्मक कोई प्रश्न होना चाहिये, जिसके ऊपर वह विचार करने के लिये प्रस्ताव है।

चौथा जो आक्षेप है वह नियम ८८ का है, रिपीटीशन के बारे में। मैं समझता हूं कि श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने स्वयं ही आधे दिल से यह आक्षेप पेश किया है। शनीश्चर जो ६ महीने पहले हुआ है और इस सप्ताह का शनीश्चर अलग-अलग है, इस लिये प्रस्ताव अलग-अलग हो जाता है। इसको रिपीटीशन नहीं कहा जा सकता है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अगर यह होता कि पिछला शनिश्चर जो गुजर गया ६ महीने पहले, उसके लिये संकल्प होता तब तो यह शायद लागू होता। अब केवल दो नियमों के बारे में विचार करना है कि आया यह यह डेफीनिट ईश्यू एक है और दूसरे यह कि यह सिफारिश की तरह

[श्री अध्यक्ष]

है या नहीं। इस विषय में मैं एक नियम और भी सदन के सामने रख देना चाहता हूं। वह यह है कि:

223. *Residuary Power*—"All questions not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct."

यह जो संकल्प है, उन साधारण संकल्पों से भिन्न प्रकार है जिनके सम्बन्ध में नियम ७९ और ७७ में हवाला दिया गया है और उनके आधार पर आक्षेप किया गया है। इस तरह के संकल्प के बारे में अपने सदन की प्रथा और ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रथा से हमको एक उदाहरण मिलता है। उसमें यह पाया जाता है कि "ऐलोकेशन आफ टाइम आर्डर्स" यानी 'समय का निर्धारण करना' इस बारे में संकल्प सदन के सामने में आ सकता है, यह प्रथा ब्रिटिश पार्लियामेंट में चली आ रही है। हमारे यहां भी पहले इसी प्रथा के अनुसार सदन में संकल्प लाये गये और उनके लिये कोई बाधा इस किस्म की कि उस संकल्प में एक ही कोई डेफिनिट, निश्चयात्मक विषय हो, ऐसी बात नहीं उठाई गई। क्योंकि जब समय का निर्धारण करना है, जैसे एक विधेयक के सम्बन्ध में अगर समय का निर्धारण करना है तो उसकी स्टेजेज होती हैं। पहले सामान्य वाद-विवाद होता है। दूसरे, उसके बाद खंडों पर संशोधन आते हैं और विचार होता है। फिर उसके बाद तीसरी रीडिंग होती है। तो हर एक स्टेज के लिये भी एक ही संकल्प द्वारा समय का निर्धारण होता है। इस तरह से एक ही संकल्प में भिन्नता आ जाया करती है।

मैं इस विषय में नारायणदत्त जी का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, सफ़ा ४६१ से ४६२–६३ तक दिलाऊंगा। मैं उसमें से थोड़े से शब्द पढ़ देता हूं —

"*Allocation of the Orders*—As stated earlier the allocation of limited amount of time to the stages of bills and occasionally other kinds of business forms no part of the general procedure of the House but is applied in each case to a particular bill.'

इसके लिये 'जनरल प्रोसीजर आफ दि हाउस' के लिये जो साधारण नियम बने हैं वह ऐसे संकल्प पर लागू नहीं होते।

एक तो यह बात इसमें दी गयी है, दूसरे पृष्ठ ४६२ पर शीर्षक "*Usual Provision of Allocation of Time Orders*"—में यह भी दिया गाया है कि "The regular provisions may be set out as follows:—

o Fr a typical recent example of such an order reference may be mad to the Ottawa Agreements bill (Allocation of time) order (d) Stages of Bill" इत्यादि।

इस प्रकार से सदन के संकल्प में स्टेजेज आफ़ दि बिल के बारे में भी आप पायेंगे कि हर स्टेज के लिये समय निर्धारित हो सकता है। यह भी हो सकता है कि भाषण देने के समय में भी नियंत्रण हो। इस तरह की कई बातें सदन का कार्य चलाने के लिये "मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" में दी हुई हैं। माननीय नारायण दत्त जी उनको पढ़ लें। तो मैं इसको और प्रस्तावों से पृथक समझता हूं और यहां की प्रथा भी चली आयी है। इस प्रकार उन्होंने जो नियम ७७ और ७९ का हवाला दिया उनके द्वारा इसके लिये कोई बाधा लागू नहीं होती। यह मेरा इस संबंध में स्पष्ट निर्णय है और इस तरह का प्रस्ताव सदन का कार्य चलाने के लिये आ सकता है। अब यह भी नियम २२३ में है कि कार्यवाही चलाने के बारे में, यदि कोई

नियम न हो और असाधारण सा संकल्प हो, जो कि प्रथा के अनुसार हो, उसके लिये मुझे ही निर्णय करना है नियम में ये शब्द हैं कि ऐसी अवस्था में कार्यवाही "Shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time direct." इस तरह के संकल्पों के विषय में अध्यक्ष निर्णय पहले ही दे चुके हैं ऐसे संकल्प लाये जा सकते हैं और यह प्रथा हमारे यहां बराबर चली आ रही है। इसलिये यह आपत्ति अब नये तौर पर नहीं उठाई जा सकती। जो फैसला हो चुका है, उसी पर सदन को चलना चाहिये और मैं उससे सहमत भी हूं और उसको बदलने की भी आवश्यकता नहीं समझता हूं। सदन का कार्य करने के लिये यह कोई बाधक नियम नहीं हो सकते हैं।

अब जहां तक नियम ७६ के बारे में मुझे निर्णय देना है, तो मैं कल ही अपना विचार कर चुका था कि कल यह संकल्प नहीं लिया जा सकेगा। क्योंकि कल यकायक ही सवेरे के वक्त में यह संकल्प मेरे सामने उपस्थित किया गया था, मुझे यह भी कल बताया गया था कि इसमें विरोधी दल से बात चीत भी हो चुकी है और कोई आपत्ति नहीं उठाई जायगी। वैसे आपत्ति उठाने का अधिकार तो किसी को भी है वह उठाये, मैं उस पर निर्णय दूंगा लेकिन औचित्य में इसी में समझता हूं कि जो आपस में दोनों दल विचार कर लेते हैं उस पर चलने में किसी को साधारणतः आपत्ति नहीं उठाना चाहिये। सदन का कार्य चलाने में मुझे भी अपने जो अधिकार हैं उनका वाजिब तौर से इस्तेमाल करना चाहिये इसलिये समझौते के अनुसार कार्य करने की सहूलियत देने की आवश्यकता होती है जिसमें सदन का कार्य शांतिपूर्वक चले। इसलिये मैं कल शाम को निर्णय कर लिया था कि बजाय इसके कि कल यह संकल्प लिया जाय इस मामले की एक रोज की नोटिस लोगों को दे दी जाय जिससे सदस्य गण इसके ऊपर विचार कर लें। यह कोई बड़ा भारी संकल्प तो है नहीं जिसमें बहुत स्टडी करने की जरूरत हो, छोटा सा संकल्प है, इस लिये मैंने एक रोज का समय उचित समझा और इस लिये इस संकल्प को वैधानिक समझता हूं और जो आपत्ति उठायी गयी है उसको नामुनासिब समझता हूं।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प के चार मुख्य अंग प्रतीत होते हैं। पहला तो यह है कि यह सदन १८ तारीख को यानी शनिवार के दिन भी बैठे और उसी दिन भी कार्य करे। जहां तक इस अंग का सम्बन्ध है इस सदन में विरोधी दल की ओर से सदैव यह विचार प्रकट किया गया है कि जहां काम पड़े या जहां वास्तव में शनिवार को बैठने के बाद जनता को जिसके लिये हम यहां बैठे हुए हैं कोई लाभ हो और सरकार को काम चलाने में सुविधा पहुंचे तो हम सदैव उसके लिये तैयार हैं। परन्तु इसके साथ ही साथ हमने यह आशा भी प्रकट की है कि शनिवार के दिन बैठने के लिये कोई विशेष कारण हमारे सामने हो और उस कारण पर विचार करने के पश्चात् हम यदि यह समझें कि यह कारण महत्वपूर्ण है तो तैयार होंगे। हमको इस सम्बन्ध में एक कारण बताया गया है कि इस विधेयक का एक नियत तिथि में पारित होना आवश्यक है। इसके बाद इस पर माननीय राज्यपाल तथा प्रेसीडेंट महोदय के दस्तखत होने हैं और जिस आर्डीनेन्स द्वारा अभी इस विधेयक की धारायें चलायी जा रही हैं उसकी अवधि भी समाप्त होने को आ रही है। अध्यक्ष महोदय, दुःख के साथ मैं कहूंगा कि मैं इसको कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं समझ पाया। हालांकि इस विधेयक के पारित होने का जो समय नियत है उसके अन्दर ही इसको पारित हो जाना चाहिये किन्तु हमने हमेशा यह प्रकट किया है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय तो हम सरकार से यह आशा करते हैं कि इस प्रकार के विधेयक जल्दी पेश किये जायं और देर में पेश करने के बाद फिर इस प्रकार यहां सब का गला घोटना, गिलोटिन कर के इस बिल को पारित कराना मैं समझता हूं हमारे लिये तो जैसा भी हो किन्तु इस सरकार के लिये और इस जनता की सरकार के लिये शोभा

*वक्ता ने भाषण पर पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

नहीं देगा। अध्यक्ष महोदय, आगे इस संकल्प में बतलाया गया है कि जनरल डिस्कशन आज सवा बजे तक रहे और तत्पश्चात् जब धारायें पेश हों तो संशोधन के प्रस्तावक तथा मंत्री दस-दस मिनट बोलें और बाक़ी अन्य सदस्य केवल पांच मिनट बोलें।

श्री अध्यक्ष--आप इस पूरे का विरोध कर रहे हैं या कोई संशोधन देना चाहते हैं ?

महाराज कुमार बालेन्दुशाह--अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोधी कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि आप देखें तो सामान्य विवाद में कल केवल चार ही सदस्य बोल पाये हैं। मैं जानता हूं कि हमारा यहां बोलना न बोलना वर्तमान सरकार के लिए एक ही है। किन्तु जिस विधि से यह सरकार चलाई जानी चाहिये और जो हमसे तथा सरकार से जनता आशा लगाये बैठी है उसको पूरा करने के लिये यहां अवसर देना सरकार का एक कर्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक के सम्बन्ध में कहने के लिये केवल मात्र मूल अधिनियम में सुधार करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, किन्तु देखने पर पता लगता है कि इस विधेयक का असर बहुत लम्बा-चौड़ा पड़ता है। ऐसी हालत में एक ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का यह यहां कहना कि चूंकि सरकार इस विधेयक को समय पर न ला पायी, चूंकि इस विधेयक का एक मुकर्रर दिन तक पारित होना आवश्यक हो गया है, इसलिये सदन के सदस्य अधिक न बोलें। और इसमें एक प्रकार की धमकी भी देते हैं कि अगर अधिक बोलते हैं, तो उसको गिलोटिन द्वारा पारित कर ही लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज विधेयक के संबन्ध में ही यह आपत्ति उठायी गयी थी। एक बार फिर मेरा यह दुख का कर्तव्य है कि मैं आपके सम्मुख यह आपत्ति उठाऊं और सदन से यह निवेदन करूं कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक को गिलोटिन द्वारा, बहुमत की सहायता द्वारा, बहुमत की बाहरी सहायता द्वारा पारित करना इस सदन की शोभा के लिये अपमान की बात है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि प्रतिदिन यह सदन ५ बजे से ६ बजे तक यानी एक घंटा और ज्यादा बैठता रहे। शनिश्चर के दिन इसकी बैठक न हो और सारा कार्य १७ सितम्बर, १९५४ को यानी शुक्रवार के दिन शाम को ६ बजे समाप्त कर दिया जाय। बाकी पूरा प्रस्ताव वैसा ही रहे जैसा कि इसके अन्दर है।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके अपने संशोधन की भाषा ठीक करके मेरे पास भेज दें।

श्री रामनरेश शुक्ल--मैं यह इसलिय प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों ने अपने-अपने कार्यक्रम बना लिये हैं बाहर के लिये और यकायक शनिवार के लिये बैठक हो जाती है...

श्री अब्दुल मुईज़ खां (जिला बस्ती)--प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, कल भी ऐसा हुआ कि जो प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने पेश किया था उसका विरोध अपोजीशन की तरफ से हो चुका। उसकी एक स्पीच हो चुकी। उसके बाद एक अमेंडमेंट पेश किया गया और आज भी संकल्प पेश हो जाने के बाद उसके अपोजीशन में एक स्पीच हो गई। उसके बाद अमेंडमेंट पेश किया जाता है। तो क्या यह मुनासिब है कि एक अपोजीशन की स्पीच हो जाने के बाद अमेंडमेंट पेश किया जाय ?

श्री अध्यक्ष--जी हां, जब कि कोई एक तत्काल संकल्प ऐसा आता है जिसके लिये जो सूचना देने का सात रोज का समय निर्धारित है, वह समय उठा दिया गया हो, तो किसी को तत्काल संशोधन लाने का अधिकार हो जाता है। चूंकि सदस्यों को सूचना एक ही रोज दी गयी थी, इसलिए संशोधन पहिले से ले ला नहीं सकते थे। फिर आज पहले

वैधानिक आपत्ति उठायी गयी और अभी उसके बारे में मेरा निर्णय हुआ है। उसके बाद ही मैंने बुला लिया विरोधी पक्ष वालों को। तो उन्होंने विरोध कर दिया। तो उसमें इस तरह की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है कि संशोधन देर में क्यों दिया गया। अगर समय काफी मिल जाय तो संशोधनों को पहले आना चाहिये। और उस अवस्था में भी मुझे अधिकार यह है कि कोई भी संशोधन बीच में भी लाने की मैं अनुमति दे दूं।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--प्वाइंट आफ आर्डर।

**श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री** (जिला गोंडा)--किस चीज पर प्वाइंट आफ आर्डर है?

**श्री अध्यक्ष**--सुन तो लीजिये पहले। फिर उसके बाद आप कहिये।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**--श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम ८२ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राम नरेश शुक्ल जी के संशोधन को इजाजत देने का मतलब निगेटिव वोट होगा। मेरा प्रस्ताव यह है कि रिजोल्यूशन को ही निगेटिव कर दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**--निगेटिव करना तो उसमें है नहीं। बिल्कुल विरोध नहीं करता है, बल्कि अमेंड करता है।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फ़ैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन करना चाहता हूं....

**श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री**--आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर सर। अभी जनाब वाला के सामने जब एक चीज पेश की तो उस पर एक माननीय सदस्य ने खड़े हो कर प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर दिया, वह रिजेक्ट हुआ तो दूसरा प्वाइंट आफ़ आर्डर रेज हो गया और अभी वह बात भी पूरी न हो पाई कि तीसरा प्वाइंट आफ आर्डर रेज हो गया।

**श्री अध्यक्ष**--आप का कहना सही है। राम नरेश जी अगर भाषण जारी रखना चाहें तो कर सकते हैं।

**श्री रामनरेश शुक्ल**--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने शनिवार के लिये निश्चित कर रखा है और हम इस अहमियत को मानते हैं कि यह विधेयक शीघ्रातिशीघ्र पास हो जाय, क्योंकि इसमें जनता का हित है। इसके लिये एक दो घंटे रोज हम लोग ५ बजे के पश्चात् बैठने के लिये तैयार हैं। जनहित के लिये हम लोग पीछे हटने के लिये तैयार नहीं हैं और आप का यह विधेयक इस तरह से शनिवार के पहले ही शुक्रवार की शाम को ही पास हो जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जो सुझाव मैंने रक्खा है उसे स्वीकार कर लिया जाय।

**श्री राजनारायण** (जिला बनारस)--माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव और रामनरेश जी का जो संशोधन है इन दोनों के बारे में मेरा मतभेद है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी का जो संकल्प है उसका जो उद्देश्य है वह यही है कि शीघ्रातिशीघ्र कार्य करने की आवश्यकता है। इस विधेयक को जल्दी पास करने के हेतु ही यह संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमन्, मेरे मित्र बालेन्दु शाह जी ने जो भाव प्रकट किये मैं उनके भावों के कतई साथ हूं। इतना अहम विधेयक है यह कि यह उत्तर-प्रदेश भूमि संशोधन विधेयक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश भूमि अव्यवस्था संशोधन विधेयक है, क्योंकि इससे बड़ी अव्यवस्था हो रही है। इस पर इस तरह से अंकुश नहीं लगाना चाहिये। मैं सरकार के किसी कार्य में बाधा नहीं डालना चाहता, लेकिन यह अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कि विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये और हमारा यह क्लेम और भी बढ़ जाता है जब कि यह तीसरा या चौथा संशोधन विधेयक इस सिलसिले में है। इसके पहले संशोधन विधेयकों पर जो भाषण हुए हैं उनको अगर माननीय अध्यक्ष

[श्री राजनारायण]

देखें तो उन्हें मालूम होगा कि जिन बातों पर हमने पहले जोर दिया था आगे चल कर उन में से कुछ को माननीय मंत्री मानते हैं, कुछ को कतरते हैं और कुछ को किसी दूसरे तरीके से रखते हैं। मेरा निवेदन यही है कि सदन को काफी समय मिलना चाहिये ताकि अगर कोई अव्यवस्था रह गयी हो तो वह भी निकल जाय। अगर हम यह देखें कि अनुचित तरीके से सदन के समय का दुरुपयोग हो रहा है तो माननीय राजस्व मंत्री का प्रस्ताव आ जाय। अगर आवश्यकता होगी तो ५ बजे के पश्चात् एक दो घंटे भी बैठा जा सकता है लेकिन मेरा स्पष्ट निवेदन है कि हर धारा पर अच्छी तरह से विचार प्रकट होने चाहिये क्योंकि यह विधेयक अपने प्रान्त की ४ करोड़ जनता से सम्बन्धित है। इतना मैं आप के जरिये माननीय राजस्व मंत्री को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जानबूझ कर हमारी तरफ से कार्य में कोई बाधा नहीं डाली जाती है।

**श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री**—जनाब स्पीकर साहब, इस तजवीज का जहां तक ताल्लुक है जो अभी हमारे वजीर साहब ने पेश की है उस सिलसिले में हमारे उधर के बैठने वाले मेम्बरों ने जिस ख़याल का इज़हार किया है उसूलन मुझे उससे इत्तफाक है कि कानून बनाते वक्त काफी सहूलित देनी चाहिये और वक्त में इस तरह से नहीं बांधना चाहिये कि जो गम्भीरता हमको उसे देनी चाहिये वह उसको न दे सकें। लेकिन हमारे सामने दिक्क़त भी है जैसा कि वजीर साहब ने फरमाया कि १२ अक्तूबर तक उनको आखिरी मंजिल तक पहुंच कर प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी हासिल कर लेनी है। तो उस मुश्किल को देखते हुये मैं समझता हूं कि इस तरह से कोई चीज तय हो जाय जिससे जनाब का मकसद भी हल हो जाय और दूसरे भाइयों का मकसद भी हल हो जाय। उसूलन मैं इस चीज को बड़ा ग़लत समझता हूं कि रोज यहां पर हम यह तय कर लें कि शनिवार को सेशन नहीं होगा। लेकिन अगर किसी खास अहम जरूरत के लिये एक तजवीज हो जाय तो ठीक है नहीं तो लोग अक्सर अपना प्रोग्राम बना लेते हैं कि उस दिन हम फलां जगह जायंगे या फलां काम करेंगे। जो तजवीज अभी हमारे भाई शुक्ल जी ने रखी है अगर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर के कोई कम्प्रोमाइज की शक्ल निकाल ली जाय तो मुनासिब होगा। कोई शक्ल हमारे शुक्ल जी और नेता अपोजीशन से मिल कर निकाल लें और वह गुफ्तगू करके उसको आप के सामने रख दें तो मुनासिब है। वह शकल ऐसी हो कि एक-एक घंटे का वक्त हम यहां पर ज्यादा बैठ लें चाहे ५ बजेके बाद ६ बजे तक या आप मुनासिब समझें तो १० बजे से ले कर ११ बजे तक वक्त निकाल लें और इस तरह से हम उस वक्त को पूरा कर लें तो इसमें सब साहबान की दिक्क़त हल हो सकती है। इससे शनिवार के लिये जिन लोगों ने अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है उनकी दिक्क़त भी हल हो सकती है। लोग अक्सर यह कहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी ही पास करा लेती है वह इल्ज़ाम भी दूर हो जायगा। अगर हम लोग सुबह को चाय पानी जल्दी से खा पीकर यहां आ जायं और अपना काम यहां पर शुरू कर दें तो आपकी दिक्क़त भी हल हो सकती है और हम लोगों को ज्यादा वक्त मिल जायगा कि इस बिल पर ज्यादा गौर के साथ बहस मुबाहसा कर सकें। लिहाजा मैं जनाब से इस्तदुआ करूंगा कि आप इनायत कर के थोड़ा गौर करें और मेम्बर लोग यहां पर एक घंटा ज्यादा बैठने की तकलीफ गवारा करें तो यह वक्त का तायुन हो सकता है और यह काम भी पूरा हो सकता है।

**श्रीमती चन्द्रवती** (जिला बिजनौर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय अपना यह विचार कर रही हूं कि यह बिल जो कि हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है बड़े ही महत्व का है और इसमें इतना कम समय विवाद के लिये देना न्यायसंगत नहीं होगा। मैं तो अपने विचार से यहां तक कह सकती हूं कि प्रायः मंत्रियों में बिलों को पास कराने के लिये एक होड़ सी लगी रहती है कि किसका बिल कितनी जल्दी यहां से पास हो। जो बिल बाहर की जनता के

जीवन के हितों से वास्ता रखता हो उस बिल के लिये यह फर्ज हो जाता है कि भवन के अन्दर अच्छी तरह से वाद-विवाद हो और अच्छी तरह से विचार होने के बाद सही चीज यहां से अगर पास होगी तो बाहर भी अच्छी तरह से कहने के लिये अवसर पा सकते हैं और आमतौर पर जो कोर्ट में "अल्टरा वायर्स" की बात पायी जाती है वह भी यहांसे पर्याप्त विचार करके पास करनेसे पूरी हो जायगी। यह आज कल एक रिवाज सा हो गया है कि बिल यहां से जल्द से जल्द पास कराने के बारे में विवाद के लिये समय नहीं देते। अगर कोई अपना विचार यहां पर इस सम्बन्ध में रखना चाहे तो वह भी यहां पर अच्छी तरह से नहीं आ सकता। मेरा सुझाव है कि इस बिल के लिये जितना भी अधिक समय दिया जाय उतना ही अच्छा होगा।

**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, जो माननीय नेता सदन और माननीय नेता संयुक्त दल ने रहा है .....

**श्री अध्यक्ष**--माननीय नेता सदन तो अभी आये ही नहीं हैं।

**श्री जोरावर वर्मा**--अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब नेता विरोधी दल से था। मैं यह कहना चाहता था कि जो संशोधन आया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ही नहीं पूरी सरकार इस बात की आदी हो गयी है और कम से कम ३ साल तो मुझे देखते हुये हो गये कि जब कोई बिल आता है तो उसके साथ इस प्रकार की पाबन्दी लगा दी जाती है। दूसरी तरफ जो छोटे-छोटे बिल होते हैं उनमें सरकार की तरफ से काफी छूट दे दी जाती है। जो बिल एक-एक दिन में पास हो सकते थे उनमें ४-४, ६-६ दिन लगा दिये जाते हैं। पिछले समय में ऐग्रीकल्चर इन्कमटैक्स बिल और रेंट कंट्रोल बिल आये थे, वे बहुत थोड़े समय में ही पास हो सकते थे लेकिन उनमें काफी समय लगा दिया गया। उनके लिये न तो कोई पाबन्दी लगाई गई और न कोई गिलोटिन का प्रस्ताव ही आया। लेकिन इस बिल का जिसका कि संबं प्रान्त को ६ १/२ करोड़ जनता से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से उसका संबंध है, उन कृषकों से सम्बन्ध है जिनकी कमाई हुई रोटी खा कर माननीय मंत्री जी और हम जिन्दा रहते हैं, उयपर सरकार चाहती है कि कोई विचार न किया जाय और उस पर गिलोटिन कर दिया जाय। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकार को सेंस आफ प्रपोर्शन नहीं है। मैं यह समझता हूं कि किसी भी सरकार और सरकर के मंत्रियों के लिये यह उनकी असफलता का परिचायक है कि वह किसी बिल में जल्दी-जल्दी संशोधन लायें। संशोधन जितने देर से हों उतना ही अच्छा है। इन तीनों सालों में ३ संशोधन तो इसमें आ ही चुके हैं जैसे सावन में लड़कियां गुड़ियों का खेल खेलती हैं उसी प्रकार यह सालाना इस विधेयक में संशोधन सदन में आ जाया करते हैं। इन सब के कहने से मेरा मतलब यह है कि इस बिल में इतनी खामियां हैं कि इस पर बड़ी अच्छी तरह से विचार होना चाहिये और इसके लिये जितना अधिक समय दिया जायगा उतना ही अच्छा है। रही पब्लिक इंटरेस्ट की बात, यह वैसी ही बात है जैसे कि बड़े-बड़े लैंड होल्डर्स टैक्स लगने पर किसानों के लिये झूठे आंसू बहाया करते हैं। उसी प्रकार माननीय मंत्री जी पब्लिक इंट्रेस्ट के नाम पर पब्लिक का ही गला घोंट रहे हैं। इस बिल के लिये टाइम लिमिट हो जाना किसी भी प्रकार से पब्लिक के हक में अच्छा नहीं है। इसलिये इस बिल पर जितना ही ज्यादा हम विचार कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। अगर माननीय मंत्री जी का इस बिल को जल्दी ही पास कराना था तो इसको पहले ही इन्ट्रोड्यूस करना था अथवा सैशन इससे पहले ही जुलाई से या पहली अगस्त से बुलाया जाना चाहिये था। मैं दो तीन साल से यही देख रहा हूं कि जब पब्लिक से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण बिल आता है तो माननीय मंत्री जी गिलोटिन लगा देते हैं। किसी भी सरकार के लिये और खास कर इस सरकार के लिय जो अपने को जनता की प्रतिनिधि कहती है, यह बड़े ही कलंक की बात है कि

[श्री जोरावर वर्मा]

वह जनता की समस्याओं पर विचार करने के लिये समय ही नहीं देती। चाहे हम शनीचर को बैठें, चाहे रोजाना एक घंटा अधिक बैठें, तो मैं चाहता हूं कि हम रात और दिन बैठें लेकिन कोई समय की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। चाहे जब तक हम विचार करें माननीय सदस्यों को पूरा-पूरा समय विचारार्थ देना चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी कम समय लगाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को व्हिप कर देना चाहिये था क्योंकि उनकी राय तो इससे पहले ले ही ली होगी। उससे समय भी कम लगेगा और विरोधी लोगों को भी अपनी भावनाओं को प्रकट करने का मौका मिल जायगा। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय यह है कि अगर आप इसे अलाउ करें तो आगे जो बिल लाये जायं उनमें गिलोटिन न किया जाय क्योंकि प्रायः यही किया जा रहा है कि जब तक कोई महत्वपूर्ण बिल आता है तो वह गिलोटिन कर दिया जाता है, उसको फांसी लगा दी जाती है। साल भर में जितने दिन सेशन होता है उससे अधिक दिनों ३–४ महीने के बजाय ५–६ महीने भी सेशन बैठ सकता है, क्योंकि ३–४ महीने से अधिक दिन सेशन नहीं किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, देहात में जो आदमी मजदूरों से खेती कराते हैं उनका हाल यह होता है कि वे मजदूरों से कहते हैं कि देखो यह काम होना चाहिये तभी तुम्हें छुट्टी मिलेगी। इसी प्रकार की पाबन्दी माननीय मंत्री जी हम पर लगा रहे हैं। यह बात मैं इस लिये कह रहा हूं कि जो बात यहां बरती जाती है उसका असर बाहर ६ १/२ करोड़ जनता के ऊपर पड़ता है। जब यहां कोई ऐसी बात होती है तो बाहर लोगों को उससे बड़ा अन्याय करने का उत्साह मिलता है। जो सदस्य साढ़े छः करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे इस प्रकार से बेगार ली जाती है तो वे सबल लोग क्या बेजा करते हैं। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें और अधिक से अधिक समय देने की कृपा करें।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस स्टेज पर माननीय मंत्री जी की एक इंटरवीनिंग स्पीच हो जानी चाहिये क्योंकि अभी नेता विरोधी दल ने कहा है कि अभी कुछ दिन वाद विवाद की प्रगति देख कर ऐसा प्रस्ताव लाने की बात सोची जानी चाहिये। श्री रामनरेश शुक्ल ने भी यह प्रस्ताव रखा है कि शनिवार के बजाय रोज ५ बजे से ६ बजे तक बैठें। तो मैं अपने संशोधन के राइट को रिजर्व रखते हुए आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि इस संबंध में अगर वे कुछ कंसोलियेटरी मूव दिखलावें तो उसके बाद मैं अपने संशोधन का प्रस्ताव रखूंगा।

**श्री अध्यक्ष**--माननीय राजस्व मंत्री जी, आप इस बीच में कुछ सुझाव देना चाहते हैं? मैं आप को बोलने की इजाजत दे सकता हूं। अगर संकल्प वैसा ही रखना चाहते हैं तब तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर आप के दिमाग में कोई सुझाव हो जिसको कि आप समझते हैं कि सदन स्वीकार कर लेगा, तो आप दे सकते हैं।

**श्री चरण सिंह**--मैं एक सुझाव दे सकता हूं और वह यह है कि इसमें जो समय की पाबन्दी १० और ५ मिनट की रखी गयी है वह निकाल दी जाय और जैसा कि त्रिपाठी जी कहते हैं कि आवश्यक हो तो वृहस्पतिवार या शुक्रवार को इस तरह की शर्त लगा दी जाय। दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर सदन को मंजूर हो कि बजाय शनिवार के बैठने के जैसा कि श्री राम नरेश जी ने सुझाव रखा है कि बजाय ५ बजे तक बैठने के रोज ६ बजे तक बैठते रहें तो बजाय शनिवार के इस तरह से कर दें या फिर शनिवार ही रखें लेकिन मेरी यह ख्वाहिश जरूर है कि समय मुकर्रर हो जाय कि जब तक यह पास हो और वह पास भी हो जाना चाहिये इसी सप्ताह में। मैंने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी है और श्री बालेन्दुशाह तथा श्री जोरावर वर्मा जी ने बड़े जोर की बातें कहीं उनका मैं फिलहाल कुछ जवाब देना नहीं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--तो मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि ऐसे वक्त में माननीय राजस्व मंत्री जी इसके उपरान्त सामान्य वाद विवाद जारी रहने दें और इस बीच में विरोधी दल के नेता और मुख्य सचेतक तथा और सब लोग माननीय राजस्व मंत्री जी से मिल कर इस पर विचार कर लें कि कौन सा रास्ता निकल सकता है। अगर सब की राय से कोई रास्ता निकल आये तो मैं समझता हूं कि उसके बाद संकल्प पर विचार होगा और नहीं तो कायदे के हिसाब से जैसा कि संकल्प में रखा गया है वैसे मैं दोपहर के बाद इसको ले लूं या कहें तो कल सबेरे भी इसको ले सकता हूं। कल तक संकल्प पर विचार स्थगित किया जाय और सामान्य वाद विवाद जारी रहे।

श्री चरण सिंह--मैं समझता हूं कि सामान्य विवाद सारे दिन जारी रहें तो इस तरह से दो दिन हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--मैं संकल्प को अभी स्थगित कर देता हूं। कल तक आप कोई संकल्प ला सकें जो कि समझौते से हो तो ज्यादा अच्छा है।

श्री चरण सिंह--यह भी तो समझौते से ही आया है।

श्री अध्यक्ष--अब जो सझौता हो, उस सम्बन्ध में और लोगों के भी विचार आप ने सुन ही लिये, श्रीमती जी को भी सुन लिया और अन्य सदस्यों को भी सुन लिया तो उसका भी कुछ असर समझौते को करने में होना चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी के इस संकल्प की ओर जिसमें कहा गया है कि १४ सितम्बर, १९५४ के १-१५ बजे तक इस पर सामान्य विवाद होना चाहिये। तो कल कोई यह न एतराज उठा दे कि साहब यह प्रस्ताव तो समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष--संकल्प में इस प्रकार का संशोधन थोड़ा सा कल हो जायगा तो इसके ऊपर आज विचार स्थगित किया जाता है लेकिन सामान्य विवाद आज दिन भर जारी रहेगा।

## *उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के ले आने पर मैं माननीय मंत्री जी को और इस विभाग के कर्मचारियों को बधाई देता हूं और उससे अधिक जो कल हमारे माननीय मंत्री जी ने इस पर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था, एक नीरस विषय को सरस बना दिया, उसके लिये मैं दोबारा आपको बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को ला कर के काफी कोशिश की गई है कि किसानों को, ग़रीब किसानों को फायदा पहुंचाया जाय, कानून से जो लोग नाजायज़ फायदा उठाया करते थे, उसका दुरुपयोग करते थे कानून के बन जाने के बाद उनके चंगुल से ग़रीब किसानों को छूड़ाने की फ़िक्र की गयी है पहले हो सकता था कि जिस भूतपूर्व ज़मींदार के पास कोई खेत नहीं है वह ८ एकड़ तक शिकमी काश्त में से ले सकता था लेकिन वह इसमें से अब निकाल दिया गया है। कुछ रोज़ पहले कुछ बड़े होशियार जमींदार अपने काश्तकारों से बहुत ज्यादा लगान लेते थे कुछ कम लेते थे किन्तु काग़ज़ में दिखाते थे ज्यादा। इसमें ऐसा कर दिया गया है कि यदि कहीं बहुत ज्यादा लगान है तो वह सरकिल रेट के दूने से अधिक न लिया जा सके। इस बात की कोशिश की गई है कि जहां तक मुमकिन है किसान मुक़दमाबाजी से छुट्टी पावें। हत्तुलइमकान

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ सितम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री सीताराम शुक्ल]

यह भी कोशिश की गई है कि ग़रीब किसानों को तकलीफ़ों से छुट्टी मिले लेकिन उसके बाद भी विरोध हुआ। आप ने देखा कि कल एक साहब ने डेढ़ घंटे, एक ने एक घंटे इस पर व्याख्यान दिया कि किसी काम का यह विधेयक नहीं है और अभी हमारे विरोधी दल के नेता साहब ने कहा कि यह भूमि की अव्यवस्था का विधेयक लाया गया है और यह भी कहा गया है कि जब तक ३० एकड़ से ऊपर वालों की ३० एकड़ से ऊपर तक की सारी जमीन न ली जाय और बांट न दी जाय तब तक भूमि सुधार क्या एक तमाशा है। इसी मजमून पर कुछ दिन पहले दो दिनों तक बहस हो चुकी है और हाउस ने उसे टाक आउट भी कर दिया है लेकिन फिर भी उसी पर डेढ़ घंटे तक सदन का समय लिया गया। साथ ही साथ कहा गया कि काश्मीर में बिना मुआविजा के जमीनें छीन ली गईं और जब वहां छीनी जा सकती हैं तो यहां भी छीनी जा सकती हैं। लेकिन यहां तो धनियों की रक्षा करने की कोशिश की गई है। भूतपूर्व जमींदार साहबान को अलग शिकायत है और आप साहबान की शिकायत भी जहां की तहां बनी है। मेरा तो कहना यह है कि तर्क दे कर, दलीलें दे कर कहां तक आप को समझाया जा सकता है।

मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपको दलीलें दे कर राजी नहीं किया जा सकता। अगर हमारी पार्टी विरोधी पार्टी के नेता से यह वायदा भी करें कि बिला शर्त के जमींदारी से उनकी सीर ले ली जायगी और तीस एकड़ से ऊपर की जमींने ले ली जायंगी और मुफ्त बांट दी जायगी उनकी राय के मुताबिक तो क्या फिर उनका विरोध ख़त्म हो जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या काश्मीर में इस तरह के बटवारे के बाद भी विरोधी वृन्द का विरोध ख़त्म हो गया है? क्या कहना है, जनाब की पार्टी के अन्दर ही हमारे लोहिया साहब कुछ कहते हैं और हमारे कृपलानी साहब कुछ कहते हैं। (विरोधी बेंचेज से एक आवाज़—क्या कहते हैं।) हमसे आप ज्यादा जानते हैं, हमसे आप को ज्यादा मालूम है लिहाजा हमें आप की पार्टी की बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कहना आपका यह है कि धनियों से जमीन ले लीजिये और ग़रीबों को दे दिया जाय, सोचने में बहुत अच्छी बात है। मैं भी सोचता था कि अच्छी बात है, कि बड़े जमींदारों से क्यों न जमीन ले ली जाय और मुआविजा कुछ दे दिया जाय जिम्मेदारी से कहता हूं मैं भी ऐसा सोचता था और जल्दी ही ध्यान न बदला होता तो मुमकिन है कि आज भी आप को सपोर्ट करता लेकिन जहां तक इस बात का सम्बन्ध है गौर फरमाइये कि अगर बिल मुआविजे के भूमिधर बनाया जाय तो क्या होगा। एक तरफ तो यहां तक ढिंढोरा पीटा गया था कि दस गुना लगान दे दो तुम अपने भूमि के मालिक होगे, स्वामी होगे तो जिसके पास रुपया था उन्होंने दे दिया। किन्तु यदि बिना पैसा लिये भूमिधर बनाया जायगा तो अब वह तो बेवकूफ हो गया और जिसने रुपया नहीं जमा किया वह होशियार हो गया है। अगर सरकार ही की बातों का ठिकाना न रहेगा और कानून बदल जायगा, उसकी इज्ज़त चली जायगी तो मैं समझता हूं कि इस देश की यह बदक़िस्मती होगी। जिस किसान ने पैसा दिया और भूमिधर बना, उसका भी पैसा उसके पास से सरकार के पास तो चला आया। तो सरकार कोई अलग चीज नहीं है। पैसा आया तो सड़कें बनीं, स्कूल खुले, जनता की तरक्की के दूसरे काम हुए फलस्वरूप पैसा उन्हीं के काम आया। अतः बिना मूल्य लिये शिकमी किसानों को भूमिधर बना दिया गया तो बड़ी भारी दिक्क़त पेश आयेगी। यह भी कहा जा सकता है कि साहब, काश्मीर में बिना मुआविजा दिये जमीन छीन लिया तो यहां क्यों नहीं छीनी जा सकती है ठीक है, जो कुछ हुआ ठीक हुआ, लेकिन मैं इतना बतला देना चाहता हूं कि वहां संविधान के खिलाफ काम हुआ है इसलिये कि भारतीय कांस्टीट्यूशन में पास किया गया है बिला मुआविजा दिये जमींन नहीं लेंगे। वहां संविधान के खिलाफ काम हुआ तो उसका नतीजा भी हुआ कि वहां के शेरे काश्मीर आज जेलखाने में बन्द हैं। अन्याय करने का नतीजा देखिये। दुनिया में और भी मिनिस्टर गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन विरोधी सरकार के आने पर, परन्तु आज वह शेरे काश्मीर अपनी ही सरकार की हथकड़ी से बंद हैं। तो जो शेरे काश्मीर ने किया है वह यहां भी किया जाय यह अक्लमंदी न होगी।

इसके साथ ही मैं यह भी अर्ज़ करता हूं कि आप साहबान की बातों को तरजीह नहीं की जा सकती, इसलिये कि हमें ठीक रास्ते पर चलना है। आप तो हमारे अच्छे काम की भी मुखालिफत करेंगे और बुरे काम की भी मुखालिफत करेंगे। आप ने देखा कि अच्छे अच्छे सवाल आये लेकिन आप लोगों की तरफ से मुखालिफत होती ही रही इसलिये मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन एक बात अदब के साथ कह दूं जिसमें कि वेट है और उस बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी अभी एक सवाल आप के सामने आया था कि जल्दी न कीजिये। आप ने खुद मंजूर कर लिया कि हमें इस पर विचार करना है। अभी मेरे एक दोस्त ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि फांसी देना चाहते हैं। मैं प्रोटेस्ट करता हूं कि इसलिये यह पार्लियामेंटरी शब्द नहीं हैं। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि मिनिस्टर साहब का प्रस्ताव फांसी देना नहीं है। साथ ही मैं माननीय मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप के दिल में ग़रीबों के लिये प्रेम है किसानों के लिये प्रेम है और इसीलिये आप चाहते हैं कि प्रस्ताव जल्दी पास हो जाय, कम समय लगाना चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं होनी चाहिये कि कोई ग़लती हो जाय। यह ऐक्ट बने हुये चन्द रोज़ हुए हैं लेकिन यह तीसरी बार अमेंडमेंट हो रहा है इसमें। पहला अमेंडमेंट हमारे आनरेबिल पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब का, मौर्य जी का है। यह आप ही का बिल है और आप ही अमेंडमेंट पेश करते हैं इतनी जल्दी ही। यहां मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरे कुछ भाइयों ने यह फरमाया था कि उत्तर प्रदेश पूर्व और पश्चिम में बंट जाना चाहिये इसलिये कि हाउस की तादाद ज्यादा है और हमको अपनी बातें कहने का मौका नहीं मिलता। जब २२८ मेम्बर थे तब भी बजट उसी समय पास हो जाता था और आज भी जब कि सदस्यों की संख्या ४३० है उतने ही समय में पास हो जाता है। कोई कानून बनाना है तो उसके लिये हमें गौर करने का, सोचने का, समझने का मौक़ा दीजिये। आप के जोश में, कोशिश में कोई शुबहा नहीं आप की नियत अच्छी है लेकिन काम का नुक्सान हो जाता है। किसी ने कहा है --

"दिल भर के न देखा था होने लगी रुसवाई"

तो हुजूरवाला, जरा ठंडे दिमाग़ से ग़ौर कीजिये और वक्त लगाइये, सेशन का टाइम बढ़ा दीजिये। यह क्या कि आप फ़ौरन् पास करें। मैं ऐप्रीशियेट करता हूं अपोज़ीशन की बात को। ठंडे दिल से गौर करना चाहिये ताकि हमको मौक़ा मिले। अब मैं आप से अर्ज़ करता हूं कि आप ने यह रखा है कि....

**माल मंत्री (श्री चरण सिंह)**--मैं जरा एक बात कहना चाहता था। कान्स्टीट्यूशन सन् १९५० में लागू हुआ और तब से अब तक उसमें तीन अमेंडमेंट किये गये हैं। और यह ऐक्ट जब से पास हुआ तब से अब तक दूसरा ही अमेंडमेंट ला रहा हूं।

**श्री सीताराम शुक्ल**--मंत्री महोदय ने फ़रमाया कि चूंकि वहां बदला गया लिहाजा यहां भी बदला जा रहा है। यह अकलमन्दी नहीं है। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती, पानी से साफ़ होती है। हुजूरवाला मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कानून मुनासिब नहीं है। किन्तु कानून होता है, सब के लिये। मैं मानता हूं कि मंत्री जी की बात आज भी जमींदारी टूटने के बाद भी कुछ भूतपूर्व जमींदार ऐसे हैं जो बहुत दुरुपयोग करते हैं कानून का। हमारे क्षेत्र की बात है एक आध जमींदार ऐसे हैं उनके लिये उनकी जमींदारी टूटी नहीं। काश्तकार उनकी शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि तुम लिख कर दो तो उन्होंने कहा कि हम लिख कर नहीं देंगे, इतना वे डरते हैं, मगर यह ऐक्सेप्शन है, सब एक से नहीं हैं। आज भी बहुत से ऐसे जमींदार हैं जो कि उदारता से काम लेते हैं। मेरे जिले में जमींदारी टूट जाने के बाद भी अपने पूरे मौजे की सीर को स्कूल में लगा दिया। श्री कृष्ण पांडेय ने मुझ से कहा कि भाई मैं इमारत बनवा रहा था पर मैं बीमार हूं, पैसा नहीं है मेरे मुआवजे का पैसा दिलवा दो तो कुल का कुल दान कर दूंगा। जहां बदमाश

[श्री सीताराम शुक्ल]

जमींदार हैं वहां भले भी हैं इसलिये सब एक से न समझिये। ५, ५ बीघे के, दो-दो, एक-एक बीघे के जमींदार भी हैं, मेरे क्षेत्र में। यह इंसाफ नहीं होगा अगर किसी जमींदार का नाम शिकमी में है वह तो छुड़ाया जा सकता है और अगर किसी काश्तकार का है तो नहीं छुड़ाया जा सकता है। कानून सब के लिये एक होता है। कानून में पड़ गया सजा हो गई। हुजूरवाला, इसका दुरुपयोग होगा,। आप की नियत बहुत पाक है लेकिन मैं आप से अर्ज करूंगा कि आप के जहां अनेक सरकारी अफसर बहुत अच्छे हैं, ग़रीबी से जिन्दगी बसर करते हैं, वहां यह भी याद रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी शक्ति का मिसयूज करते हैं। कानून के रहते हुए जमानत नहीं लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं स्वयं कहकर मुकदमा दायर करवा देते हैं। मेरे जिले की बात है। उस अभियुक्त ने कहा कि जमानत के लिये ५ हाथी हैं दो बैलगाडी चावल है और नकद जमानत है। किन्तु मैजिस्ट्रेट ने जमानत नहीं ली, जेलखाने में डाल दिया। आप की नीयत के प्रतिकूल दुरुपयोग होगा। आप ही की गवर्नमेंट है, मुन्सिफ आप के हैं हाईकोर्ट आप का है, अच्छे लोग चुने जाते हैं, लेकिन वहां कोई पहुंच नहीं पाता। अगर आप यह समझते हैं कि भूतपूर्व जमींदार पैसे वाले हैं, तो यह ग़लत है। मैं आप से कहता हूं कि आप की पार्टी के मेम्बर, कृषि आय कर प्रति रु० १० आना जो टैक्स लगाया गाया है, अपने खाते बेचना चाहते हैं। मेरी गुजारिश है कि उनके पास पैसा नहीं रह गया। तो अगर आपने उन अफसरों पर से प्रतिबन्ध हटा लिया तो क्या होगा, दुरुपयोग होगा, उसका नाजायज फायदा उठाया जायगा। यह आप की बेइन्साफी होगी। मैं अर्ज करूंगा कि आप की नियत पवित्र है। आप ने कानून-क़ायदे बनाये कि फिरकापरस्ती नहीं होनी चाहिये, कम्यूनलिज्म बहुत बुरी चीज है। ठीक है। लेकिन आज होता क्या है कि फलां जाति का आदमी है उसको जगह नहीं मिलती, एक मुसलमान, अध्यक्ष महोदय, इस समय जगह नहीं पाता। अपने ही मुल्क में वह पराये हो गये हैं। मैं मानता हूं कि मुस्लिमलीग ने कम्युनलिज्म का नारा लगाया। उन्होंने नारा लगाया कि बुरा से बुरा मुसलमान अच्छा है, अच्छे से अच्छा हिन्दू बुरा है। मगर मैं कहता हूं कि बुरी वह भी चीज थी बुरी यह भी है। हमें तो सिर्फ इन्साफ करना चाहिये। हरिजन हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, सब को योग्यतानुसार जगह मिलनी चाहिये। अभी तक हिन्दू मुसलमान का ही फर्क था, अब वह और बढ़ रहा है। इसको मिटाने के लिये और कानून बनेगा। लेकिन कानून से क्या होता है। आप ने शराबबन्दी के लिये कानून बनाया लेकिन क्या वह बन्द होगया? आप ने कानून बनाया कि हरिजनों के साथ अस्पृश्यता न बरती जाय, तो क्या ऐसा होने लगा। हरगिज नहीं। यदि उसे दूर करने के लिये और नये कानून बनाये जांय तो मैं आप से अर्ज करता हूं कि उसका भी दुरुपयोग होगा। कानून बना कर किसी बेईमान को ईमानदार नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि जो काम प्रचार से हो सकता है वह कानून से नहीं हो सकता। इसलिये मेरी गुजारिश है कि आप कानून बना कर ऐसा काम न कीजिए कि अनेकों को नुक्सान उठाना पड़े। मैं आप से अर्ज करना चाहता कि आप मौका दीजिये लोगों को ऐसा समझाने के लिये कि हम यहां पैदा हुए हैं, हमारा बराबर का हक़ है, सब समान हैं। अगर ऐसा आप इन्साफ करेंगे, इन रास्ते को अख्तियार करेंगे तो इसमें कोई शुबहा नहीं कि जैसे हमने आसानी से गुलामी दूर की, हमने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया वैसे ही हमने ग़रीबों को धनी भी बनायेंगे। रेस्ट हम कहां ले सकते हैं जब तक मुल्क खुशहाल नहीं हो जाता.....

श्री अध्यक्ष—आप तो आम बातों पर बहुत कह रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—जी, अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं अपना संशोधन खंडों में लाऊंगा और उस पर उस समय अर्ज करूंगा। इस वक्त तो मुझे इतना ही कहना था।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा विस्मय अभी हुआ और दुख भी हुआ माननीय सीताराम शुक्ल को सुनने के बाद। ताज्जुब तो कल से हो रहा था कि जब किसानों के प्रति अपने को हमदर्द कहने वाले और यहां और बाहर भी इस बात का दावा करने वाले कि किसानों का हित ही उनकी जिन्दगी का एक अकेला उद्देश्य रहा गया है, इस सदन के अन्दर जब यह विधेयक पेश हुआ तो इस विधेयक का न जाने किन-किन शब्दों में स्वागत करने लगे। दुख आज इस बात पर हुआ कि हमारे साथी माननीय सीता सीताराम जी शुक्ल ने भी इस विधेयक पर वह राय जाहिर की जिसकी कम से कम उनसे आशा नहीं करता था। इस विधेयक के पढ़ने के बाद में मैं कहता हूं कि सारी चीज इस विधेयक की छोड़ दी जाय अगर एक चीज इस विधेयक की ले ली जाय तो वही काफी है इस बात के लिये कि इस विधेयक का, हर एक वह व्यक्ति जो कि किसानों के कार्यों में जरा भी दिलचस्पी रखता है खुले हृदय से स्वागत करे। यह हो सकता है कि इस विधेयक के खंडों को अगर देखिये आप तो विरोधी दल के किसानों के बीच काम करने वाले माननीय गेंदा सिंह भी बावजूद इसके कि वह जिस स्थान पर बैठते हैं और जिस स्थान से खड़े होकर बोल रहे थे, उसकी मजबूरियों के होते हुए भी उन्हें भी मजबूर होना पड़ा यह कहने के लिये कि इस विधेयक के अन्दर बहुत सी खूबियां भी हैं। उन्होंने कल यह कहा। मुझे अच्छी तरह से उनके शब्द याद हैं। मैं तो अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात कहन चाहता हूं कि और कुछ भी न सही इस विधेयक के अन्दर, लेकिन एक बात आप देखें कि कितना क्रांतिकारी कदम है इस विधेयक में कि ४४ लाख अधिवासियों का प्रश्न यानी उनके भाग्य का निर्णय होने वाला है जिनका भाग्य कल तक झूले में झूला करता था, जिनके भाग्य के बारे में इस विधेयक के आने से पहले मुझे पता नहीं था कि उनके भाग्य का क्या होगा जून तक मैं नहीं समझ पाता था कि जो भी खबरें मिलती थीं जिनको मैं सुनता था लेकिन समझ नहीं पाता था कि उनके भाग्य का क्या निर्णय होनेवाला है। ४४ लाख खाते यानी १४ लाख फेमिलीज के भाग्य का निर्णय जिसके अन्दर हो, जिसके अन्दर इतने व्यक्तियों को अधिकार दिये जा रहे हों कि वह सदा के लिये सीरदार होंगे, भूमिधर होंगे, यह अवसर उनको दिया गया है तो ऐसा क्रांतिकारी विधेयक और कौन सा हो सकता है?

मैंने अधिवासियों के बीच घूमकर देखा है, मुझे उनकी दिक्कतों के बारे में पता है कि किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। किस तरह से बड़े खातेदारों और पुराने जमींदारों ने उनको परेशान किया है। जिन्होंने उनकी परेशानियों को देखा है, जिन्होंने उनके अनिश्चित जीवन को देखा है वह समझ सकते हैं कि इस विधेयक का स्वागत करना चाहिये या नहीं। मैं एक चीज की तरफ अध्यक्ष महोदय, इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके द्वारा कि कि यह विधेयक एक महान् क्रांतिकारी विधेयक है। इसके लागू हो जाने के बाद, इस प्रांत में भूमि व्यवस्था वह स्वरुप धारण करेगी जिसका ख्वाब हर किसान कार्यकर्ता ने देखा था। अब यह दिन चला जाना चाहिये कि कोई भी सीरदार, कोई भी खातेदार इसलिये अधिवासी बनाये कि उसके पास जमीन ज्यादा है। मैं कहता हूं कि इस प्रकार का विधेयक इस सदन में आये तो उसके पास होने में ज्यादा लगने की क्या आवश्यकता है। एक स्वर के साथ एक मिनट के अन्दर उसको पास करना चाहिये।

श्री बालेन्दशाह जी की विरोधी बात को तो मैं समझता हूं कि जितना वक्त इस विधेयक के पास होने में लगे अच्छा है, कोई हर्ज नहीं है। यह बात तो मेरी समझ में आती है। लेकिन जिन्होंने देखा है कि इस विधेयक के पास होने में एक एक दिन का क्या असर पड़ेगा, कितने मुकद्दमे दायर हो गये हैं? जिन्होंने कचेहरियों में अधिवासियों की परेशानी को देखा है, उनको पता है। जो आर्डिनेंस माननीय मंत्री जी ले आये हैं जिसके आने में १०-१५-२० दिन की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

देरी हो गयी हैतो कितने अधिवासी बेदखल हो गये हैं ? अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पास होने में यदि देर की जाती है तो बहुत से अधिवासी बेदखल हो जायेंगे। माननीय मंत्री जी की कृपा से थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। एक आर्डिनेंस ईश्यू किया गया है कि इनके मुकद्दमे अदालत दीवानी से हटाकर अदालत माल में भेज दिये तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा एक बात कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जैसी कि आजकल खबरें इधर उधर अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं कि वह ऐसी भी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं' कि सरकार सीरदारी के अधिकार खरीदकर अधिवासियों को दे देंगी और वही लगान कायम रखेंगे जो मौजूदा अधिवासी दे रहे हैं और जब वह पूरा हो जायगा तो उनको भूमिधर और सीरदार के अधिकार दे देंगे। यह बात मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी तक पहुंचना चाहता हूं कि इसकी बड़ी आवश्यकता है कि कहीं ऐसा न हो कि अधिवासी ऐसा रह जाय कि वह पैसा न दे सके और मजबूर होकर उसको बेदखल होना पड़े। जहां तक मैं जानता हूं कि वह यह है कि आज लोग परेशान हैं और इस इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ही कानून पास हो वह फौरन १० गुना या १५ गुना देखकर वह भूमिधर या सीरदार के अधिकार ले सकें लेकिन यह भी मुझे शुबहा कभी-कभी होता है कि कहीं-कहीं ऐसे भी अभागे हो सकते हैं जिनके पास बावजूद चाहने की भी, इच्छा के भी की, १० गुना या १५ गुना दें, पैसा न हो और कुछ ऐसी ही बाधा या परिस्थिति हुयी और उन्हें बेदखल होना पड़ेगा। तो ऐसी व्यवस्था का भी होना, अध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक समझता हूं कि माननाय मंत्री जी कोई ऐसा व्यवस्था करें कि एक भी अधिवासी को इसलिये न बेदखल होना पड़े क्योंकि वह १५ या १० गुना नहीं दाखिल कर पाया। जब तक वह न दे, तब तक वह उतना ही लगान देता रहे जितना कि उसका लगान मौजूदा काल में है। तो मैं आपके द्वारा माननीय सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि इतने इतने क्रांतिकारी विधेयक का हृदय से स्वागत होना चाहिये इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, जहां तक अधिवासियों के प्रश्न का सम्बन्ध है उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैंने हृदय से महसूस किया है उनका कठिनाइयों को। मैं जब परेशान होता था और देखता था कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, जबकि चारों तरफ यह प्रचार हुआ कि अब अधिवासियों की जमीनों की बेदखली के लिये सरकार की तरफ से आज्ञा जारी हो जायगी तो वह बेसबरी या वह परेशानी जो गांव में हुआ करती थी, जो छोटी-छोटी जोतें बीघा दो बीघा, ३ बीघा ५ बीघा और १० बीघा तक के काश्तकार थे वह कितने परेशान हुआ करते थे। यह मुमकिन हो सकता है अध्यक्ष महोदय, कि थोड़े से बड़े काश्तकारों को थोड़ी सी कठिनाई हो जाय, क्योंकि वह ताक लगाये बैठे हुए थे और इस इन्तजार में थे और इस तरह से अपना प्रचार कर रहे थे और सरकार से इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि अब अधिवासियों को बेदखल करने का अधिकार सरकार जल्दी से जल्दी दे-दे। उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन उन्हें भी इस बात में दिक्कत महसूस नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अब समय बदल गया।

श्री अध्यक्ष--अभी आप थोड़ा समय और लेंगे ?

श्री रामनरेश शुक्ल--जी हां।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस संशोधन विधेयक में यदि कुछ भी नहीं होता और केवल यही मदद जो अधिवासियों को दी गयी है होती तो यदि कोई भी प्रगतिशील विरोधी दल होता तो वह सरकार को बिना बधाई

दिये हुए नहीं रह सकता था। इसके अतिरिक्त मैं आपके द्वारा एक और भी बहुत आवश्यक और जरूरी बात की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों में जिन्होंने काश्तकारों और पुराने जमींदारों के संघर्षों को देखा था और उनकी चालों और उनके तरीकों को पहचाना था तो आज उसके लिये भी दवा इस संशोधन विधेयक में है। वह इस तरह से है कि पिछले दिनों में जमींदारों ने अपनी जमीनों को अपनी स्त्रियों के नाम ट्रांसफर कर दिया था, उनको मौरूसी काश्तकार बना दिया था, पट्टे उनको लिख दिये थे और चूंकि जमीनें इतनी ज्यादा अपनी औरतों के नाम लिख दी थीं कि उनके लिये किसी प्रकार से उन पर खेती करना असम्भव था, तो उन्होंने अधिवासियों को और दूसरे लोगों को उस पर खेती करने के लिये दे दिया था। इस विधेयक के द्वारा इसमें संशोधन यह हो गया है सेक्शन १५७ में कि अब भविष्य में केवल डिसएबिल्ड वही स्त्रियां मानी जायगी जो विधवा हों, या अनमैरिड डाटर या डीबोर्स्ड स्त्रियां। तो इस प्रकार से इस संशोधन द्वारा बहुत से काश्तकारों को जमीन मिल जायगी। इसके अतिरिक्त एक और भी बड़ा भारी समस्या इस समय सारे...

**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, धारा १० में संशोधन इस बिल में नहीं है। अगर हो तो जरा माननीय रामनरेश जी दिखला दें।

**श्री रामनरेश शुक्ल**--धारा १० की बात मैं नहीं कह रहा हूं, १५७ की बात कह रहा हूं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन प्रदेश की एक बड़ी भारी समस्या यह थी कि बहुत से लोगों ने सार्वजनिक जमीनों के पट्टे लिखा लिये थे, चरागाह, खलिहान, रास्ते और तालाबों के पट्टे लिखा दिये थे। इसके लिये पिछले कानून में रास्ता केवल यह दिया गया था कि उसके लिये दीवानी में जाकर के उस पट्टे के कैंसिलेशन के लिये गांव सभा या कलेक्टर खुद नालिश दायर करे। मुझे अपने जिले का अनुभव है उपाध्यक्ष महोदय कि एक भी दावा कलेक्टर की तरफ से नहीं दायर किया गया, केवल दो चार दावे सार्वजनिक जमीनों के चाहे वे तालाब हों चाहे चरागाह हों, पट्टे रद्द करने के लिये दायर किये गये थे। उपाध्यक्ष महोदय, दीवानी के झंझटों दिक्कतों और परेशानियों से यह सदन पूर्ण रूप से परिचित है और इसका कारण बावजूद इसके कि देहात के अन्दर सार्वजनिक स्थानों की जमीनों उठायी गयीं। लेकिन कोई भी उनके पट्टों को रद्द करने के लिये नालिश नहीं दायर करता था। इस संशोधन द्वारा यह अधिकार कलेक्टर को दिया गया है कि गांव समाज के लोग कलेक्टर के यहां दरख्वास्त दें कि यह सार्वजनिक स्थान की चीज, तालाब चरागाह, रास्ते परती, कब्रिस्तान या मेला का स्थान या और भी जो इस प्रकार के सार्वजनिक स्थान हैं, अगर उसके पट्टे हो गये हैं तो इस संशोधन में इस का प्रबन्ध किया गया है कि कलेक्टर उसकी जांच करके समरी तौर पर उनके पट्टों को रद्द कर दे। अगर दूसरे फरीक को किसी प्रकार की शिकायत है तब वह जाकर अगर दूसरे फरीक को किसी प्रकार का शिकायत है तब वह जाकर दीवानी में नालिश करे। यह एक ऐसा रास्ता है जो इसके पहले होना चाहिये था। पहले नहीं किया गया, अब किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि इसके द्वारा जो गांवों की जिन्दगी बिगाड़ दी गयी थी पट्टों के जरिये नजराने की लालच में जो जमीनों को दे दिया गया, जिसपर लोगों ने कब्जा कर लिया, और गांव के ढोरों को चरने के लिये कोई स्थान नहीं रह गया, खेतों को सींचने के लिये जो तालाब थे उनके पट्टे कर दिये गये और भी इस प्रकार के सार्वजनिक स्थानों के पट्टे हो गये थे उनके रद करने के लिये एक आसान जरिया निकाला जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, इस संशोधन में आप इस चीज को भी देखेंगे कि अगर कोई जमीन दो से तीन वर्ष तक खाली रहती है तो कलेक्टर उस जमीन या उस जमीन के हिस्से को ले कर जिसके नाम चाहे उसका प्रबन्ध कर दे। इस बात की शिकायत माननीय गेंदा सिंह जी ने जरूर की, वह शिकायत मेरी समझ में इस वजह से नहीं आयी कि क्या वह चाहते थे कि वह जमीन कलेक्टर न ले और उसी के पास वह जमीन पड़ी रहे जो उसकी जोतता नहीं खाली डाले हुए है। यह तो अच्छा ही हुआ है। उनकी यह शिकायत कि कलेक्टर उनके

[श्री रामनरेश शुक्ल]

नाम स्वीकार करेगा जिन को वह चाहेगा खासकर जब इस प्रकार के आदेश हैं और कानून भी है कि जमीन पहले उन को दी जाय जिनके पास जमीन न हो या शिक्षा संस्थाओं को दी जाय तो सरकारी अफसर सरकार के आदेशों पर ही चलेंगे।

इसके अतिरिक्त एकबात, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अधिवासियों के मुकद्दमों का ज्युरिस्डिक्शन दीवानी से हटाकर रेवेन्यू कोर्ट्स में कर दिया। लेकिन अभी सीरदारों मौरूसी काश्तकारों का जुरिस्डिक्शन दीवानी ही में बाकी है। जहां तक टाइटिल का सम्बन्ध हो वह मुकदमे तो दीवानी में जाने चाहिये। लेकिन यह तो सरकार इस बात की घोषणा कर दे कि उसने जमीन के मालिकों पर अंतिम रूप से निर्णय कर लिया है अगर सुधार का पीरियड पहले के जुग से परिवर्तन कर रहा है और यह प्रदेश सरकार और समाज उस समय से गुजर रहा है जबकि जमीन का मामला शेष पकड़ रहा है तो उस पीरियड के अदन्र यह जरूरी नहीं है कि एक तरफ तो आप सुधार करते जायं और दूसरी तरफ दीवानी की कचेहरियां उन सुधारों को काटती जायं मैं उदाहरण के लिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि दफा ४ के जरिये १३५९ फसली में जो अधिवासी थे उनको काश्तकारी के अधिकार दे दिये गये तो जिन जगहों पर दिये गये, यों तो सब जगहों पर पूरे तौर से मिले नहीं, लेकिन थोड़े बहुत जिलों के अन्दर जो दिये गये उसके बाद उन काश्तकारों के खिलाफ मुकदमें फाइल किये गये और दीवानी के अन्दर इंट्री में इंजेक्शन ईश्यू करके सारे कानून का जो मंशा था वह खत्म कर दिया गया और उन काश्तकारों को कुछ नहीं मिला बजुज इसके कि उनके घर से भी रुपया चला गया क्योंकि दीवानी ने दूसरा रुख अख्तियार किया। उन्हें यह आनन्द जरूर रहा कि उनका अधिवासी नाम रिकार्ड हो गया। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह धीरे धीरे की जो नीति जारी है जिसके मातहत एक मर्तबा आधवासी को दीवानी से हटा रहे हैं, फिर सीरदार को हटायेंगे तो इसी में यों न यह कर दिया जाय वर्ना भविष्य में चल कर एक निश्चित रास्ता न होने के कारण उनके खो जाने का डर है। इसके अतिरिक्त पिछले कानून में यह भी था कि अगर गांव समाज का कोई व्यक्ति गड़बड़ा करता था, अगर पूरे गांव समाज ने गड़बड़ी नहीं की है तो एक व्यक्ति के लिये सबके खिलाफ कुछ कार्यवाही की जाय यह अनुचित बात थी लेकिन एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही अब हो सकेगी यह उचित ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात की तरफ आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाऊंगा एक बड़ी दिक्कतकाश्तकारों को यह थी कि बटवारे के लिये पहले सवा ६ एकड़ से अगर कम जमीन होती थी तो बटवारा नहीं हो सकता था। जब इस देश के अन्दर यह सिद्धांत निश्चित कर लिया गया कि छोटी जोतों से फायदा होगा, बड़ी जोतों से फायदा नहीं होगा तो फिर सवा ६ एकड़ पर एकदम से रुकने से बड़ी हार्डशिप हो जायगा और किसानों के अन्दर परसों तक जो यह मांग थी बटवारे के लिये उसे और घट जाना चाहिये। तो इस संशोधन विधेयक के द्वारा अब ५ बीघे तक जोत होने पर बटवारा हो सकता है।

इसी प्रकार से लगान की कमी का भी इसमें प्रबंध किया गया है। जिन जमीनों को अभी पूरी आमदनी नहीं होती है जो अभी तक पूरे तौर पर डेवलेप नहीं हो पाया है उनके लिये कलेक्टर के यहां दरख्वास्त देने पर लगान में कमी हो सकती है। तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इस संशोधन विधेयक का पूरे तौर पर समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं जो उत्तर प्रदेश सदा से भूमि के मामले में काश्तकारों के हितों के मामले में अग्रगामी रहा है और जो प्रांत सन् १९३० से लेकर भारतवर्ष में काश्तकारों के हितों के लिये लड़ता रहा है और उनके लिये काम करता रहा है वह उत्तर प्रदेश आगे भी इस काम में अग्रगामी रहेगा। भारतवर्ष में जहां भी भूमि सुधार हुए हैं उन भूमिधारों में हमारा यह प्रान्त सब से अग्रणी रहा है। इस कार्य को करने के लिये हमारे माल मंत्री जी हमेशा

ही २४ घंटे काश्तकारों के हित में चिंतित रहते हैं और जिन माननीय मंत्री के दिमाग में काश्तकारों की भलाई रहती है कि किस प्रकार से काश्तकारों को सही मायनों में लाभ हो उन माननीय माल मंत्री को मैं फिर बधाई देता हूं और इस संशोधन का मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलने के लिये खड़ा हो गया किन्तु मैं देख रहा हूं कि राजस्व मंत्री जी की गद्दी सूनी है। मौर्य जी विद्यमान हैं मगर कभी-कभी सदन में जो कुछ मैं बोलता हूं उसकी खबर राजस्व मंत्री जी को विकृत करके दे दी जाती है। इसलिये मैंने कह दिया।

श्रीमन्, यह विधेयक जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इसको हमको कई दृष्टिकोणों से देखना है। पहले इसके उद्देश्य और कारणों को ही मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने सफाई के साथ पढ़ देना चाहता हूं। अगर इसके उद्देश्य और कारणों को देखा जाय तो उसमें केवल यह है कि "ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के निदेशों के प्रवर्तन (application) से निष्क्रांत सम्पत्ति सम्बन्धी विधि (इवैकुई प्रापर्टी ला) के निदेशों को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये उक्त अधिनियम में कुछ परिवर्तन और भूमि व्यवस्था अधिनियम के मालगुजारी सम्बन्धी निदेशों के अनुसार कार्यवाही करने के लगभग दो वर्षों के अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि उक्त अधिनियम में वर्णित भूमि व्यवस्था योजनाओं में कुछ सुधार किये जा सकते हैं।" अब दो बातें उसके उद्देश्य और कारणों में बतायी गयी हैं कि एक तो इवैकुई प्रापर्टी के ला के निदेशों को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाई मालूम हुयी और वह भी दो साल के बाद और दो साल के बाद मालगुजारी सम्बन्धी निदेशों के अनुसार कार्यवाही करने में कठिनाई हुयी। मगर मैं बहुत ही नम्रता के साथ आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी है, तो जब कोई विधेयक प्रस्तुत होता है उसके जो उद्देश्य और कारण दिखाये जाते हैं तो उसके उद्देश्य और कारणों से मेल खाती हुयी उसकी धारायें होती हैं। इस बात को अगर देखा जाय तो इस विधेयक के कारण और उद्देश्यों में कुछ है और विधेयक की धाराओं में जो परिवर्तन किया गया है वह कुछ कहती हैं। केवल यह बात नहीं है कि इवैकुई प्रापर्टी ला के निदेशों को कार्यान्वित करने में कठिनाई है या मालगुजारी सम्बन्धी कुछ कठिनाई है या अधिवासियों के सम्बन्ध में लाभ पहुंचाने के लिये यहां पर विधेयक प्रस्ततु हुआ है। यदि हम इसको सही तरीके से समझ पाये हैं तो यही है कि इस बिल का ग्रामीण जनता की जिन्दगी से गहरा ताल्लुक है और पूरी भूमि व्यवस्था से इसका सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध केवल उद्देश्य और कारण में जो बातें लिखी हैं उन्हीं से नहीं रह गया है इसलिये मैं ऐसा चाहता हूं कि अब के बाद सरकार की ओर से कोई विधेयक प्रस्तुत हो तो उनके उद्देश्य और कारण सफाई के साथ रखे जाने चाहिये कि किन-किन बातों के लिये इस विधेयक को प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमन्, यहां पर मैंने सरकारी पक्ष के दो सदस्यों का भाषण सुना। एक तो श्री सीताराम जी शुक्ल का और दूसरा माननीय राम नरेश जी शुक्ल का, जो पार्टी के हिप हैं। अब इन लोगों की बातों को एक-एक करके मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा लेकिन मैं पहले ही बतला दूं कि यह सरकार अब हमें कुछ ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुग्धा, अनजान नायिका हो उसीके समान यह सरकार हो गयी है। वह नायिका आज आपनी जवानी में तो है. . . .

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां नायिका भेद चल रहा है या भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक पर भाषण हो रहा है?

श्री राजनारायण---ऐसी बढ़िया उपमा माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी अपने लिये पायेंगे और उसी रोशनी में मैं यहां सरकार की नीति का विश्लेषण करता हूं, जिससे वे बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। तो नायिका श्रीमन्, अपने में मुग्ध रहती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर । मैं आपकी इजाजत से यह जानना चाहता हूं कि नायिका भेद का जिक्र इस बिल में पेश है या भूमि सम्बन्धी बातें पेश हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह पार्लियामेंटरी लैंग्वेज है ? नायिका भेद और स्त्री वर्णन का यहां क्या मौका है ?

**श्री उपाध्यक्ष**--पार्लियामेंटरी तो अवश्य है। वे दृष्टांत के तौर पर कोई बात समझा रहे हैं।

**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने जो नायिका की परिभाषा की, वह नायिका विशारद की दृष्टि से गलत की ।

**श्री राजनारायण**--मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अगर नायिका के विशारद और हैं तो अच्छा ही है । मैं तो केवल यह कहता हूं कि वह बराबर मुग्ध रहती है। जहां तक यह सरकार है यानी उसे दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती । अपने को ही देख कर, साधारण शीशे को देख कर वह इस तरह से ज्यादा मुग्ध रहती है, जैसे मुग्धा अनजान नायिका हो, जो वह समझ भी नहीं पाती कि वह किसको हम वरण करें और किसको वरण करने में हमारा कल्याण होगा, जाति का कल्याण होगा । वही हालत आज इस कांग्रेस सरकार की हो गयी है। यह परेशान है, अपनी जवानी में जिससे मुग्धा अनजान नायिका की तरह से समझ नहीं पा रही है कि किसको वरण करें, किसके वरण करने में हमारा हित है। तो मैं वही समझाते हुए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमन्, कि ७ साल तक नाबालगी रही, लेकिन जो ७ साल तक शैशवावस्था थी वह भी आज खतम हो गयी इसलिये अभी मैं उसे प्रौढ़ावस्था में न रख कर मुग्धा, अनजान नायिका की परिस्थिति में ही रखता हूं।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--हम लोग कितनी भी कोशिश करें लेकिन माननीय नायिका का मान तो दूर होता नहीं ।

**श्री राजनारायण**--माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य अवस्था में तो वैसे वृद्ध हैं, लेकिन सरकार के रूप में जवान हैं। तो मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने अनजाने पन में मुग्ध न हों, अपने अनजानेपन में मुग्ध होने की आदत यह सरकार छोड़ दे । और जब इस अनजानपन पर मुग्ध होने की आदत वे छोड़ देंगे तब वे समझ पायेंगे कि किसको वरण करना है, जिससे जनहित के काम हों । जगत का कल्याण हो ।

श्रीमन्, अगर इस विधेयक को देखा जाय तो मैंने प्रातःकाल ही कह दिया था कि यह विधेयक अव्यवस्था लाने वाला विधेयक है। यह विधेयक भूमि व्यवस्था नहीं करेगा, बल्कि अव्यवस्था करेगा। जब से इस विधेयक की चर्चा हुयी है तब मैं कानपुर जेल में बंद था, उस समय बार-बार यह बात विचार में आती रहती थी कि हो सकता है कि लगातार दो वर्षों के अनवरत प्रयत्नों के कारण सरकार का अनजानपन कुछ दूर हो गया होगा और वह ऐसा स्वस्थ विधेयक लायेगी, जो पहले की तमाम कमियों को दूर कर देगा । लेकिन जब मैं इस विधेयक को देखता हूं तो मुझे मालूम होता है कि इसमें बड़ी-बड़ी कमियां और खामियां हैं। अब उन खामियों को मैं उन माननीय सदस्यों की खिदमत में रखना चाहता हूं जो उसको एक क्रान्तिकारी कदम समझते हैं। इसके लिये पहले हमको क्रांतिकारी शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिये कि सदन में किसको क्रांति या विकास कहते हैं। हर बात के लिये क्रांतिकारी कदम कह देना इस शब्द के अर्थ को अनर्थ करना होगा और इस शब्द के साथ हम न्याय नहीं कर पायेंगे, क्रांति का अर्थ है इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, विकास और क्रांति । क्रांति में परिवर्तन होता है। जब गुणात्मक परिवर्तन हो, क्वालिटेटिव चेंज हो तब वह क्रान्तिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से यदि इस विधेयक को देखा जाय तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको इसमें कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं मालूम होगा । अगर कोई उसको

क्रांतिकारी परिवर्तन कहे भी तो मैं इस कसौटी पर पुनः उसको सदन के सामने रखना पसंद करूंगा कि आज क्रांतिकारी कार्य कौन से हो सकते हैं। जिनके पास आज दरिद्रता है अगर उनकी दरिद्रता आज इस विधेयक से मिट जाय तो उनके लिये यह क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। आज जिनका आर्थिक शोषण हो रहा है, उनका वह आर्थिक शोषण मिट जाय तो उनके लिये यह क्रांतिकारी हो सकता है, आज जिनका राजनैतिक उत्पीड़न हो रहा है अगर इनके राजनैतिक उत्पीड़न की परिस्थिति मिट जाय तब कहा जा सकता है कि यह क्रांतिकारी कदम है, आज जो उत्पादक वर्ग है, जो प्रोड्यूसर है अगर उसकी कमाई उसके हाथ में ही रहे ऐसा कानून बन जाय तब यह कहा जा सकता है कि वह क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मगर जो भी कानून आये उसके लिये यह कह देना कि यह एक क्रान्तिकारी कदम है, क्रांतिकारी शब्द के प्रति एक जघन्य अपराध है। मैं इसको इसलिये सफाई के साथ रखना चाहता हूं कि प्रान्त में आज अगर खेती को देखा जाय तो इसमें दो रायें नहीं हो सकती कि प्रांत के अधिकांश ८०, ९० फीसदी लोगों के पास जमीन नहीं के बराबर है, बहुत कम जमीन है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके लिये इस बिल में क्या कदम उठाया गया है। मैं अपने उन सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूं, जो इसको क्रांतिकारी कदम कहते हैं कि उनके वास्ते, उनको जमीन देने के लिये इस बिल में क्या गुंजाइश की गयी है। क्या इसके द्वारा उनको कोई जमीन मिल रही है? और अगर उनको कोई जमीन नहीं मिल रही है, अगर उनकी गरीबी नहीं मिट रही है तो इसको क्रांतिकारी कहना अपने को धोखा देना है, इस सदन को अंधकार में रखना है और इसके साथ-साथ बाहर की जनता को भी अंधकार में रखने का प्रयत्न है। श्रीमन्, इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको क्रांतिकारी उस समय माना जा सकता था अगर जमींदारी उन्मूलन कमेटी की अच्छी हिदायतों के मुताबिक इस बार काम किया गया होता। अगर जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा जाय तो उसमें यह लिखा हुआ है कि हमारे प्रान्त में जो १,२,४, और ६ एकड़ों वाले किसान हैं उनके लगान में कमी होनी चाहिये। और कमी चार आने, आठ आने और बारह आने तक कमी के लिये उसमें संकेत किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं की कभी जिसको कि एक बार बहुत से सम्मानित सदस्य जो कि कमेटी में थे उन्होंने सर्वसम्मति से मुक्तकंठ से बिला किसी हिचक के लगान में कमी करने की सिफारिश की थी। वह धारा क्या कहीं यहां रखी गयी है उल्टे किसान का लगान बढ़ता गया है उसके ऊपर पाबंदियां भी बढ़ती गई हैं, उन्हें अव्यवस्था और मुसीबत के जाल में जकड़ा जाय और तब भी कहा जाए कि यह क्रांतिकारी विधेयक है। मैं चाहूंगा कि इन गत दो-तीन वर्षों में इस सदन में जो अनुभव किये गये हैं उनके आधार पर जो शब्द प्रयोग किये जायं वे संतुलित हों और जो भाव हों उन शब्दों में वे भाव निकलें तब तो उन शब्दों का उचित प्रयोग है अन्यथा अनुचित।

अब एक तीसरी बात पूछना चाहता हूं, सरकार हमको बतावे कि जो टिलर आफ दि स्वायल है, जो जमीन का जोतनेवाला है, जो अपने बाहुबल से अन्न पैदा करने वाला है उसके लिये इसमें कौन सी क्रांतिकारिता रखी गयी है, उसके हित में कौन सी बात प्रस्तुत की गयी है। माननीय रामनरेश जी शुक्ल कहते हैं कि अगर केवल एक ही बात देख ली जाय तो सरकार धन्यवाद की पात्र है। दुनियां में श्रीमन्, कम से कम दो पहलू तो हर बात के होते हैं। और भी होते हैं मगर दो तो होते ही हैं यहां तक कि मैं जानकारी के लिये बता दूं कि बहुत से लोग कभी-कभी कांग्रेस वाले भी दूसरे लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में कोई सहयोग की बात हो जाय। क्यों नहीं होता। यहां भी सम्मानित सदस्य इस जजबे को प्रकट किया करते हैं, किन्तु मैं पूछता हूं, कि क्यों यह नहीं होता। जनसंघ एक संस्था है और उसने भी जो कार्यक्रम रखा है उसके ९० प्रतिशत कार्य-क्रममें यही रखा गया है, नेशनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड और सैलरी की सीलिंग आदि-आदि। मगर केवल बातें रख देने से या तमाम से, होल में से एक या कुछ रख देने से यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें यह खूबी है, इसलिये पूरी संस्था क्रांतिकारी है। हमें तो पूरी बात देखनी है, होल देखना है, इसी तरह से

[श्री राजनारायण]

अगर हर मनुष्य को देखा जाय तो कुछ न कुछ त्रुटि है मगर यदि वह उसकी त्रुटि उसके गुणों को आच्छादित कर लेती है तब तो वह आदमी गलत होता है और अगर उसमें गुण ही अधिक होते हैं कमी ऐसी है जो आच्छादित नहीं कर पाती, तो उसके गुणों को ही देखा जाता है। इसी तरह से इस विधेयक को देखा जाय। जैसे उन्होंने कहा कि गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि इसमें कुछ अच्छी बातें हैं। अगर कुछ अच्छी हैं तो उसी अच्छी बात के रहने से यह पूरा विधेयक अच्छा नहीं कहा जा सकता जब तक कि सम्पूर्ण विधेयक की एक-एक धारा किसी अच्छाई की तरफ रोशनी न डालती हो। तो क्या इससे हमारे सम्मानित सदस्य यह समझ लेंगे कि यह सारे का सारा विधेयक सारे का सारा संशोधन क्रांतिकारी है। और श्रीमन्, हमारे मित्र अपने दृष्टिकोण को उसी चश्मे के अन्दर रखना चाहते हैं और उसी से देखना चाहते हैं तब तो वह माननीय गेंदा सिंह जी को गलत समझते हैं। अगर माननीय गेंदा सिंह जी के कल के भाषण को पढ़ा जाय तो उस भाषण का लुब्बेलुआब सफाई के साथ यही था किस सरकार इस विधेयक को वापस ले। इस बात को माननीय सदस्य कहना भूल गये। उनका कहना था कि यद्यपि सरकार ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है मगर तब भी विरोधी-पक्ष के सम्मानित सदस्य और माननीय गेंदा सिंह जी की राय के मुताबिक इस विधेयक को वापस लेने की आवश्यकता है। इस बात को न कहकर केवल एक बात कह दिया करते हैं और उसके निष्कर्ष निकाल दिया करते हैं। तो पूर्ण के एक अंश को ले करके कोई निष्कर्ष यदि निकालेगा तो वह हमेशा गलती करेगा। पूर्ण अगर सही तरीके से देखा जाय तो पूर्ण को सामने रख करके ही उसकी सच्चाई की कसौटी हो सकती है वरना नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो आज इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है ऐसी कौन सी खूबी है जिस खूबी को लेकर के हम आज अपने उत्तर प्रदेश की भूमि की व्यवस्था को व्यवस्था कह सकते हैं। क्या यह अव्यवस्था नहीं है कि आज अपने प्रांत में छोटी छोटी जोतों के लोग परेशान हैं, वह अपने लगान को भी नहीं दे सकते और सरकार कहती है कि अब तो लोकल रेट के मुताबिक और उसके दूने से ज्यादा न होना चाहिये, ऐसी गुंजाइश हमइस विधेयक में कर रहे हैं। लोकल रेट क्या है? लोकल रेट की व्यवस्था कब हुयी? किन-किन आधार को लेकर हुयी? किन-किन बातों को लेकर लोकल रेट किस समय में निर्धारित किया गया? इस पर कोई सफाई नहीं। कल भी इसके बारे में गेंदा सिंह जी ने संकेत किया था कि जिस समय सर्किल रेट की स्थापना हुयी थी, जिस समय सर्किल रेट लगा, जिस समय उसको फिक्स किया गया उस समय की परिस्थिति दूसरी थी और आज की परिस्थिति दूसरी है, उस समय की उत्पादक शक्ति दूसरी थी और आज की उत्पादक शक्ति दूसरी है पहले की जमीन अच्छी थी जिसको कि आप गोइड़ कह सकते हैं, लेकिन आज उसकी उत्पादक शक्ति दूर होती चली जा रही है और वह फैलो के नम्बर में चली आ रही है, मगर इस तरफ हमारी ट्रेजरी बेन्चेज के लोगों को कोई ख्याल ही नहीं है। वह पता नहीं कि क्या निकालना चाहते हैं इस विधेयक से और पता नहीं कि किसका विकास करना चाहते हैं।

दूसरे मैं पूछना चाहता हूं कि हर समय हरिजन उद्धार की बात कही जाती है, आज मैं पूछना और सफाई के साथ जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में हरिजन उद्धार के बारे में जो एक क्लाज हम लोगों ने रात १२ बजे तक बैठ करके रखा था उनके हक के बारे में और उसकी पहली लाइन में हमने लिखा था की दूसरों की जो जमीन मिले तो उसको जब गांव समाज दे वह पहले हरिजनों को मिले, वह इस संशोधक विधेयक में लाया जा रहा है? क्या उस क्लाज को रहने दिया जा रहा है? मैं अपने हरिजन साथियों से कहना चाहता हूं कि मैं भी अपने में एक गर्व का अनुभव करता हूं जिस समय हम अपने को हरिजन समझते हैं, लेकिन क्या आप अपनी सरकार की कृपा दृष्टि और उसकी कृपा आकांक्षा पर ही, जो समय-समय पर हो, अपने को अपने वर्ग को रहने देना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इन कानूनों के अन्दर, इन दफाओं के अन्दर सफाई के साथ वह बातें आनी चाहियें कि जिससे जो हरिजन हों, पिछड़े

हुए हों, पृथक् जन हों, वह सब यह महसूस करें कि कानून के अन्दर वह हक उनको मिला है हुआ है ताकि उनको किसी मिनिस्टर की सिफारिश न करानी पड़े, किसी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का मुंह न ताकना पड़े, किसी बड़े पदाधिकारी का मुंह ना ताकना पड़े। वह इस बात की कोशिश करें कि यह हक उनको कानून के अन्दर मिलना चाहिये। मगर ऐसा कहना भी क्रांतिकारी शब्द के साथ संबंधित किया जाता है। हरिजनों को इसके पहले विधेयक में जो जमीन मिलने की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को छीन कर के भी क्रांतिकारी कदम का यह बिल बतलाया जाता है। अब इससे बढ़ कर और क्या अन्याय हो सकता है, मैं अपने उन सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं और मैं अपने उन हरिजन भाइयों से कहना चाहूंगा, कि जोकि केवल हरिजन तबके में ही पैदा हुए और पैदा होने मात्र से ही वह अपने को हरिजन समझते हैं कि हरिजन अपने को उसी को समझना चाहिये कि जो कि सही मानों में हरि का जन हो। यानी जो सही मानों में मेहनत करने वाला हो, कमाने वाला हो और अपनी कमाई और अपनी मेहनत का शोषण न होने देने वाला हो। और अगर हम हरिजन तबके में पैदा हो गये और बराबर वह काम करते रहे कि जिससे हरिजनों का शोषण हो, गरीबों का शोषण हो, बराबर इस तरह से कानूनों के बनने देने में मदद देते रहें और मौके मौके इस सदन में उठ करके चूंकि इस तबके से आते हैं और इसलिये हमको इसकी ठेकेदारी मिली है और इसलिये लम्बी-लम्बी बातें कह दें, उससे हरिजनों का उद्धार होने वाला नहीं है। आज उनका उत्थान हो सकता है, उनकी भलाई हो सकती है, पिछड़े लोगों की भलाई हो सकती है तब जबकि क्यों पिछड़े हैं। इस "क्यों" की सफाई से। मगर, वह अगर दूर न हो तो किसी हालत में उनकी भलाई होने का दावा नहीं किया जा सकता। आज वही पिछड़ा है जिसके पास मीन्स आफ प्रोडक्शन नहीं है, जिसके पास दौलत पैदा करने का जरिया नहीं है। क्या इस विधेयक के अन्दर धन पैदा करने का साधन उन तमाम पिछड़े भाइयों को, हरिजनों को दिया जा रहा है? कोई बता दे? कहीं नहीं। आज ऐसे रिएक्शनरी, ऐसा पीछे ले जाने वाला विधेयक, इसको जब कोई क्रांतिकारी विधेयक कहता है तो दुख होता है, हंसी क्या क्षोभ होता है और मालूम होता है कि हमारी राजनैतिक शिक्षा बेकार गयी। फिर मैं यह जानना चाहूंगा कि श्रीमन्, कि इस विधेयक के अन्दर, अधिवासियों का एक क्लाज है और अधिवासियों के लिये . . . .

**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)---जरा मैं यह जानना चाहूंगा कि अभी आपने जो जिक्र किया है कि हरिजनों के सम्बन्ध में किस धारा के अनुसार उन्हें जमीन मिलने में बाधा पड़ रही है?

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--१९८।

**श्री राजनारायण**---तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जरा अधिवासियों की दुर्दशा को देखें उनको क्या दुर्दशा हो रही है। न्याय की बड़ी चर्चा हुयी, क्या जस्टिस है, क्या न्याय है? जमीन है श्रीमन् जमीन केवल एक काम करती है, सोना, चांदी, ताम्बा, लोहा, कोयला, अबरक आदि खानों में पैदा करती है, अन्न उत्पादन करने की ताकत उसमें है, इसके यही काम हैं। प्रमुख मगर इन कामों को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया है इस सरकार के विधेयक के द्वारा चले गये हमारे सम्मानित सदस्य न मालूम उन्होंने कहां से देख लिया कि इस संशोधन में यह भी आ गया है कि स्त्री अपनी जमीन बेदखल नहीं करा सकती। मैं जानना चाहता हूं (इशारा करके) हमारे मौर्य जी बता दें क्या कोई ऐसी धारा इसमें आयी है जिसमें स्त्री अपनी जमीन बेदखल न करा पाये? नहीं आयी। तो चुप हैं, माननीय राम नरेश जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। मगर वह यह गये यह विधेयक क्रांतिकारी इसलिये हो गया क्योंकि इससे पहले स्त्रियों को जो छूट मिली हुयी थी, अब वह नहीं है। मैं चाहता हूं.....

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---धारा २१ का संशोधन आप देखें।

**श्री राजनारायण**---मैं चाहता हूं कि उनकी इच्छा पूरी हो और सही मानों में अगर इसके पहले जो वादविवाद हुआ था उसको इस सदन में रखा जाय तो उसमें सरकार की ओर से आश्वासन था कि जमीन बेदखल नहीं होगी किसी की भी। सरकार को श्रीमन्, उन तमाम चिट्ठियों को सामने रखना चाहिये। हमने १,२,३,४, न मालूम कितनी चिट्ठियां रेवेन्यू मंत्री जी को, उनके रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखीं, वह देख लें। एक-एक जिले का उदाहरण उनके सामने रखा गया है। बनारस का रखा गया है जिसमें तीन तीन सौ, दो-दो सौ एकड़ जमीन औरतों के नाम पर है और बेदखल किसान होते गये हैं और बुरी तरह से होते गये हैं।

आपने माननीय सीताराम जी का बयान नहीं सुना श्रीमन्, उस पर भी सरकार को नतमस्तक होना चाहिये था जब उन्होंने कहा था कि इतने जुल्म, इतने अत्याचार हैं, सरकारी कर्मचारी इतने मनमाने हो गये हैं कि पांच, पांच हाथी जिनके घर पर हों और न मालूम कितना रुपया उनके पास हो मगर जमानत नहीं होती, जेलखाने में तब भी ले जाये जाते हैं और उनके साथ सलीके का व्यवहार नहीं होता मगर उनकी दुर्दशा जरा माननीय मौर्य जी देखें और श्रीमन्, मुझे गर्व है, इसका गौरव है कि मैंने किसानों की मुसीबत की कहानी श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी के साथ जा कर के दिखवायी है, वह इससे इन्कार नहीं कर सकते। तो जो गरीब किसी को पैसा नहीं दे सकता, रिश्वत नहीं दे सकता, वह खुद अपने खाने पहनने के लिये मोहताज है, उस गरीब के लिये इंसाफ पाने के लिये क्या व्यवस्था है, न्याय पाने के लिये क्या व्यवस्था है, अपना हक पाने के लिये क्या व्यवस्था है? क्या कभी वह अपना हक पा सकता है? नहीं पा सकता है। और जिस पर श्रीमन्, कहा जाता है कि विधेयक क्रांतिकारी है। जिन स्त्रियों ने जिनके पुरुष भी थे, जिनके हट्टे कट्टे लड़के भी थे, जो काफी सम्पन्न थीं, उन्होंने जो किसानों को बेदखल कर लिया है, क्या माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य आज सरकार की तरफ से यहां यह कहने के लिये तैयार हैं कि उनकी बेदखल हुयी जमीनें वापस हो जायगी? मैं जानना चाहता हूं।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---उसके लिये तो २३२ में विधान है।

**श्री राजनारायण**---देख लीजिये, श्रीमन्, वही आत्मप्रवंचना की धारा आ गयी। विधान है। हम जानते हैं कि विधान है। मगर वह विधान पहले भी था। उस विधान के रहते हुए भी वह बेदखल हुए इस समय इस विधेयक में, माननीय सदस्य हमें बतायेंगे कि जो रेवेन्यू कोर्ट और जो दीवानीकोर्ट में इन दोनों कचहरियों के जाने की व्यवस्था है उसके लिये इस विधेयक में क्या किया गया है? कह दिया जाता है कि अधिवासी के लिये कुछ है, आसामी के लिये कुछ है सीरदार के लिये कुछ है, भूमिधर के लिये कुछ है, मगर यह चारों ऐसे हैं या तीन ऐसे हैं श्रीमन्, जो एक दूसरे से लगे हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो अधिवासी है, वह सीरदार हो सकता है, जो सीरदार है वह भूमिदार हो सकता है। तो तीनों के लिये अधिवासी के लिये, सीरदार के लिये, भूमिधर के लिये, तीनों के लिये दोनों कोर्ट हो गये। लड़ते लड़ते हम परेशान हो जा रहे हैं, रेवेन्यू कोर्ट में फिर चले जाये सिविल कोर्ट में। जो कानून का द्वंद्व है, यह कानून का द्वंद्व समाज को ऋणात्मक गति से ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है, अच्छा अगर द्वंद्व हो, हेल्दी हो तो उससे व्यवस्था सुधरती है। जहां द्वंद्व अनहेल्दी होता है, उलटा होता है, वहां समाज नीचे जाता है। तो आज कांग्रेस सरकार की हकूमत इस कानून के जरिये निगेटिव डिरेक्शन के द्वंद्व करा रही है और निगेटिव डिस्क्रेशन का जो द्वंद्व होगा उससे समाज और त्रस्त होगा, समाज की विषमता बढ़ेगी, और समाज अन्ततोगत्वा दरिद्रावस्था में जायगा।

फिर आगे मैं पूछना चाहता हूं कि अधिवासियों के लिये १५ गुने और ५ गुने का क्लाज क्यों आया? आया ही क्यों? माननीय रामनरेश जी ने कहा कि इस सरकार की ओर से समाचार पत्रों में कुछ बयान आये हैं जिससे अब यह कहा जा रहा है कि अधिवासी सीरदार हो जायंगे बिना रुपया दिये और भूमिधर होंगे तब जब कि १० गुना लगान दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कितना खराब दिमाग

होगा सरकार का, किस खराब दिमाग से प्रेरित होकर के ऐसा विधेयक आ सकता है ? अगर हमारा दिमाग साफ है, अगर हमारा दिमाग जन-कल्याणकारी है, अगर हमारा दिमाग गरीबों की भलाई करने वाला है तो ऐसे दिमाग से श्रीमन्, ऐसा विधेयक कभी आ ही नहीं सकता । आने के बाद मुझे मालूम है, मैं अभी श्रीमन्, दौरा करके आ रहा हूं, आगरे गया, कानपुर गया, बनारस गया, चार-चार सौ, पांच-पांच सौ गरीबों के बेटे जुटे हुए थे सब जगह के । उन्होंने कहा कि अधिवासियों की बेदखली खोल देती है सरकार तो किसान यह जहर की घूंट पीने के लिए तैयार नहीं हैं । यह जहर की घूंट होगी, अधिवासियों के लिए और न्याय प्रेमियों के लिए । तो मैं जानना चाहूंगा इस सदन के हमारे जितने सम्मानित सदस्य हैं जो न्याय की बात कहते हैं, इक्वेलिटी की बात कहते हैं, क्या यह विधेयक एक इंच भी न्याय की ओर गतिशील है, एक इंच भी कल्याणकारी राज्य की तरफ आगे बढ़ता है ? माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि मेरा सपना पूरा हो रहा है । मुझे मालूम नहीं कि उनका स्वप्न क्या है ? मगर अगर इसी विधेयक के जरिये माननीय राजस्व मंत्री जी अपना स्वप्न पूरा कर रहे हैं तो मुझे अफसोस है कि उन्होंने गलत स्वप्न देखा है और उन्होंने अपना स्वप्न गलत बनाया है और वह उनकी गलती आज भी पूरी नहीं हो रही बल्कि बराबर बढ़ती जा रही है जिसको देखकर श्रीमन् आकाशवाणी हुई थी । आज के ४।५ वर्ष पहले जब दस गुने लगान की बात थी जो आकाशवाणी चली थी चोर बाजारी करने वालों के प्रति जो सरकार के मस्तिष्क और कान लगे थे और कैपीटेलिस्ट्स की तरफ जो सरकार के कान लगे तो वह गर्दन हिली और किसानों के ऊपर चली गई और कह दिया किसानों के पास रुपया है, नोटों के बंडल हैं, उनके छप्परों में नोट खोंसे हुये हों, उनको दीमक और मूस और चाटते हैं, इसलिये वह दस गुना दे सकते हैं और वही चीज आज भी सरकार के सिर पर चढ़कर बोलती है और वह हम लोगों को भी खाना चाहती है । इसीलिये आज भी सरकार दसगुने वाली चीज को वापस लेने के लिये तैयार नहीं है ।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि, श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी से जानना चाहूंगा कि अब क्या औचित्य है दस गुना लगान लेने का जबकि दस गुने में आपका एक अरब ८० करोड़ सपना पूरा नहीं हुआ और लगातार तीन वर्ष तक सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेकर और हर तरह की ज्यादतियों के बावजूद भी कुल ३३–३४ करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आया तो फिर आज इस विधेयक में अधिवासियों से दस गुना लेने की क्यों गुंजायश रखी गयी है ? इसके बावजूद भी कहा जाता है कि यह एक क्रान्तिकारी विधेयक है । वाहरे आपकी क्रान्तिकारिता । अगर ऐसी ही क्रान्तिकारिता आपकी है तब तो वह आपको मुबारिक हो । जिस दिन जनता-जनार्दन जागेगी उस दिन आपको आपकी इस क्रान्तिकारिता का बदला मिलेगा ।

मुझे भी खुशी है, मुझे भी प्रसन्नता है कि समाचार-पत्रों में खबरें निकली हैं कि अब सरकार के दिमाग से अधिवासियों से रुपया लेने की बात निकल गई है, लेकिन इस विधेयक में अब भी मौजूद है । अखबारों में यह खबर आई है । हमें तो ऐसा लगता है कि हमने जो प्रयत्न किया है और जो किसानों की मांग की है, अपनी आवाज को बुलन्द किया है कि अधिवासियों के ऊपर ५ गुना या १५ गुना का अतिरिक्त टैक्स मत बढ़ाओ तो सरकार शायद किसानों की इस मांग के सामने नत मस्तक हो गई है और यह सरकार के लिये सुशोभनीय कार्य है और बढ़िया है । दस गुने से जो सीरदार होने की गठरी को अधिवासियों के ऊपर लादना चाहती है सरकार उसको भी वह वापस ले ले । मगर सरकारी पक्ष की ओर से और माननीय मंत्री जी ने इस बात को कहा है । हमारे मित्र श्री रामनरेश जी शुक्ल चले गये, उनका नाम बराबर लेना पड़ता है, मैं तनिक भी नहीं चाहता था लेकिन बार बार यह कहा गया उनकी तरफ से कि किसान देना चाहते हैं, उनके घर में रुपया है और वह चाहते हैं कि यह अधिनियम जल्दी से जल्दी कानून की शक्ल ले ले और फिर किसान सरकारी तिजोरी भर देंगे और सरकारी खजाने में रुपया जमा कर देंगे । कौन से आंकड़े हैं, कौन सा आधार है और कोई औचित्य है सरकार के पास जिससे वह साबित कर

[ श्री राजनारायण ]

सके कि किसानों के पास रुपया है और इस विधेयक के पास होने का वह बड़ी अधीरता के साथ इंतजार कर रहे हैं। जब यह विधेयक पास हो जायगा तो वह रुपया दे देंगे। कोई आधार है उनके पास, वैसे बातें तो बहुत सी कही जा सकती हैं यों तो सफाई खूनी भी देता है। लेकिन मैं खूनी की सफाई नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी श्री मौर्य जी कोई आंकड़े पेश करें करके बतलायें कि कौन से अधिवासियों के पास कितनी-कितनी जमीन है और कैसे उनके पास रुपया बच सकता है, अपने खाने-पीने के बाद, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद और परिवार की दवा-दारू के बाद।

फिर श्रीमन्, एक विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ बटवारे के बारे में और उसमें यह कह दिया कि ३ १/८ एकड़ तक जमीन जिनके पास रहेगी अब उनका बटवारा नहीं होगा क्यों भाई बटवारा क्यों नहीं होगा? श्रीमन् अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप जरा मगा करके पढ़ लें, वहां बैठे-बैठे देखते रहें, कि इसके पहले जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ था सदन में उस समय इन्हीं हमारे माननीय गेंदा सिंह जी, रामनारायण त्रिपाठी जी ने और दूसरे पार्टी के सदस्यों ने अपने जजबात का इजहार किया था। श्रीमान्, मुझे याद है, आप इसी गद्दा पर आसीन थे उस दिन। दो साल पहले यही तर्क दिया गया हमारे राजस्व मंत्री जी की ओर से जिक्र किया गया था कि सवा छः एकड़ से कम का बटवारा नहीं होने देंगे। हमने कहा, भाई माननीय मंत्री महोदय, आप जरा अपने दृष्टि दोष को दूर करके हमें यह बता दें कि सवा छः एकड़ क्यों रख रहे हैं? क्या यह गलत है कि हमारे सूबे में करीब ८० फीसदी किसान २ एकड़ से कम जमीन रखते है? क्या यह सही है कि हमारे सूबे में ८५ फीसदी किसान ६ एकड़ से कम जमीन रखते हैं? तो यह सवा छः एकड़ का जो सपना आया और सवा छः एकड़ के सपने को पूरा करने का विधेयक आया वह क्यों और किस न्याय के आधार पर? किस औचित्य और किसी समानता की सदन के सामने रख कर किया गया? कोई जवाब नहीं। केवल एक हठवादिता थी। आप उस समय के भाषण को पढ़ें बार-बार हमने कहा कि बटवारे के प्रिंसिपल को मत रखो यहां लोग गरीब है परेशान हैं एक खानदान में एक तो जाति-पांति के मेले में फंसे हुए हैं। एक महतारी के चार बेटे हुए, पर जवानी आने पर एक दूसरे पृथक हो जाने की कल्पना पैदा हो जाती है। इन सब की जड़ में अगर हम शान्त चित्त से विवेचन करेंगे तो इसी नतीजे पर पहुचेंगे कि गरीबी है। मगर सरकार चाहती थी कि नहीं, सवा छः एकड़ एक भाई चाहे ले ले, दो भाई गरीब और असहाय रहें। अगर उनके पास जरूरत आ गयी तो वह क्या करें? आखिर वह कहां से रुपया लायेंगे? क्या आकूपेशन सरकार दे रही है। कौन सा काम का जरिया सरकार दे रही है, जिस पर काम करे और काम करके अगर एक भाई के पक्ष में हिस्सा छोड़ना चाहे तो उसको रुपया मिले। कहीं नहीं। मगर वह हठवादिता कम हुई, यह मुझे खुशी है। पर उस हठवादिता को कम करके जब आसमान से गिरा तो पेड़ पर अटक गया। अब सवा छः एकड़ से ३ १/८ एकड़ हो गया अब कहते हैं कि ३ १।८ का बटवारा नहीं होने देंगे। क्यों भाई, इससे क्या मकसद हासिल करना चाहते हो इससे किस चीज की प्राप्ति करना चाहते हो? पहले वह उद्देश्य तो साफ हो अगर कोई बढ़िया चीज निकले तो हम भी कहेंगे कि अवश्य ही करो, लेकिन कोई बढ़िया चीज निकलती तो दिखाई नहीं दे रही है। ४ एकड़ जिसके पास है, अगर उसका बटवारा होगा तो दोदो एकड़ हो जायगा। अगर साढ़े तीन एकड़ है तो बटवारा होने पर दो एकड़ से भी कम हो जायगा। फिर ३ १।८ एकड़ का जो आंकड़ा हुआ, यह क्या आकाशवाणी हुई, खुद की वाणी हुई। या भगवान ने कहीं से आकर अपनी वाणी पहुंचायी? क्या अनहद नाद हुआ? कहां से यह बात हुई, उस अनहद नाद को बताए। अनहद नाद तो यह हो रहा है, दिव्य ज्योति यह कह रही है कि इस तरह के गलत कानून को सदन में रख करके चाहे अपनी हठवादिता से सरकार इसको कानून की शक्ल दे दे, मगर जनता-जनार्दन उठ चुकी है, अब ऐसे गलत कानून के सामने नत मस्तक नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहूंगा कि अच्छा हो कि उस १० गुने वाले क्लाज को हटा दें, जैसा कि ५ गुने वाले को हटा करके सीरदार बनाने की गुंजायश कर दी, वैसे ही इसको भी हटा दें।

अब मैं एक-एक करके आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं और सरकार से कि सरकार सही माने में इस विधेयक को क्यों नहीं वापस ले लेती और वापस ले करके क्यों नहीं एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करें। जिस विधेयक के अन्दर आज जो सही माने में परेशान हैं उनको जमीन मिले और उनकी इतनी जमीन हो जाय जिसमें वह साल भर मेहनत करके खाने के लिए, पहिनने के लिए, मकान, कपड़ा और दवा-दारू के लिए अन्न पैदा कर सकें। क्यों नहीं ऐसी कोई व्यवस्था, अगर कोई प्लान है, अनप्लान्ड प्लान को मैं नहीं कहता, तो क्यों नहीं यहां योजना प्रस्तुत होती कि आपके सूबे में कितने लोग हैं, जो खेती के सहारे जिन्दा रह सकते हैं। क्यों नहीं यह व्यवस्था होती कि इतनी जमीन एक के पास रहेगी और इतने से कम एक के पास नहीं हो पायेगी। मगर इस सूबा उत्तर प्रदेश में बनारस में कोई कानून है, रामपुर में कोई कानून है, जौनसार बाबर में कोई कानून है, कुमायूं में कोई कानून है। क्या इसी को व्यवस्था कहते हैं? इससे बढ़कर अव्यवस्था और कौन हो सकती है? जरा इसके और आगे बढ़ें, माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी। बनारस में अधिवासियों के लिये १३५६ में जिनका इन्दराज है उसको कुछ हक मिलने की कानून में व्यवस्था की गयी है और उसी बनारस के अन्तर्गत चकिया और भदोही है वहां के लिये क्या व्यवस्था हो रही है। वहां १३५७ रखा गया है। क्यों सरकार के पास क्या आंकड़े हैं? यों मानिये, श्रीमन्, क़रीब एक लाख के ग़रीब किसान अपने हाथ से जमीन जोतने वाले इससे बेदखल हो जायगे। अब इन एक लाख की बेदखली अगर इस संशोधन विधेयक के जरिये सरकार खोल रही है चकिया, भदोही और रामनगर के इलाकों में तो यह किसके हित में कानून जा रहा है? क्या ऐसे गंदे कानून को हम क्रान्तिकारी कह सकते हैं। हमें अफसोस होता है जब हमारे साथ किसी जमाने में क्रान्तिकारी आन्दोलनों में काम करने वाले लोग आज कांग्रेस पार्टी के दामन को पकड़ करके अपनी बुद्धि को भी बेंच चुके हैं। मुझे अफसोस होता है और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि क्रान्तिकारी शब्द.....

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—बनारस स्टेट में १३५६ फसली में काबिज ज्यादा दर्ज हैं या १३५७ फसली में?

**श्री राजनारायण**—आप बताइये, आपकी क्या इत्तला है। श्रीमन् १३५६ में ज्यादा लोगों के नाम दर्ज हैं और १३५७ में कम दर्ज हैं। मैं खोल दूं। यहां एक प्रतिनिधि मंडल आया और जो लोग आये वे हमसे भी मिले। वह प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्य मंत्री जी के दरबार में गया और पता नहीं कहां-कहां गया। यह सुनी सुनाई बातें मैं कह रहा हूं, इसमें अगर कोई ग़लत हो तो उसके लिये क्षमा कीजिये। वे वहां के ऊंचे तबके के लोग हैं और दौड़ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि भदोही में एक ताल था, करीब दो सौ ढाई सौ एकड़ का और उस ताल का पट्टा श्रीमन् जब बनारस स्टेट मर्ज होने को थी उसके चन्द दिन पहले जो एक कांग्रेसी मंत्री थे उसमें उनके इशारे पर शायद उनके किसी दूर के रिश्तेदार के नाम हो गया। वहां पर हमने जाकर देखा और कहा कि यह ताल का पट्टा गलत है यह किसानों के हक़ में होना चाहिये। श्रीमन् आप तो जानते हैं, हम सफाई के साथ कहना चाहते हैं कि हमें वह कोई कानून रोक नहीं सकता जो कि नालायक और ग़लत कानून हो। ग़लत कानून के सामने टक्कर लेना ही हम अपना धर्म समझते हैं।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—वह तो २१२ लागू है।

**श्री राजनारायण**——नहीं लागू है। श्रीमन्, इनको जानकारी भी नहीं है। जब बहुत परेशान हुये तब हमने सिविल नाफर्मानी का डंका पीटा और वहां पर जाकर हमने किसानों से कहा कि डट जाओ और जो बने हुये खावें हैं उनको उखाड़ कर फेंक दो। किसानों ने हमारा साथ दिया। वहां के सरकारी कर्मचारियों ने भी जाकर जांच की, वहां के इरीगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर ने जांच की और उसके बाद जब उन्होंने सरकार के पास रिपोर्ट भेजी कि हां, इस ताल का तो पट्टा नहीं होना चाहिये, इस ताल का पट्टा हो जाने से खावां बन जाने से किसानों का बड़ा अहित होगा, दस हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होती है उससे, तब वहां की कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया कि बनारस जिले का कलेक्टर तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लिये बहुत ही उदार है और उनके हक में अपने रवैये को रख कर उनकी पार्टी को मजबूत करता है। क्या यह ग़लत है कि यहां के मंत्री ने कलेक्टर को नहीं बुलाया? क्या यह ग़लत है कि यहां कलेक्टर को बुलाया तक नहीं गया? क्या यह ग़लत है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की नोटिस को यहां की सरकार की नोटिस में नहीं लाया गया? इन बातों का स्मरण करा कर माननीय मौर्य जी, जो भावनाएं सुषुप्तावस्था में थीं, जिनको मैं प्रगट नहीं करना चाहता था, उनको प्रगट करने का मौका दे देते हैं। मैं आपसे इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि अब असह्य हो गया है। "धीरज हू का अब धीरज भागा।" हमारे शायर हैं, जरा फारसी भी जानते हैं, मौलाना शाहिद फाखरी साहब कहां चले गये? उन्होंने, श्रीमन् बहुत अच्छा पढ़ाया——

अन्दाज़ तुम्हारे सब्र शिकन, जलवे हैं तुम्हारे होशरुबा।
दिल ही तो है इसको क्या कहिये, वारफ्ता अगर हो जाता है।।

यानी इस निकम्मी सरकार के अन्दाज इतने नाकारा हैं कि वह तो सब्र को भी तोड़ने वाले हैं। सब्र टूट जाता है उससे। और उसके जो जलवे हैं वह तो इस तरीके के हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनके दिल जो इंसाफ पसन्द दिल है, वह जो रूढ़ियां, वह लकीरें, कानून के दायरे में बनी हुई हैं उनको तोड़ करके जाते हैं, तो उनका क्या कसूर है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अब इंसाफ कानून की दफाओं में कैद रह करके नहीं चल सकता। हमें राष्ट्रपिता गांधी ने, पूज्य बापू ने यही सब, अपने तीस वर्ष के राजनीतिक जीवन में सिखाया था, कि अन्याय जोर और जुल्म का मुकाबला करो। यह सही है कि हम कमजोर हैं। हम तमाम जोर जुल्म और अन्यायों का सामना नहीं कर पाते। और सब जोर जुल्मों का मुकाबिला कहां तक किया जाय?

श्रीमन्, माननीय सीताराम शुक्ल जी कहते हैं कि लोहिया साहब कुछ कहते हैं, और और कृपलानी जी कुछ कहते हैं। कहां की बात कहां उठाकर रख दी इस सदन में। क्या कहते हैं लोहिया साहब, क्या कहते हैं कृपलानी जी, किस विषय में क्या कहते हैं? सफाई की बात है कि विचारों की सफाई होनी चाहिये। वह पार्टी जिन्दा पार्टी होगी जिसमें उद्देश्यों, आदर्शों, और लक्ष्यों को लेकर वादविवाद हो। वह पार्टी मुर्दा पार्टी होती है जो किसी को एक ठेकेदार समझ कर अपने मस्तिष्क को गुलामी में बांधे रहती है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है अपने सामने। जिस लक्ष्य के सामने हर एक ईमानदार और सभ्य आदमी को झुकना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा उत्तर नहीं देना चाहता, श्रीमन् इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर बुद्धि का संतुलन ठीक रखेंगे और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों का विवेचन करेंगे तो उनको लोहिया और कृपलानी में फर्क नहीं मालूम होगा। अगर यह किसी बात को छिपाने के लिए कहा, तो हमको उस पर कोई एतराज नहीं है। मैं तो चाहता था कि उनको सदन में और मौका मिलता, सफाई करते, जिससे हमको भी मौका मिले कि हम भी उनकी खिदमत में नम्र निवेदन कर दें। मैं चाहता हूं कि वह लोग आशान्वित न हों, क्योंकि "होप डेफर्ड मेकेथ दि हार्ट सिक" ("Hope deferred maketh the heart sick")

अगर आशाएं निराशाओं में परिणत होती हैं तो दय की गति रुक जाती है। इसलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके दय की गति न रुके। अगर वह समझते हैं कि अपने स्वार्थों को सामने रख कर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, या उसके नेता यह कार्यकर्ता कभी लड़ भी सकते हैं आपस में, तो इस कल्पना और इस भ्रम को उन्हें दूर कर देना चाहिए। यह जो कल्पना उनकी पार्टी की मजबूती के लिए है वह निराशा में परिणत हो चुकी है और होगी।

कहते हैं हमारे माननीय शुक्ला साहब कि शेख अब्दुल्ला की गलती मत करो। सरकार को सबक दे रहे थे, हमको सबक दे रहे थे या अपने को सबक दे रहे थे? शेख अब्दुल्ला की गलती करोगे तो जिस तरह से अपनी सरकार के अन्दर शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए उसी तरह से यह सरकार भी कैद होगी। बात कही बड़े मार्के की मैं यह कह देना चाहता हूं वर्तमान सरकार के कर्णधारों से कि सही तरीके से इस विधेयक को लाओ, लेकिन आज जिस तरह से इस विधेयक को लाया जा रहा है सचमुच यह शेख अब्दुल्ला की गलती कही जा सकती है और अगर कांग्रेस की पार्टी इस सरकार को कैद नहीं करती तो जनता तैयार है इस सरकार को कैद करने के लिये।

श्री देवदत्त मिश्र--आप तो शेख अब्दुल्ला के हिमायती हैं?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, कहा जाता है कि हम तो शेख अब्दुल्ला के हिमायती हैं। किसने हिमायती की यह जाकर पूछिये पं० नेहरू से। शेख अब्दुल्ला के क़दमों पर कौन चला जाकर पं० नेहरू से पूछिये और आज भी श्रीमन् बयान निकला करते हैं कि शेख अब्दुल्ला से हम प्रेम करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त इस विधेयक से शेख अब्दुल्ला का क्या सम्बन्ध है?

श्री उपाध्यक्ष--शेख अब्दुल्ला का शायद यहां जिक्र किया गया था उसी का जवाब दे रहे हैं।

श्री राजनारायण--श्री गेंदा सिंह या किसी और माननीय सदस्य ने कहा काश्मीर में जो भूमि में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं उनकी चर्चा की, उस चर्चा को लेकर आज इस सदन में कुछ सम्मानित सदस्यों ने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने उस भूमि सुधार के कारण अपने को गिरफ्तार कराने की परिस्थिति पैदा कर दी। मैं इस सरकार को यह बतला दूं कि शेख अब्दुल्ला की ख्याति, उसकी प्रतिष्ठा, उसके प्रति जनता की सहानुभूति आज भी उन्हीं भूमि सम्बन्धी कानूनों को पास करने के कारण है, उसके पीछे जनमत है।

श्री रामनरेश शुक्ल--आप शेख अब्दुल्ला के साथी हैं?

श्री राजनारायण--मैं बतला दूं श्रीमन् कि शेख अब्दुल्ला के साथी कौन हैं। उसके जो अच्छे काम हैं, जो बढ़िया काम हैं, जो जनहितकारी कार्य हैं, उसके हम जरूर साथी हैं लेकिन उसके ग़लत कामों का साथ हमने कभी नहीं दिया। हमने इसी सदन में आवाज बुलन्द की कि श्यामा प्रसाद मुकर्जी की जान गई उसकी जांच क्यों नहीं हुई? मैं सफाई के साथ कह देना चाहता हूं कि शेख अब्दुल्ला को इतने दिनों तक कैद रखना, जेल में बन्द रखना, मैं अनुचित समझता हूं। अगर मैं उनकी गिरफ्तारी को अनुचित न समझता तो अपनी गिरफ्तारी को क्यों अनुचित समझता हूं? मैं भी इस सरकार की कानपुर की जेल में बन्द था।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस विषय पर अधिक वादविवाद न होना चाहिये।

**श्री राजनारायण**--मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार सही कदम उठाये. अपनी पार्टी के सदस्यों की उन भावनाओं से डरे नहीं। हो सकता श्रीमन् कि आज कांग्रेस पार्टी के अधिकांश सदस्य राजस्व मंत्री से मिलते हों और उन पर दबाव डालते हों कि अधिवासियों की बेदखली खोली जाय। उनकी बेदखली में पड़ कर यह सरकार ग़लत काम करेगी और इस समय जिनके पास जो जोत की जमीन है उसकी बेदखली की गुंजायश होगी तो चाहे इस सदन के सम्मानित सदस्य बहुमत में होने के कारण इस सरकार को बचा लें लेकिन नैतिक रूप से यह सरकार जनता की अदालत में कैद होकर रहेगी। एक बात यह भी निवेदन कर दूं कि ८ एकड़ जमीन की जो पहले बेदखली की बात थी अब उसको सरकार ने निकाल दिया। अच्छा किया बेदखली की बात निकाल दी। पिछली दिनों में यह बराबर कहा गया कि हमने छोटे किसानों के लिये बेदखली की गुंजायश कर रखी है और मौका होगा तो खोली जा सकती है राजस्व मंत्री जी ने जो बात हमसे कही थी वह यह ती थी कि हम बेदखली खोलने की क्लाज को लागू नहीं करेंगे मगर वह डर गये। उनके दल के सदस्यों ने उनके ऊपर दबाव डाला और इसके सम्बन्ध में आजमगढ़ में सत्याग्रह भी हुआ और आजमगढ़ सत्याग्रह के सम्बन्ध में वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जो बात हुयी थी और जो उन्होंने सलाह दी थी उन बातों को भी इसी नुक्तेनजर से लेकर बाद में दूसरा रूप देने की कोशिश की गयी राजस्व मंत्री जी से भी बातें होती हैं और कुछ अच्छी बात भी सब में होती हैं।

**श्री चरण सिंह**--डाकू में भी कुछ अच्छी बातें होती हैं।

**श्री राजनारायण**--इसीलिये तो मानसिंह को जनता का समर्थन प्राप्त है और आपकी सरकार असफल हो रही है। मैं यह कह रहा था कि हर बात की अच्छाई और बुराई को देख कर उस पर मत प्रकाशन होना चाहिये। एक तरफ तो राजस्व मंत्री जी ८ एकड़ वाली धारा को निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ बेदखली खोलने की गुंजायश हो रही है। मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं? अभी तक तो जमीन शिकमी पर देने की बात नहीं थी मगर अब जो १२॥ एकड़ से ऊपर जमीन रखेंगे और अगर उनके पास वह जमीन तीन वर्ष तक परती रहे तो उस जमीन का कलेक्टर साहब बहादुर नोटिस देंगे कि क्यों पर्ती है और इसको जोतना चाहते हो या नहीं। तब उसके बाद कलेक्टर साहब बहादुर जिसको चाहेंगे वह जमीन दे देंगे और वह जमीन जोतेगा और लगान मालगुजारी भी देगा लेकिन मुनाफे के रूप में भी कुछ उसको देगा, जिसकी वह जमीन थी। यही बात है न? इसमें किसका हित है? क्या यह क्रान्तिकारी कदम है? क्या इसी को क्रान्तिकारी परिवर्तन कहते हैं कि जो १२॥ एकड़ से ऊपर जमीन रखता है उसको यह सरकार डाइरेक्ट तरीके से छूट दे रही है वह उसको अपने पास रखता हुआ जोतने के लिये दे दे। चूंकि सरकारी कागज में नाम दर्ज है तो बिना किसी प्रकार के परिश्रम के उसको उसका मुनाफा मिलता रहेगा। यह क्या है? इतना बड़ा अपराध क्या सरकार और कोई गरीबों के साथ कर सकती है। एक तरफ तो सरकार के मंत्री लोग विनोबा जी की तारीफ करते हैं कि यह भूमि जितनी है वह सब गोपाल की है। जिस प्रकार से हवा है, पानी है उसी तरीके से यह भूमि है और दूसरी तरफ सरकार स्वयं उन लोगों को मुनाफा देने के लिये कानून बनाने की बात कर रही है जो कि जमीन पर काम नहीं करते। ऐसी गलत और परस्पर विरोधी उद्देश्य की बातें हमने किसी जनता की सरकार के जरिये रखी गयी हों, नहीं देखी हैं और न सुनी हैं। पार्लियामेंटरी पद्धति में हमने कहीं पर भी इस प्रकार से नहीं देखा है। इंगलैण्ड में भी चर्चिल की सरकार जो है वह सफाई के साथ कह देती है कि हम उस चीज को डिनेशनलाइज्ड करेंगे। चर्चिल की सरकार आती है तो वह स्टील को डिनेशनलाइज्ड करती है और जब लेबर सरकार आती है तो वह उसको नेशनलाइज्ड करती है। मगर दोनों सफाई के साथ जनता के सामने रखते हैं। वहां पर उनके उद्देश्य और कारणों में कोई अन्तर नहीं आता है। जिस बात

को वह सफाई के साथ कहते हैं उसको उसी प्रकार से करते भी हैं। मगर यहां पर करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। इनके उद्देश्य और कामों में बिल्कुल इख्तलाफ है और उद्देश्य और उसके कामों में कोई मेल नहीं है। बात कुछ और, उद्देश्य कुछ और। कानून की धारा में अगर आप जायेंगे तो उसका मतलब हासिल होगा कुछ। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को आप वापस ले लें और विनोवा जी जिनका गुणगान करते हुये यह सरकार कभी अघाती नहीं है उनके पास इस विधेयक को भेजा जाय और इस पर उनकी सम्मति मांगी जाय कि इस विधेयक के सम्बन्ध में उनकी सम्मति क्या है? आज मैं जोर के साथ यह कहना चाहता हूं और सफाई के साथ कहना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमें बतायें कि हमारी इस मांग में दम है या नहीं कि यह विधेयक विनोवा जी के पास भेजा जाय और उनसे सम्मति मांगी जाय कि यह किसानों के हित में है या नहीं। लेकिन आपने जो यह विधेयक बनाया है यह उससे बिल्कुल उल्टा है, क्या इससे जो जमीन जोतने वाले हैं उनके पास जमीन रहेगी? इस पर भी आप यह कहें कि हमने यह कानून किसानों के हित में बनाया है, इसके द्वारा हम जमीन जोतने वालों की रक्षा कर रहे हैं और इस विधेयक को लाकर हमारा सुवर्ण स्वप्न पूरा हो रहा है। वाह रे आपका सुवर्ण स्वप्न। मैं फिर माननीय राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे कृपा करें और इस सदन के समय को बचायें तथा फिर जो भी परिवर्तन लाने लायक हों उनको भी अपने दृष्टिकोण में रखें। विनोवा जी कोई हमारी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। बिनोवा जी में हमारी अपेक्षा कांग्रेस पार्टी की अधिक आस्था है। हमारे कहने से आप इसको टेस्ट के तौर पर उनके पास भेज दें हमें विश्वास है कि उनकी जो भी राय होगी वह किसानों और मजदूरों के पक्ष में होगी और हम समझते हैं कि उनका फैसला हमारे फैसले से उल्टा नहीं होगा। इसलिये आप इस विधेयक को बिनोवा जी के पास भेजें, उनकी सम्मति आने पर अगर उनकी राय हमारी राय से उल्टी हो तब भी देखा जायगा।

**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल** (प्रतापगढ़)—मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं अपने माननीय मित्र से कि इस विधेयक को वे स्वयं बिनोवा जी के पास भेज दें। मेरे ख्याल से उनके लिये कोई रुकावट नहीं है।

**श्री राजनारायण**—भेजना ही नहीं मैं इस विधेयक को स्वयं लेकर उनके पास जाने के लिये तैयार हूं। मैं माननीय गेंदा सिंह जी से निवेदन करूंगा और अपनी पार्टी के कुछ और सदस्यों को भी भेज दूंगा मगर आप इसे कानून की शक्ल उस वक्त तक न दीजिये, इस पर जो बहस हो रही है उसको रोकिये। अगर कानून बन जायगा तो लाखों रुपया बरबाद हो जायगा और तब बिनोवा जी की सम्मति आयी तो लाभ क्या होगा। मैं शुक्ल जी से ऐसी बात की आशा नहीं करता था। ऐसे विधेयक के बारे में जोरावर वर्मा जी ने जो विचार प्रकट किये हम उनके साथ हैं कि विधेयक ऐसा होना चाहिये जिसमें लोगों की कुछ आस्था हो, किसी कानून से जो सिक्यूरिटी की बात लोगों में आती है कि हमें इस कानून के मातहत चलना है, वह उसके द्वारा आनी ही चाहिये न कि यह कि केवल दो ढाई वर्ष की जिन्दगी में ही इस कानून में ३ संशोधन आ गये, यह सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है। इसलिये सरकार को इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से करबद्ध और विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक को वापिस लेकर एक दूसरा पूर्ण और ठीक विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत करें।

एकोनोमिक होल्डिंग्स की बात भी कही गयी। जो ऐग्रीकल्चर साइंस के माहिर हैं उनका कहना है कि एकोनौमिक होल्डिंग्स यह एक बहुत ही वेग टर्म है, एक बहुत ही गोल शब्द है, हमको इसके फेर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने यहां की परिस्थिति को देखना चाहिये और उसको देखकर हमें यह नतीजा निकालना चाहिये कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को काम दे सकते हैं, कितने लोगों की

[श्री राजनारायण]

रोजी का इन्तजाम कर सकते हैं, कितने लोगों को व्यवस्था के चक्कर में से निकाल कर स्वतंत्र वातावरण में ला सकते हैं। मेरा विचार है कि हमारी इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि आज जिस जमीन की उत्पादन शक्ति १० मन है अगर उसमें पानी, खाद और अच्छे बीज का प्रबन्ध कर दिया जाय तो उसकी वह शक्ति २० या ३० मन तक हो सकती है इसलिये अगर हम आज यह कैद लगा देते हैं कि एकोनौमिक होल्डिंग्स ४–६ एकड़ की होगी तो हमारा वह फैसला ग़लत हो जायगा। इसलिये हमें एकोनौमिक होल्डिंग्स और गैर एकोनौमिक होल्डिंग्स के फेर में न पड़ना चाहिये। हमको अपने देश की गरीबी को देखना चाहिये, बेकारी को देखना चाहिये।

कल माननीय मंत्री जी ने खेतिहर मजदूरों की भी कुछ चर्चा की। मैं इस भूमि व्यवस्था विधेयक को व्यवस्था का नाम देने के लिये तैयार हो सकता हूं यदि माननीय मंत्री जी उन खेत पर काम करने वाले मजदूरों के लिये, अगर उनको काम न मिले तो उनके लिये कुछ भत्ते का इन्तजाम कर दें। हां इसको हम व्यवस्था कह सकते हैं कि आज जो अपने गांवों में खेती के सहारे जिन्दा हैं यदि उनके पास कोई कारबार न हो, यदि वे बेकार हों, अपने जीवन की आवश्यकताओं को न पा सक रहे हैं तो सरकार उनके लिये कुछ भत्ते का इन्तजाम करे। मैं सरकार को यह सलाह देने वाला हूं कि बेकार लोग चाहे वे शहर के रहने वाले हों या गांवों के रहने वाले हों उनको भत्ते के लिये अपनी आवाज बुलन्द करनी चाहिये और सरकार की ओर से उसका प्रबन्ध किया जाना चाहिये। अगर उनकी मांग की पूर्ति न हो तो उनको हक होगा कि वह उसको पाने के लिये अगर वे किसी कानून को भी तोड़ेंगे, जिसका कि उन्हें हक होगा तो मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि हमारा सहयोग उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ माननीय राजस्व मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि यह एक बड़ा छोटा सा निवेदन है और हो सकता है कि उन्हीं के हित का समर्थन हो जाय, इस विधेयक को आज वापस ले लें और वापस ले करके एक कमेटी बनवा दें जो आपकी और हमारी हो। हम लोग माननीय गेंदा सिंह जी को छोड़ने के लिये तैयार हैं, हम खुद जाने के लिये तैयार हैं। उसमें माननीय गेंदा सिंह जी रहेंगे, आप लोग भी रहेंगे, फैसला हो जायगा। यहां से बिनोबा जी के यहां चला जाय, शायद वहां जयप्रकाश जी भी मिल जायं, और सबकी सलाह से एक जन-कल्याणकारी भूमि व्यवस्था प्रस्तुत करें जिसे अव्यवस्था की संज्ञा न दी जा सके। इससे सदन का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और एक दूसरे पर जो वाग्बाण चलता रहता है उसकी भी परिस्थिति नहीं आयेगी और इससे सब में साम्य अवस्था पैदा हो सकेगी।

**श्रीमती चन्द्रवती** (जिला बिजनौर)—श्रीमन्, उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं श्री राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक इस भवन के सामने प्रस्तुत किया जिसका कि सम्बन्ध जनता की आधी से ज्यादा संख्या से है। मैं यह भी मानती हूं कि यह क्रान्तिकारी विधेयक है लेकिन मेरी जो परिभाषा क्रान्ति की है वह एक दूसरा ही माने रखती है। क्रान्तिकारी तो यह अवश्य है, इसका एक सबूत मैं आपके सामने पेश भी कर देती हूं कि इस बिल को प्रस्तुत करने के पहले ही कुछ रिएक्शन जनता में हुआ जिसका कि इस अपील में जो कि मेरे पास मेरे जिले की बहिनों की ओर से आई है। जिक्र किया गया है। मैं इसमें जो त्रुटियां हैं और अच्छाइयां हैं उनको भी मानती हूं लेकिन यहां पर मैं अच्छाइयों पर कुछ नहीं कहना चाहती हूं, केवल त्रुटियों पर ही कुछ प्रकाश डालना चाहती हूं। इस समय मैं स्त्रियों के प्रति कुछ कहना चाहती हूं। हमारे सारे नारी समाज पर कुछ क्या, मैं तो कहती हूं कि बहुत कुठाराघात हुआ है। उनके अधिकारों पर जो कि जमींदारी उन्मूलन बिल पास करने के बाद भी दिये गये थे, उन पर भी पूर्णतया वज्रपात किया गया है। इस समय मैं सबसे पहले निवेदन कर दूं कि इंडियन

सक्सेशन ऐक्ट में जहां आता है विधवा के बाद में जहां कि हक लड़की को पहुंचता था, वह लड़की का हक काट कर उसके चाचा या उसके चचा-भाई को दे दिया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि यह कहां का इन्साफ है? एक लड़की अगर अनमैरेड है तो फिर क्या उसका चचा यह चाहेगा कि उसकी शादी के ऊपर उतना खर्च हो जितना कि उसके मां-बाप उस लड़की के लिए करना चाहते थे? निश्चय ही बाद में उस रूप में वह कभी नहीं खर्च करना चाहेगा? कौन सा भाई यह चाहेगा कि वह अपनी बहन की शादी के ऊपर और उसकी शिक्षा के ऊपर इतना खर्च करे जितना कि उसका पिता उस पर खर्च करना चाहता था? मैं तो यह कह सकती हूं कि पिता के मर जाने के बाद और मां के मर जाने के बाद जो उसके चचा व भाई आदि रहते हैं वे उसकी शिक्षा की बात भला क्या सोचेंगे, वे तो चाहते हैं कि सारा कूड़ा जल्दी से जल्दी यहां से निकले तो सारा घर अपना रहे। शादी करने के बाद वे उसे भार समझने लगते हैं और हमेशा के लिये उसे भुला दिया जाता है। मैं सोचती हूं कि जिस वक्त लड़की की शादी होती है उस समय उसका मान और अपमान उसकी पैतृक सम्पत्ति और पिता-घर सम्बन्धित व्यवहार पर आश्रित होता है। जब उसके ससुराल में यह आभास हो गया कि इसके पिता के घर में कोई बुलाने वाला नहीं है तो प्राकृतिक रूप से उसका अपमान होना शुरू हो जाता है और उसका जीवन नीरस हो जाता है। यहां पर थोड़ा सा जिक्र और कर दूं कि जो लड़कियों को समय-समय पर माता-पिता बुला कर उसका मान किया करते हैं। जैसे त्योहार आदि में या कम से कम साल भर में एक दो मरतबा तो जरूर बुला लिया जाता है इस समय जो कुछ उसको देना होता है माता-पिता सम्पत्ति के रूप में जो हिन्दू कानून के अधीन स्त्री धन समझा जाता है उसको दिया जाता है। क्या इस कानून के बना देने से अब उस गरीब अनाश्रिता पर जुल्म नहीं होगा जिसको माता-पिता ने छोड़ दिया और कानून भी रक्षा नहीं करता कि उसको अधिकारों से पूर्ण करे। हमारे संविधान के मातहत यह अन्यायपूर्ण कहा जाता है। कानूनन, संविधान हर एक इन्सान को लिंग का भेद न करके पूर्ण अधिकार देना चाहता है। यहां पर मैं यह कहे बिना नहीं रह सकती कि एक कहावत है कि "अंधा बांटे शीरनी, अपने अपने को देय।" क्योंकि आदमी देने वाला होता है और उसने अपने सारे अधिकार अपने ही को बांट लिया। यहां पर एक जिक्र और कर देना चाहती हूं। यह भवन के जितने सदस्य हैं उनकी संख्या ४३१ है जिनमें महिलायें केवल ११ हैं। अब ४३१ में से ११ को कम करने से ४२० का नम्बर आता है। अब इस नम्बर के प्रभाव के कारण वह यदि ११ महिलाओं को भी ऐकमोडेट नहीं कर सकते तो इन बहिनों के और जन गणना की आधी संख्या में जो बाहर बहिनें वर्तमान हैं उनके साथ कुठाराघात नहीं होगा तो मैं क्या कहूंगी। इसके बाद एक चीज और है जो जमींदारी अबालीशन बिल जब पास हुआ था तब भी औरतों को यह हक दिया गया था कि जो उनके नाम में जमीनें होंगी वे उन पर से शिकमियों को बेदखल करा सकेंगी और यही नहीं यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट के मातहत उनको यह हक दिया गया था जिसको बाद में भी जमींदारी उन्मूलन के समय यह हक माना गया, लेकिन वही अधिकार यह अब क्यों इनसे छीन लिया जाता है। तो मैं सोच लूं कि क्या माननीय चरण सिंह जी का दूसरा कदम स्त्रियों को मिटा देने में होगा। एक कानून में एक चीज दी गई और दूसरे ही साल उस कानून में उनसे छीन ली जाती है। मैं चाहती हूं कि वे जरा सा इस पर ध्यानपूर्वक सोचें। उन्हें यदि यह ध्यान हो कि बहुत से जो भूतपूर्व जमींदार साहबान हैं उन्होंने अपनी जायदाद को बचाने के लिये औरतों के नाम से कर दिया है। यह सही हो सकता है कुछ मानों में, मैं भी मानती हूं लेकिन क्या हिन्दू कोड बिल के मातहत उनका हिस्सा जायदाद में आधा नहीं हो जाता है। अब अगर कोड बिल पास होकर आता है तो श्रीमान् चरण सिंह का कल को इसमें क्या अमेंडमेंट होगा। अब इसके बाद जो केसेज लड़ें होंगे, जो मुकदमे हुये होंगे, एक साल के बाद यह चीज लाई जाती है, तो जिन पर बहुत सा धन खर्च किया गया होगा, एजेक्टमेंट कराने के लिये बहुत सा रुपया बरबाद हो गया होगा, अब एक साल के बाद ऐसे केसेज

[ श्रीमती चन्द्रवती ]

जिन पर एजेक्टमेंट न हो उन पर खर्च किया जायगा तो मैं सोचती हूं कि यह व्यर्थ में धन व्यय होगा और उनको एक असुविधा पहुंचानी होगी और पंगु बनाना होगा। इस रुपये को यदि नेशनल डवलपमेंट के काम में लाया जाता तो मैं सोचती हूं कि देश का कल्याण होता और आत्माओं की तुष्टि होती। उपाध्यक्ष महोदय, इस चीज के लिये धारा १५७ आती है। धारा १० के मातहत बिल में सिर्फ एक "औरत" शब्द लिया गया है। इस "औरत" शब्द की परिभाषा दफा १५७ में की गई है कि वह मैरिड हो, अनमैरिड हो, विधवा हो, सेपरेटेड हो या डाइवोर्स्ड हो और उसके बाद में यह अमेंडमेंट आता है कि मैरिड का हक काट दिया जाय। मैं सोचती हूं कि यह तो एक कदम के बाद एक कदम चला गया है। आज आपने मैरिड औरतों के हक को काटा है कल आप विधवाओं का हक भी काट देंगे ऐसी मैं आशा करती हूं। मैं सोचती हूं कि क्यों न आप धारा १५७ को ही उड़ा दीजिये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसके बाद इसकी परिभाषा ही रह जाती है और उसके मातहत जो कुछ करना होगा वह एक दफा कर दीजियेगा। रोजाना का झगड़ा खत्म हो जायगा। इसके अलावा एक धारा २२२ है जिसमें कोई विधवा अगर वह अपनी जमीन किसी काश्तकार को देती है और वह उसका लगान नहीं अदा करता समय पर तो वह दरख्वास्त देती है कि उसका लगान उसको दिलाया जाय। कानून के मातहत वह दरख्वास्त तहसीलदार को जाती है। दफा २२२ की क्लाज ४ में काश्तकार को यह सिखाया जाता है कि वह इस किस्म की दरख्वास्त दे कि हम खुद लैंड लार्ड हैं और कब्जे पर काबिज इस तरह से वह मुकदमा सिविल कोर्ट में चला जायगा और इस तरीके से उसमें बहुत सा रुपया भी लगेगा और समय भी। वह विधवा जिसके कोई कमाने वाला नहीं है इस बीच में वह अपनी आय से वंचित रहेगी और उसे सालाना लगान भी अपनी जमीन का सरकार को भरना पड़ेगा, अगर एक दफा भी अपना लगान वह न दे सकी तो जमीन उसके पास से छीन ली जायगी। इस क्लाज में जहां वह हम लोगों की कुछ मदद कर सकते थे उसमें तो राजस्व मंत्री जी ने हां तक नहीं लगाया, शायद भूल गये हों या उनके ध्यान में ही न आया हो। इसलिये आखीर में मेरा यह नम्र निवेदन है कि यह उनका औरतों की तरफ से विमुख होना ठीक नहीं है और इसका रिएक्शन बाहर की अधिक संख्या पर अधिक पड़ेगा और मैं समझती हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी भी यह मानते होंगे कि उनको आधे से ज्यादे वोट स्त्रियों ने ही दिये होंगे जिनकी वजह से वह यहां आये हैं। भविष्य के लिये भी वह इस बात का ध्यान रखें। मैं औरतों की तरफ से इस भवन में चन्द महिलाओं को छोड़ कर ४२० भाइयों से अपील करती हूं कि इस तरफ ध्यान दें।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दुर्भाग्य है कि माननीय नेता विरोधी दल के विनम्र निवेदन की गर्जना के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं कुछ निवेदन करूं। श्रीमान्, मैंने इसकी चेष्टा की कि यह विधेयक जो भवन के सामने प्रस्तुत है उसको हर दृष्टिकोण से देखूं और मैं आपके द्वारा आम तौर से इस सदन के माननीय सदस्यों को और खास तौर से अपने नेता विरोधी दल को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे लिये एक आसानी थी कि हर दृष्टिकोण से मैं इस विधेयक को देख सकूं और इसके लिये मुझे आसानी यह थी कि थोड़े ही दिन हुए मैं उस तरफ बैठता था। इसलिये अभी इधर की आदत भूला नहीं हूं। विरोधी दल के दृष्टिकोण से मैंने इस विधेयक को देखा, सरकार के दृष्टिकोण से देखा और जनता के दृष्टिकोण से देखा। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि हर एक चीज के दो पहलू हुआ करते हैं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा उनसे क्षमा चाहूंगा अगर मैं यह निवेदन करूं कि जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है इसमें केवल एक ही पहलू नजर आया, उसका इंटर प्रिटेशन मंत्री जी कुछ दें, नेता विरोधी दल कुछ दें किन्तु पहलू केवल एक ही है और वह यह है कि

किसी भी कानून से, किसी भी विधेयक से चाहे वह कांग्रेस सरकार लाये, चाहे विरोधी दल लाये, या सोशलिस्ट सरकार लाये या कोई दूसरी पार्टी लाये, लेकिन पहलू केवल एक है कि उस विधेयक के द्वारा कितने लोगों को लाभ पहुंचता है। ऐसा तो नहीं कि उस विधेयक से कुछ लोगों को लाभ पहुंचता हो, कुछ एक गुट को लाभ पहुंचता हो और सारी जनता को उससे नुकसान पहुंचता हो। श्रीमन्, छोटे-छोटे संशोधनों को छोड़कर इस विधेयक में जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं वह १०, १२ होंगे। मैं एक-एक संशोधन को लेकर आपकी आज्ञा से अपनी टीका-टिप्पणी के साथ निवेदन करता हुआ माननीय गेंदा सिंह जी से और माननीय राजनारायण जी से पूछने की धृष्टता करूंगा कि इसमें कौन सी वह ऐसी चीज पाते हैं, कौन सी ऐसी खराब चीज है जिसके कारण वह यह कहते हैं कि सरकार इस विधेयक को फौरन वापस ले लें। मैं यह मान सकता हूं कि जो भूमि व्यवस्था की उनकी तस्वीर है वह सरकार की न हो, जो उनका स्वप्न है वह स्वप्न सरकार का न हो। मैं यह भी मान सकता हूं सरकार की तस्वीर से इनकी तस्वीर दूर जाती हो। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर जनता को १६ आना किसी चीज से फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता, कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं जो बजाय १६ आने के ८ या १० आने तक फायदा पहुंचाया जाता हो तो क्या यह कहना मुनासिब होगा कि सरकार इस विधेयक को वापस ले ले और तब तक इन्तजार करे जब तक १६ आने न दे सके देश को। मुझे मालूम नहीं कि माननीय मंत्री जी के स्वप्न में और माननीय नेता विरोधी दल के स्वप्न में क्या अन्तर है, यह तो वही बता सकते हैं लेकिन जहां तक भूमि व्यवस्था के इंटरप्रटेशन का प्रश्न है वहां तो मैं यह देखूंगा कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा फायदा किसको पहुंचता है। कल अपने १०० मिनट के भाषण में माननीय गेंदासिंह जी ने ३५ मिनट लगाये सिर्फ माननीय मंत्री जी के एक शब्द पर कि उनकी आशा यह है कि इस भूमि व्यवस्था विधेयक से भूमि व्यवस्था की तस्वीर पूरी हो जायगी। उस तस्वीर की बात को लेकर माननीय गेंदा सिंह जी ने १०० मिनट के अपने भाषण में ३५ मिनट बताया और उन्होंने यह कहा यदि माननीय मंत्री जी की भूमि व्यवस्था की यही तस्वीर है तो उन्होंने सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके वह इस विधेयक को वापस ले लें। मैं फिर दोहराऊंगा श्रीमन्, कि मैं अन्तर नहीं देख पाता दोनों की तस्वीर में, दोनों के स्वप्न में केवल अन्तर में इम्पलीमेंटेशन का देखता हूं। अन्तर केवल यही देखता हूं कि हो सकता है कि इधर के लोग और दूर जाना चाहते हों, हो सकता है कि कुछ देर से किसी दूसरे रास्ते से दूसरे लोग वहीं पर पहुंचना चाहते हैं।

जैसा कि श्रीमन्, कहा जाता है कि भगवान में कोई अन्तर नहीं है चाहे वह मुसलमानों के भगवान हों, चाहे हिन्दुओं के भगवान हों। केवल उसके पहुंचने के रास्ते दूसरे हैं। इसी तरह से मैं कहूंगा कि कांग्रेस के ध्येय में और हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों के ध्येय में, उनके सपने में और इनके सपने में कोई अन्तर नहीं है। हो सकता है कि रास्ते का अन्तर हो। आप बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हों, दूसरे लोग उतनी जल्दबाजी पसन्द न करते हों।

श्रीमन्, बहुत जोर दिया गया इस ओर से कि इस विधेयक के द्वारा बेदखली खोली जा रही है। मेरी शिकायत अपने विरोधी दल के माननीय मित्रों से यह है कि वह जब किसी प्रश्न पर दृष्टि अपनी डालते हैं तो हर एक चीज में उन्हें जमींदारों का भूत दिखाई पड़ता है।

**श्री राजनारायण**—गरीबों का दुख दिखाई पड़ता है।

**श्री सुरेश प्रकाश सिंह**—ढाई सौ से कम जितने कम मालगुजार हैं जो कि अक्षम हैं उनको अपने अधिवासी की बेदखली का अख्तियार दिया जा रहा है। हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि गरीबों का दुख दिखाई दे रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं श्रीमन्, जो भी माननीय सदस्य आजकल देहाती क्षेत्रों में, काश्तकारों के क्षेत्र में काम करते हों, क्या उनका

[श्री सुरेशप्रकाश सिंह]

यह अनुभव है या नहीं है कि गरीब और दुखिया बेवाओं की जमीन जो शिकमी जोते हुये हैं, वह न उनको गल्ला बांटते हैं, न जमीन छोड़ने के लिये तैयार हैं। आप कहेंगे कि कानून उनके साथ है। आप कहेंगे कि कानून का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन वही गरीब बेवा जिसके नाम पर इतने जोरों का गर्जन हमारे माननीय नेता विरोधी दल करते हैं, क्या उसके लिये यदि यह बेदखली खोल दी गई है, तो क्या कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, कहा जाता है कि बेदखली खोल देने से न मालूम कितने अधिवासी हैं, उनके ऊपर अन्याय हो जायगा। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जो जबरदस्त है और जिस जबर्दस्त की जमीन पर अब भी कोई अधिवासी या शिकमी कोई भी हो, उसको अब भी बिलकुल फिक्र नहीं है कि क्या हो रहा है, या नहीं हो रहा है। या तो उसने अपने कब्जे में ले लिया होगा या उसने ऐसी व्यवस्था कर ली होगी कि उसका कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन जो गरीब है, अनाथ है, जो विधवा है, जिसकी जमीन पर शिकमी की हैसियत से एक जबरदस्त उसकी जमीन को, उसके गल्ले को हड़पने के लिये बैठा हुआ है, हड़प कर लेना चाहता है, उसके खिलाफ यह बेदखली खोली गई है। श्रीमन् अब भी ढाई सौ से ऊपर के मालगुजार, पुराने जमींदार जो अक्षम लोग हैं, उनकी जमीनों पर जो शिकमी हैं, वह शायद अब भी बेदखल नहीं हो सकते। जो अक्षम नहीं हैं उनको तो मौरूसी हक मिल ही गये हैं, सवाल तो यह है कि जो ढाई सौ से कम की बेदखली यहां खोली गई है वह किसके फायदे के लिये है और किसके नुकसान के लिये है? श्रीमन्, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह शरीफ हो, चाहे न हो। अगर वह बेईमान है तो उसको तो सजा मिलनी ही है, अगर वह बेईमानी करना चाहता है तो उसको तो निकलना ही है, अगर वह एक गरीब बेवा की जमीन हड़प करना चाहता है तो उसको तो निकलना ही चाहिये। तो ऐसे लोगों के लिये कानून बना कर के जब राजस्व मंत्री जी सामने आते हैं तो कहा जाता है कि गरीबों के साथ अन्याय होता है। बड़े-बड़े जमींदारों की तरफदारी की जा रही है। कौन सी बड़े-बड़े जमींदारों की तरफदारी की गई है?

मैं तो कहने वाला था श्रीमन् कि यह जो विधेयक सामने पेश है उसमें केवल एक ही तबका है जिसको कुछ अधिकार जो पहले दिये गये थे वह छीने गये हैं। परन्तु मुझे उसमें भी संतोष है। संतोष इसलिये है कि वह एक छोटा सा वर्ग है जिसके अधिकार पहले कानून में थे, उनको अब छीना गया है। लेकिन जो बड़े वर्ग को, जनता को जो अधिकार दिये गये हैं, जनता को उससे जो फायदा है, उसको देख कर मुझे संतोष है और मैं यह नहीं कहूंगा कि इस कानून के द्वारा किसी के साथ भी ज्यादती की जा रही है। ज्यादती हर कानून में होती है। चोरी के खिलाफ कानून बनेगा तो चोर कहेगा कि हमारे साथ ज्यादती है। लेकिन क्या उस चोर की तकलीफ को देख कर माननीय नेता विरोधी दल कहेंगे कि इस कानून को नहीं बनाओ। कोई भी कानून बने उसमें किसी न किसी के ऊपर तो ज्यादती होती ही है। लेकिन अगर कानून ठीक है, सच्चा है तो तकलीफ होगी बदमाश को, चोर को और नेक आदमी को तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई शिकमी काश्तकार नेकचलन है, अगर कोई शिकमी काश्तकार बेवा को गल्ला देता है तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे गरीब और नेक शिकमी काश्तकार को इस संशोधन से क्या तकलीफ हो सकती है। तकलीफ तो उसको होगी जो जमीन नहीं छोड़ना चाहता है, गरीब बेवा को उसका गल्ला देना नहीं चाहता है, उसको बटाई देना नहीं चाहता है और उसकी जमीन हड़प कर लेना चाहता है।

श्रीमन्, कहा गया बड़े जोर शोर के साथ कि कितनी मर्तबा विरोधी दल की तरफ से कहा गया है कि हमारे जो हरिजन भाई हैं उनके लिये कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। मैं तो यह समझता हूं कि हरिजन भाइयों का प्रश्न यहां पर उठता नहीं है। यहां पर तो जब कोई भूमि खाली होती है तो उसका प्रबन्ध गांव की भूमि प्रबन्धक कमेटी करेगी। कमेटी के पास एक प्रायोरिटी लिस्ट रहती है उसके अनुसार वह प्रबन्ध करती है। इसमें सब से पहले प्रायोरिटी थी कि भूमिहीनों को जमीन दी लेकिन अब यह कर दिया गया है कि उनसे पहले ऐजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को दी जायगी। इस बात को लेकर माननीय नेता विरोधी दलने बड़ा रोष

प्रगट किया और कहा कि गरीबों को जो कुछ पहले हक मिले थे, पहले कानून ने दिये थे, वह इस संशोधन द्वारा निकाले जा रहे हैं। कहां निकाले जा रहे हैं, श्रीमन् और कैसे निकाले जा रहे हैं और अगर निकाले भी जा रहे हैं तो किस के लिये निकाले जा रहे हैं। मैं नहीं समझ सकता कि हमारे प्रांत में जहां-जहां भूमि खाली होगी वह कैसे सब ऐजूकेशन इंस्टीट्यूशन्स को चली जायगी। क्या हमारे ऐजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स प्रान्त भर में इतने फैले हुये हैं, इतने सर्वव्यापी हैं कि जहां भी भूमि खाली होगी उसको ऐजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हड़प करते चले जायेंगे और गरीब जनता और हरिजन भाई उससे बंचित रह जायेंगे।

श्रीमन्, बहुत कुछ कहा गया है सवा छै एकड़ और ३ १/८ एकड़ के ऊपर और माननीय नेता विरोधी दल ने राजस्व मंत्री जी को सलाह दी कि यह वक्त नहीं है हमारे लिये कि हम अपनी भूमि व्यवस्था में कोई सीलिंग की फ्रेगमेंटेशन या ऐकोनौमिक या अनइकोनौमिक होल्डिंग की बात करें। मैं यह मान सकता हूं कि हमारे नेता विरोधी दल ३ १/८ एकड़ वाली चीज से सहमत न हों और वह एक एकड़ चाहते हों या और कुछ चाहते हों लेकिन यह मानना पड़ेगा और किसी न किसी सीलिंग पर उनको आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

**श्री राजनारायण**--अध्यक्ष महोदय! पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि कोई सीलिंग न हो। लेकिन इकोनामिक होल्डिंग्स का जो सवाल उठा था उसके लिये मैंने कहा था कि जो आज होल्डिंग्स पैदा कर सकती है वह एकड़ में भी पैदा हो सकता है। इसलिये इसका प्रश्न नहीं है बल्कि हमने तो सीलिंग के लिये जोर दिया था कि कितने आदमियों को हम जमीन दे सकते हैं और कितनों को नहीं।

**श्री सुरेश प्रकाश सिंह**--श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल के एक्सप्लेनेशन से भी बात वही रहती है मैंने निवेदन किया था कि नेता विरोधी दल ने कहा कि आजकल की बात को देखते हुये हमें इस बात में नहीं पड़ना चाहिये कि कितने की इकोनौमिक होल्डिंग्स हैं और कितने की अनइकोनौमिक होल्डिंग्स हैं। माननीय नेता विरोधी दल कह सकते हैं कि एक एकड़ से नीचे की अनइकोनौमिक होंगी। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि कोई न कोई क्षेत्र अनइकोनामिक है फ्रैगमेंटेशन आफ लैंड होते जायं श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि लोग भूखों मर रहे हैं, हमें जमीन वितरण करनी है ताकि साल भर कड़ी मशक्कत के बाद उनको खाने पीने और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिये पर्याप्त अन्न मिल जाय। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह अच्छा है कि फ्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स होता रहे। आंसू बहाये जाते हैं कि हमारी बहुत सी ऐसी गरीब जनता है जिसके पास भूमि नहीं है, तो क्या हम इस प्रकार वितरण कर दें कि हर एक के पास बिसुवा-बिसुवा या बीघा-बीघा पड़े? अगर ऐसा ही है तो क्या माननीय नेता विरोधी दल हमको बतायेंगे कि एक साल की कड़ी मशक्कत के बाद, चाहे वह उसे अपने खून से सींच दें, क्या उससे इतना मिलेगा कि वह अपना और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकें?

फिर श्रीमन्, अगर इकोनौमिक होल्डिंग की कोई बात नहीं है, इकोनौमिक होल्डिंग कोई चीज नहीं है, तो हम कितने नीचे चले जायं, कितना हम फ्रैगमेंटेशन करते चले जायं, यह माननीय नेता विरोधी दल ने नहीं बतलाया, इस पहलू पर प्रकाश नहीं फेंका, इस पर उन्होंने माननीय राजस्व मंत्री को सलाह नहीं दी। तो मैं यह समझता हूं कि यह हो सकता है और मैं मान सकता हूं कि ३ १/८ ठीक न हो, दो एकड़ ठीक हो, लेकिन लोएस्ट सीलिंग तो लानी ही पड़ेगी। पहले सवा छः एकड़ थी। अपने भाषण में राजस्व मंत्री ने बतलाया कि सवा छः एकड़ को हटा करके ३ १/८ क्यों करनी पड़ी। हो सकता है कि अब ऐसा हो कि हम को ३ १/८ न भी करनी पड़े। इस भवन में लोग, मैं जानता हूं श्रीमन्, कि चाहे इस ओर के हों चाहे उस

[श्री सुरेशप्रकाश सिंह]

ओर के हों, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बार-बार किसी विधेयक के लिये संशोधन विधेयक नहीं आना चाहिये श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जितना ही महत्वपूर्ण विधेयक होगा, जितना ही कठिन कोई विधेयक होगा जितनी कठिन कोई व्यवस्था होगी जिसके पीछे विधेयक बनाया जायगा अपने अनुभव को देखते हुये, जैसा अनुभव होता जायगा, बार-बार संशोधन लाने पड़ेंगे। क्यों इससे इनकार किया जाय कि अगर आज हम बैठ कर कुछ सोचते हैं और अनुभव से हमें कुछ दूसरी चीज दिखाई देती है, दो साल के बाद अगर यह दिखायी देता है कि सवा छः एकड़ से गरीबों को फायदा नहीं, गरीबों का नुकसान है, तो क्यों हम उसको न बदलें और उसकी जगह ३ १/८ कर दें? हो सकता है कि दो साल के और अनुभव के बाद जो सीलिंग माननीय नेता विरोधी दल चाहते हों उसके ऊपर हम आ जायं। तो इसलिये चूंकि उस सीलिंग पर हम आज नहीं हैं, इसलिये यह विधेयक निकम्मा है, इसको वापस ले लेना चाहिये, इससे गरीब का गला कटता है, जमींदार ताल्लुकेदार होता जा रहा है, ताल्लुकेदार राजा और राजा महाराजा होता जाता है, यह मानने के लिये श्रीमन्, मैं हरगिज-हरगिज तैयार नहीं हूं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि हो सकता है कि उस तस्वीर में फर्क हो। माननीय नेता विरोधी दल और माननीय राजस्व मंत्री की तस्वीर में फर्क हो। हो सकता है कि अगर माननीय नेता विरोधी दल गरीबों को सोलहो आना दिलाना चाहते हों और किसी कारण यह विधेयक १० आने दे रहा हो, पर यह कहां की बुद्धिमत्ता है, श्रीमन् कि नहीं, इसको वापस ले लो और रोकलो जब तक पूरे सोलहों आने देने की व्यवस्था इसमें न हो जाय क्योंकि पीसमील हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि १०-१० आने या १२-१२ आने दिये जायं जबतक सोलहों आने न मिलेंगे तबतक इसको रोके रखो स यह भी कहा गया श्रीमन्, कि यह विधेयक गरीबों को कुछ नहीं देता। ऐसा सुनकर मुझे अफसोहुआ और दुख कि विधेयक कुछ नहीं देता है। मैं तो एक एक संशोधन ले रहा हूं और पूछता हूं कि किस संशोधन की रू से गरीब के अधिकार छीने जा रहे हैं, या गरीब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, मैं तो कहता हूं कि एक वर्ग ऐसा है, छोटा सा जिसके पुराने अधिकार छीने जा रहे हैं। एक छोटे से वर्ग को थोड़ा सा कष्ट होगा। इस संशोधन विधेयक से परन्तु मैं दोहराता हूं श्रीमन्, कि फायदा होगा एक बहुत बड़े वर्ग को, फायदा होगा जनता को। इसलिये मुझे इसमें भी संतोष है और कोई शिकायत नहीं उन संशोधनों से जहां किसी को हक मिले, एक बड़े तबके को, चाहे एक छोटे वर्ग के कुछ अधिकार छिन जायं श्रीमन् सार्वजनिक भूमि के लिये यह विधेयक कहता है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी कि कमेटियों का गांव पंचायतों को अदालत का रास्ता लेना पड़े। उनके लिये अब यह काफी होगा कि वह कलेक्टर के पास जाकर रिपोर्ट करें और कलेक्टर समरी प्रोसीडिंग्स करके यह इजाजत दे दे कि तुम इसको अपने हाथ में ले लो। अग्रीव्ड पार्टी अगर चाहे तो अपील कर सकती है। मेरी समझ में नहीं आता, श्रीमन् कि यह संशोधन कैसे हमको पीछे लेजाता है?

माननीय नेता विरोधी दल मानते हैं, उनको यह शिकायत है कि जमींदारों ने जमींदारी जाने से पहले न मालूम कितनी जमीन जो तलाब या अन्य सार्वजनिक कामों में आती थी उठा दी। जहां पुराने जमींदारों के अत्याचारों का बयान किया जाता है वहां एक महत्वपूर्ण स्थान यह रखता है कि जो सार्वजनिक भूमि थी उसको भी जमींदारों ने जतवा डाला। अब अगर उसके लिये कोई संशोधन लाया जाता है कि अगर ऐसा जमींदारों ने किया तो बजाय इसके कि पंचायत मुकदमा लड़े वह जमीन फ़ौरन उसके पास आ जाय और पुराना जमींदार चाहे तो अपील करे तो कहा जाता है कि यह तो गरीबों का गला घोटता है और अमीरों को ज्यादा अमीर बनाता है। यहां पर यह मैं जरूर कहूंगा कि इससे एक अंदेशा है और वह यह कि ऐसा हो सकता है, श्रीमन्, कि इस संशोधन द्वारा जमींदारों को धक्का पहुंचे और बेकायदा धक्का पहुंचे इसलिये कि जो भी कानून बनाया जायगा हर जगह कानून तोड़ने वाले होते हैं, हर जगह कानून में लेक्यूना निकाल कर उससे फायदा उठाने वाले होते हैं। ऐसा हो सकता है कि सीतापुर जिले में तो हम बैठे हैं और शाहजहांपुर में जहां मेरा एक बाग है उस गांव के काश्तकार उस बाग में खलिहान लगाने लगें और ६ महीने बाद जाकर कलेक्टर के यहां एक दरख्वास्त दें और कह दें कि यह तो खलिहान है और

जमींदार साहब इसको बेंच रहे हैं। अब मैं वहां जा नहीं सकता हूं, मेरे सिपाही भी अब वहां नहीं हैं, मुझे क्या पता कि जो बाग है वहां अब क्या हो रहा है। तो यह चीज है जिसे मैं समझता हूं माननीय राजस्व मंत्री को देखना चाहिये। कानून से नायायज फायदा अगर जमींदार उठाता है तो जरूर उसका सिर कुचलना चाहिये। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि कानून से अगर नाजायज फायदा कोई उठाता है, चाहे अधिवासी हो या कोई हो तो उसका भी सिर हमको कुचलना चाहिये। नहीं तो फिर अराजकता ही सामने नजर आयेगी। जमींदार तो अब खत्म हो चुका है, उसमें अब जान नहीं है, लेकिन अपने देश की किसी भी व्यवस्था को बनाने में वही जमींदारों के भूत का एक सन्निसवार हो करके हम सोचें तो उससे श्रीमन्, हम लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है। माननीय गेंदा सिंह जी कहते हैं कि भूत उधर है इधर नहीं। मैं कौंसिल में था। जब वहां जमींदारी एबालीशन बिल पेश हुआ तो एक जमींदार साहब ने खड़े हो कर यह कहा कि जब जमींदारी खत्म हो जायगी तब कौन सी चीज रह जायगी इन लोगों के पास जिसको बार-बार कहा करेंगे, तो किसी साहब ने कहा कि जमींदार जब खत्म हो जायेंगे तो उनका भूत रह जायगा। वही मेरे मित्र गेंदासिंह जी के दिमाग में जमींदारों का भूत सवार है एक काश्तकार चाहे कितना जुल्म कर डाले उसकी परवाह नहीं, गेंदा सिंह जी को तो उनको भड़का कर वोट लेना है, जमींदार का वोट क्या है, उनके वोटों की न कांग्रेस सरकार को न विरोधी दल को परवाह है, परन्तु काश्तकार चाहे जो कुछ करे उसको कुछ न कहा जाय, वह तो एक सैंक्टिटी है, उसके वोट की सैंक्टिटी है। जमींदारों ने जो कुछ कर डाला है अब उसका निवारण जब किया जाता है, जो इस ओर के माननीय सदस्यों को शिकायत है उसका निवारण किया जाता है तब कहा जाता है कि इस बिल को वापस ले लो। आपका यह स्वप्न गलत है, आपकी यह तस्वीर बड़ी बेढंगी है।

श्रीमन्, मैंने जब पहले सरसरी तौर से इस विधेयक के एक पहलू को देखा और संशोधन को देखा जो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यह वर्ग जिसको पुराने जमींदार कहा जाता है क्या कोई समय आयेगा या नहीं कि जब इसको तकलीफ देना बन्द किया जायगा। परन्तु श्रीमन्, जब मैंने इसे कुछ और पढ़ा और जब माननीय राजस्व मंत्री का भाषण सुना तो मेरी वे शंकायें दूर हो गयीं। ऊपर के देखने से तो यह पता लगता है, अगर सरसरी तौर पर इस विधेयक को देखा जाय तो यह मालूम होता है कि कुछ अधिकार जो पुराने जमींदारों के पहले थे वह छीन लिये गये। लेकिन जब कि वह आंकड़े माननीय राजस्व मंत्री ने पेश किये और मैं आशा रखता हूं कि वह ठीक आंकड़े होंगे क्योंकि आंकड़ों पर बहुत ज्यादा भरोसा देना मुझे ठीक नहीं मालूम होता है। उन आंकड़ों से मालूम हुआ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इससे तकलीफ होगी और साधारण जनता को इससे फायदा होगा। इसलिये उसको देख कर मुझे संतोष होता है कि अब कोई आशंका की बात नहीं है। माननीय राजस्व मंत्री ने कल बतलाया कि १६ फीसदी ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन अधिवासियों के पास उठी हुई है। केवल १६ फीसदी और उन १६ फीसदी में साढ़े ८८ फीसदी ऐसे हैं जिनके पास कुछ अपनी जमीन भी है और दूसरों को उठाये हुये भी हैं। मैंने यह आंकड़े जब देखे तो जो कुछ मुझे थोड़ी बहुत हिचक थी इस विधेयक के स्वीकार करने में वह भी जाती रही। और इस १६ फीसदी के साढे ८८ फीसदी में भी माननीय राजस्व मंत्री ने बतलाया कि कुछ ऐसे हैं जो और रोजगार करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस संशोधन से यह कहना उचित न होगा कि इसमें जमींदारों को बहुत बड़ा धक्का लगा है जहां तक शिकमी काश्तकारों का प्रश्न है, मैं तो जब मैं कौंसिल में जमींदारों का प्रतिनिधि था, तब भी, विरोधी दल में बैठता था तब भी और अब भी मेरा यह मत है कि वहां पर हम को किसी प्रकार की सहानुभूति जमींदारों के साथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कम से कम सात आठ वर्ष से जिक्र चल रहा था कि जमींदारी जायगी। जो जमींदार सात आठ साल के अन्दर अपनी जमीन नहीं निकाल सका, अपने शिकमी काश्तकारों से यह नहीं कह सका कि मेरी जमींदारी जा रही है, तुम मेरी यह जमीन छोड़ दो, मैं काश्त करूंगा। हो सकता है कि अब

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

तक निकम्मा रहा हूं ; लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं खुद जोतूं। जिसने ऐसा नहीं किया तो उसके लिये कहां तक सहानुभूति दिखलायी जाय और किसी प्रगतिशील कदम को कहां तक रोका जाय।

श्रीमन्, एक और संशोधन है जिस के लिये हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने बड़ी गर्जना की और वह यह थी कि अब अधिवासी को यह अधिकार तो दिया जा रहा है कि वह अधिवासी से सीरदार या सीरदार से भूमिधर बन जाय। लेकिन गजब की बात देखिये कि उससे पंदरह गुना मांगा जा रहा है। गजब की बात आज नहीं हुई है। गजब की बात तो तब हुई थी जब कि पुराना विधेयक आया था। गजब की बात तो तब हुई थी जब कि दस गुना लिया जा रहा था।

श्री राजनारायण—तब भी हमने विरोध किया था।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—लेकिन इस समय यह कहना कि उनसे पंदरह गुना लिया जा रहा यह संशोधन विधेयक के सर्किल के बाहर की बात है यहां पर यह सवाल है कि इसको पसन्द करते हैं या नहीं। पंद्रह गुना देना ही है वह तो पहले ही तय हो चुका है। इस वक्त यह तय करना कि वह भूमिधर बन जाय या नहीं। यह संशोधन तो केवल इतना कहता है कि अब पांच वर्ष तक रुकने की आवश्यकता नहीं। कल अगर कोई अधिवासी चाहता है कि सीरदार या भूमिधर हो जाय तो हो सकता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अब आठ एकड़ निकाल दिया जा रहा है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—तो मैं जानना चाहता हूं अपने माननीय सदस्य विरोधी दल वालों से कि जहां तक यह प्रश्न है कि वह आज भूमिधर बन सकता है क्या वह इसको नापसन्द करते हैं। एक उसका दूसरा पहलू है कि वह पंदरह गुना दे कर बनें। वह इसको नापसन्द करते हैं। लेकिन वह चीज पहले से चली आ रही है। यह विधेयक सिर्फ यह कहता है कि पांच साल तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। वह कहता है कि अगर आज अधिवासी चाहे तो भूमिधर बन सकता है। यह संशोधन उस अधिवासी के खिलाफ इतना जाता है, इतना उसका नुकसान करता है कि उसको माननीय नेता विरोधी दल और माननीय गेंदा सिंह जी खड़े हो कर यह कहें कि माननीय राजस्व मंत्री इस सड़े और निकम्मे बिल को वापस लें। समझ में नहीं आता कि कौन ऐसी नई चीज इस विधेयक में है जिससे कि उनको यह मालूम होता है कि यह बड़ा सड़ा गला, निकम्मा और खराब और नुकसान पहुंचाने वाला विधेयक है।

श्री राजनारायण—दस गुना फेल हो गया।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—मैं मानता हूं कि दस गुना फेल हो गया। १५ गुना फेल हो गया। लेकिन इस विधेयक में तो केवल यह है कि जो अधिवासी ५ साल बाद ही काश्तकार बन सकता है वह चाहे तो कल ही भूमिधर बन सकता है, क्या यह फायदे की चीज नहीं है। क्या कोई भी अधिवासी ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास इतना रुपया हो कि वह कल अगर भूमिधर बनना चाहता हो तो बन जाय। क्या एक भी अधिवासी ऐसा न होगा जो इससे फायदा उठा सके। मान लीजिये १५ अधिवासी फायदा उठा सकते हैं और वे ५ साल न रुक कर कल ही भूमिधर बन सकते हैं, तो क्या यह ऐसी चीज है जिससे गरीबों का नुकसान हो रहा है, जिससे यह कहा जाय कि यह निकम्मा विधेयक है और राजस्व मंत्री इसे वापस लें।

एक छोटी सी बात मैंने और देखी जिसमें मैं माननीय नेता विरोधी दल से सहमत हो सका हूं और वह है सरकिल रेट के दुगुने लगाने के बारे में। श्रीमन्, कल माननीय राजस्व मंत्री ने बतलाया कि बहुत से ऐसे अत्याचारी जमींदार थे जिन्होंने न मालूम कितना लगान बांध दिया

जहां अत्याचारी जमींदार थे वहां माननीय सीताराम शुक्ल के कहने से मालूम होता है कि कुछ शरीफ जमींदार भी थे। मान लिया जाय कि १० बीघा जमीन एक काश्तकार ने एक शरीफ जमींदार से ली और उसी के पड़ोस में १० बीघा जमीन दूसरे काश्तकार ने एक अत्याचारी जमींदार से ली। उस अत्याचारी जमींदार ने ४, ५ गुना लगान वसूल किया और शरीफ जमींदार ने केवल सर्किल रेट के हिसाब से ही लगान लिया। तो जो काश्तकार उस जुल्मी जमींदार के चुंगुल में फंसा हुआ था उस चुंगुल से जब वह निकला तो इस सरकार ने उस पर सर्किल रेट का दुगुना लगान लगा दिया। चूंकि वह इतने साल तब एक जुल्मी जमींदार के चंगुल में फंसा रहा इसलिये उसे यह सजा मिल रही है कि उसे अब दुगुना देना होगा, लेकिन पड़ोस में जो काश्तकार हैं उसे सर्किल रेट ही देना होगा। मैं समझता हूं श्रीमन् कि माननीय राजस्व मंत्री या सभासचिव जब भाषण देंगे तो वह इस पर प्रकाश डालेंगे। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिसकी तह में हम न पहुंच सके हों और प्रवर समिति में कुछ ऐसी बातें आई हों जिनसे इसे रक्खा गया हो। मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री या सभासचिव इसका कारण बतलायेंगे कि एक जगह तो १० रुपये लगान और दूसरी जगह बीस रुपया लगान इसका क्या कारण है।

एक और बात है जिसे निवेदन करके मैं बैठ जाऊंगा। यह वह संशोधन है जो डिसेबिल्ड की लिस्ट में आता है कि अगर कोई शख्स तालीम हासिल कर रहा है तो वह अपनी जमीन शिकमी उठा सकता है। अपने भाषण में माननीय राजस्व मंत्री ने यह बतलाया कि इससे लोगों ने गलत फायदा उठाया, नाजायज फायदा उठाया इसलिये यह कानून बनाया गया है कि वह स्टूडेंट डिसेबिल्ड नहीं माना जायगा जिसका पिता जीवित है। मेरा निवेदन यह है श्रीमन्, अगर सरकार का अनुभव यह है कि इससे गलत फायदा उठाया गया तो यह संशोधन अपनी जगह पर बहुत ठीक है लेकिन साथ ही साथ यह भी हो सकता है, कि बहुत से ईमानदार लोगों को तकलीफ हो जाय। जैसे श्रीमन्, एक लड़का है जिसकी ननिहाल ४०, ५० कोस पर है और वहां उसे कुछ जमीन मिली। पिता उसका जीवित है लेकिन ननिहाल में कोई न हो और वह लड़का पढ़ता हो। तो मैं जानना चाहूंगा कि उस समय उसकी जमीन की क्या हालत होगी शिकमी काश्त पर वह नहीं दे सकता। पिता जीवित है तो वह वहां इतनी दूर जाकर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी यहां पर भी जमीन है। अगर उसके पास न होती तब तो वहां जाकर वह खेती कर सकता था और अपना बंधना बोरिया बान्धकर जा सकता था लेकिन उसके पास अपनी भी जमीन है पिता उसको देख रहा है। ननिहाल में कहीं ४० मील की दूरी पर २०, ३० बीघा जमीन मिली है वह वहां जाकर कालेज में पढ़ता हुआ कैसे देख सकता है। वह वहां जाकर काम देखे या पढे मैं समझता हूं इसके लिये कोई संशोधन यहां पर अवश्य आना चाहिये अगर आज्ञा मिली तो मैं स्वयं इसके लिये एक संशोधन लाऊंगा। उस हालत में जब कि स्टूडेंट की जमीन उसी गांव में हो और पिता जीवित है तब तो ठीक है लेकिन अगर दूर के फासले पर है और किसी दूसरे गांव में है तो पिता के जीवित रहते हुये उसको शिकमी पर उठाने का अधिकार होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपने माननीय सदस्य विरोधी दल से फिर यह निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि यह वह तस्वीर नहीं है जो तस्वीर आप चाहते हैं और हो सकता है यह वह ख्वाब नहीं है जो आपका ख्वाब है लेकिन यह मानना पड़ेगा कि यह प्रयत्न है जो थोड़ा ही सही आपके ख्वाब की तरफ अवश्य ले जाता है इसके लिये इसका विरोध न करें।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, सही या गलत किसी चीज का होना, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने अभी कहा, वास्तव में दृष्टिकोण पर निर्भर रहता है। आज मेरे मित्र एक दूसरे स्थान से एक विषय को देख रहे हैं तो यह स्वाभाविक है कि कोई चाहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ महाराजकुमार बालेन्दुशाह ]

जितनी भी कोशिश करे उनके दृष्टिकोण में कुछ अन्तर अवश्य होगा किन्तु इस समय सही या गलत की खोज करना मैं समझता हूं कि विशेषकर हमारे लिये व्यर्थ होगा। मतभेद हरएक विषय में पाया जाता है और यह स्वाभाविक है कि भूमि की व्यवस्था के संबंध में घोर मतभेद पाया जा रहा है और साथ ही मेरा यह विचार है कि इसकी जांच करना कि किसका मत गलत है और किसका सही है यह भी एक व्यर्थ परिश्रम होगा। अन्त में उसी का मत प्रबल होगा जिसके साथ यह बहुमत है। दुर्भाग्यवश न तो हमारे साथ बहुमत है और इतना ही नहीं बल्कि हम उन दुर्भागियों में हैं जो कि अल्पमत में होते हुये भी अल्पमत में हैं।

अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया उसमें जो कुछ उन्होंने कहा उसके एक शब्द की यहां पर बहुत चर्चा हुयी और मैं यह समझता हूं कि वह चर्चा एक सही रूप में हुयी। मंत्री महोदय ने कल अपने भाषण में कहा और सहर्ष यहां पर प्रकट किया कि प्रस्तुत विधेयक के पारित हो जाने के बाद जो चित्र उन्होंने उत्तर प्रदेश की भूमि की व्यवस्था के संबंध में अपने सामने रखा था वह चित्र पूर्णरूप अपना लेगा। मंत्री महोदय का यह चित्र क्या था, यह सही था या उत्तम था या नहीं इसकी मैं समझता हूं कि आज जांच करना व्यर्थ होगा क्योंकि इस चित्र के द्वारा मंत्री महोदय के कहने के अनुसार प्रगति करली गयी है। मैं समझता हूं कि इस समय हमारे लिये लाभदायक यह होगा कि मंत्री महोदय के विचारों को स्वीकार न करके उनको समझने की कोशिश की जाय और उन विचारों को समझने के पेश्तर यह देखा जाय कि क्या उन विचारों में वास्तव में जो चित्र मंत्री महोदय के सामने और उनकी आंखों के सामने घूमता था क्या वह विचार वास्तविक रूप में उसमें शरीक किये गये हैं या नहीं अध्यक्ष महोदय इसके साथ ही साथ मैं यह भी दिखाना चाहूंगा कि और यह भी बताना चाहूंगा कि संभवतः मंत्री महोदय उस चित्र की प्रारम्भिक कल्पना और अंतिम सिद्धि में पारस्परिक एकता और मेल देखते हों लेकिन उसमें पारस्परिक विपरीतिता और विरुद्धता पायी जाती है। मंत्री महोदय ने किस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की थी और आज मंत्री महोदय जिस विधेयक पर आगे बढ़ रहे हैं, मेरा विचार है, संभवतः गलत हो, संभवतः सही हो, किन्तु मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि आज जिस पथ पर मंत्री महोदय जा रहे हैं वह चाहे सही हो या न हो किन्तु यह अवश्यमेव सत्य है कि यह पथ हमको मंत्री महोदय की प्रारम्भिक कल्पना के अनुसार उसके उद्देश्य पर हमको नहीं ले जा रहा है। अध्यक्ष महोदय! भूमि व्यवस्था में सुधार का लक्ष्य एक होता है और जो भूमि के संबंध में टेन्योर सिस्टम है होता है उसमें सुधार करना एक दूसरी बात है। मैं यह नहीं समझ पाया कि जब तक ऐग्रेरियन रिफार्म्स यानी भूमि द्वारा उपज और भूमि से उत्पन्न हुई वस्तुओं में और उससे संबंधित और चीजों में जब तक उन्नति नहीं हुई और जब तक उस दशा में मंत्री महोदय ने कोई कदम नहीं उठाया और केवल लैंड टेन्योर सिस्टम को परिवर्तन करने के संबंध में मूल अधिनियम को पारित किया और उसको ही पारित नहीं किया परन्तु दो और संशोधन विधेयकों को पारित करके किस प्रकार माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसके द्वारा उत्तर प्रदेश की ऐग्रेरियन प्राब्लम हल हो जायगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जहां तक मैं समझ पाया हूं ऐग्रेरियन रिफार्म्स के संबंध में जो सबसे प्रथम प्रश्न उत्पन्न होता है वह फ्यूडल लैंड लार्डिज्म का है। मैं यह मानता हूं कि इस फ्यूडल लैंड लार्डिज्म को अवश्य दूर किया गया है। इस समय मैं यहां पर यह विचार प्रकट कर देना चाहता हूं ताकि गलतफहमी न हो, यह बात सही है कि जिस समय इस फ्यूडल लैंड लार्डिज्म को दूर करने की कोशिश की जा रही थी उस समय यद्यपि मैं यहां नहीं था यहां उसका विरोध हो रहा था और इसके साथ ही साथ मैं यह निश्चित तौर पर बता देना चाहता हूं कि उस समय उसका विरोध होना और आज उस बात को स्वीकार करके आगे बढ़ना यह कोई असंभव बात नहीं है जहां तक मैं समझ सका हूं उत्तर प्रदेश के जमींदारों और ताल्लुकेदारों ने, जिनमें मैं नहीं आता, इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जमाना बदल गया है। जो हवा चली उसमें उनका रहना असंभव था और हालांकि उस समय उन्होंने उस मूव का विरोध किया था, आज उसको स्वीकार कर लिया है और वे सरकार

के साथ हैं। भविष्य में सरकार जो ऐग्रेरियन रिफार्म्स का कदम उठायेगी उसको समझने के लिये वे खुले दिल से तैयार हैं इसलिये अध्यक्ष महोदय एक बार फिर मैं उस बात को दुहराना चाहता हूं जो इस सदन में अक्सर पायी जाती है यह एक बहुत बुरी भावना है कि हर एक विधेयक पर एक प्रकार की छाप लगा दी जाती है कि आया यह विधेयक फलां श्रेणी के विरुद्ध है और दूसरा विधेयक किसी और वर्ग के विरुद्ध है या कोई और विधेयक किसी एक वर्ग उन्नति के लिये है इस तरह का कम्पलेक्स इस सदन के सदस्यों में पाया जाता है, वह एक कमजोरी प्रकट करता है और हमको इस बात को स्वीकार करके आगे बढ़ना है कि यदि इस भवन द्वारा कोई एक विधेयक पारित हो जाय और वह किसी एक वर्ग के इंटरेस्ट के खिलाफ भी क्यों न जाय किन्तु वस्तुतः वह फिर सबके हित में ही माना जायगा। इस विचार को स्वीकार करने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय मैं यह कहूंगा कि अब इस प्रकार का भाषण यहां देना कि कुछ समय पहले जमींदारों ने यह किया या कुछ समय पहल जमींदारों की मनोवृत्ति ऐसी थी इसलिये आज उसको ऐसे रूप में रखा जाय, मैं समझता हूं कि इस विषय को सही और सही दृष्टि से न देखना होगा।

अध्यक्ष महोदय मैं इस फियूडल लैंड लार्डिज्म के संबंध में जो कह रहा था, उसके संबंध में यह भी कहना चाहूंगा कि यहां दो विभिन्न और दो स्पष्ट अलग अलग बातें इस प्रकार की हो जाती है। एक तरफ तो फियुडल लैंड लार्डिज्म है जिसने मैं समझता हूं कि यहां पर जमींदारों तथा ताल्लुकेदारों का रूप ग्रहण किया लेकिन उसी के एक तरफ फियूडल लैंड लार्डिज्म है जिसका नाश करके सरकार ने अपने को लैंडलार्ड बनाया और लैंड लार्डिज्म का जो लक्ष्य है उसकी उसने काफी हद तक प्राप्ति भी कर लिया है। दूसरी तरफ है जिसको कहा गया है। ए रिच पिजेंट "एकनामी" अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों की परिभाषा में आपकी आज्ञा से करना चाहता हूं कि यहां अक्सर हम सुनते हैं और आज ही मेरे मित्र श्री राम नरेश शुक्ल ने यहां एक घोषणा की कि यह बात पूर्ण रूप से तय हो गयी है कि छोटी काश्त सफल होगी और बड़ी काश्त असफल होगी। यह कब तय हुआ, किसने तय किया, कहां पर तय हुआ, म नहीं जानता। संभवतः मेरे मित्र माननीय रामनरेश शुक्ल जी इस बात पर रोशनी डालेंगे किन्तु अध्यक्ष महोदय, इसका उस प्रश्न से अटूट संबंध है क्योंकि जब एक तरफ सरकार ने उनकी बुराइयों को स्वीकार करते हुये, हमको यह मानना पड़ेगा कि जमींदार वर्ग उत्तर प्रदेश क्या पूर्ण भारतवर्ष में एक इंस्टीट्यूशन था। इंस्टीट्यूशन अच्छा तथा बुरा हो सकता है। मैं यह नहीं कहता हूं और न अपनी सिफारिश करता हूं कि जमींदार वर्ग को अच्छा इंस्टीट्यूशन मान लिया जाय लेकिन मैं समझता हूं कि यह सब स्वीकार करेंगे कि बुरा होते हुये भी एक इंस्टीट्यूशन जो कि अर्से से कहीं स्थापित हो उसका प्रभाव उसके अगल बगल रहने वाले क्षेत्र में अवश्यमेव पड़ेगा। इस इंस्टीट्यूशन को एक न एक दूर करने के पश्चात् उस इंस्टीट्यूशन के स्थान पर संभवतः यह होगा कि सरकार स्वयं आवे। फिर भी मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की रूरल इकनामी के लिहाज से यह एक आवश्यक बात है कि रूरल एरियाज में "ए रिच पिजेंट इकनामी" अगर आज स्थापित है तो उसको रखें और अगर नहीं स्थापित हो तो अपनी नीति उसी दिशा में पहुंचावें कि "ए रिच पिजेंट इकनामी" भविष्य में स्थापित हो जाय।

अध्यक्ष होजय, मेरे मुंह से "ए रिच पिजेंट इकनामी" की सिफारिश सुनने के बाद और उसके इम्पलिकेशंस को पूर्ण रूप से समझने के पश्चात् कुछ गलतफहमी हो सकती है यह एक वेस्टेड इंटेरेस्ट का एक सुझाव है इसलिये अध्यक्ष महोदय और देशों के उदाहरण छोड़कर आपकी आज्ञा से इस सदन के सम्मुख इस रिच पीजेंट एकानामी की सिफारिश जो ऐग्रेरियन रिफार्म्स चीन में हुआ तो वहां से एक उदाहरण के तौर पर पढ़ना चाहता हूं जो कि माओत्से तुंग जो वहां के मुख्य नेता हैं उनके बचनों को मैं आपनी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय इस रिच पीजेंट एकानामी के संबंध में चीन के प्रमुख नेता कहते हैं :—

"Now we are in entirely new conditions and it is absolutely necessary to adopt in our proposed agrarian reforms law, the policy of eliminating the feudal system and preserving a rich peasant economy. The policy

[ महाराजकुमार बालेन्दुशाह ]

adopted by us of preserving the rich peasant economy is of course, not a temporary but a long term policy."

**श्री अध्यक्ष**--इसका आप हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये।

**महाराजकुमार बालेन्दुशाह**--अध्यक्ष महोदय अनुवाद में तो मुझे कठिनाई होगी।

**श्री अध्यक्ष**--उसका खलासा बता दीजिये।

**महाराजकुमार बालेन्दुशाह**--इनका कहना है कि चीन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन के पश्चात् उन्होंने नीति अपनायी थी उसका एक मुख्य और मूल सिद्धांत उन्होंने यह रखा कि इस फ्यूडल सिस्टम यानी जमींदारी उस रूप में वहां कहीं पाई जाती थी किन्तु वहां की रूपरेखा के जरा भिन्न होते हुये भी उदाहरण के लिये यहां की जमींदारी प्रथा को फ्यूडल सिस्टम कहा जाय उसके विनाश के पश्चात् उनका यह विचार है कि वहां एक रिच पीजेंट एकानामी स्थापित की जाय और वह केवल थोड़े समय के लिये नहीं किन्तु काफी लम्बे अरसे के लिये देश के हित के लिये उचित होगा। अध्यक्ष महोदय तो सबसे बड़ा प्रश्न जो अग्रेरियन रिफार्म्स के संबंध में उठता है मैं देखता हूं कि इस प्रस्तुत विधेयक में जिसको रखने से माननीय मंत्री का वह चित्र पूर्ण ग्रहण कर लेगा इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं नहीं समझ पाता और मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कम से कम मेरी यह आशा है कि सरकार का भी यही विचार रहा है कि वह जमींदारी की प्रथा के विरुद्ध रही होगी न कि जमींदार के व्यक्तिगत रूप से या जो बहुत लाभ उनसे जनता को होते थे उनके भी विरुद्ध हो गयी हो। इसलिये अध्यक्ष महोदय इस रिच पीजेंट एकानामी को रूरल एरिया में स्थापित करने के लिये सरकार ने कोई भी इस संशोधन विधेयक में कमद नहीं उठाया और इस कारण मैं नहीं समझ पाया कि मंत्री महोदय का चित्र क्या था और वह किस प्रकार इस संशोधन विधेयक के पारित होने के पश्चात् पूर्ण-रूप ग्रहण कर लेगा। (श्री शिवनारायण के खड़े होने पर अध्यक्ष महोदय मैं माननीय शिवनारायण जी से कहना। चाहूंगा कि मैं अभी कुछ समय लूंगा इसलिये वह आराम से विराजें। )

**श्री अध्यक्ष**--वह कुछ पूछना चाहते होंगे।

**महाराजकुमार बालेन्दुशाह**--पूचना चाहते हों तो पूछ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जो दूसरा प्रश्न जिसके संबंध में भी दुर्भाग्यवश मंत्री महोदय ने इस संशोधन विधेयक में कोई जिक्र न किया और उस संबंध में भी मेरा यह विचार है कि उस के संबंध में नीति निर्धारित न होने के कारण और इस संशोधन विधेयक में उसका जिक्र न होने के कारण मंत्री महोदय का औचित्य कभी भी पूर्ण रूप ग्रहण नहीं कर पायेगा और वह है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, जिसकी चर्चा आज बहुत काफी हो चुकी है किन्तु जिस संबंध में कोई भी निर्णय अभी तक सरकार ने नहीं लिया। यह लिमिटेशन आफ होल्डिंग्स के संबंध में है। माननीय राज नारायण जी ने एक सुझाव और एक मशविरा दिया इस लिमिटेशन आफ होल्डिंग्स के संबंध में इसका एकोनामिक एस्पेक्ट याने कौन सी और कितनी होल्डिंग्ग एकोनामिक गिनी जायं इस विषय पर अभी विचार करना अनावश्यक होगा। कारण उन्होंने दिया। कारण में वजन भी है किन्तु अध्यक्ष महोदय मैं उनकी बात मान नहीं सका। जब तक कि किसान को चाहे वह बड़ा किसान हो चाहे वह छोटा किसान हो चाहे वा जमीन प्राप्ति की आशा लगाने वाला किसान हो, जब तक कि सरकार की तरफ से एक नीति निर्धारित नहीं हो जाती कि सरकार का विचार एक एक व्यक्ति को या एक एक परिवार को इतनी जमीन देने का है तब तक मैं समझता हूं कि रूरल एकोनामी को जो एक धक्का पहुंचा है वह स्टैबिलाइज नहीं हो पायेगा। मैं समझता हूं कि सभी इसको स्वीकार करेंगे कि धक्का पहुंचा है और वह धक्का सरकार के क्रांतिकारी कदम की वजह से नहीं किन्तु आज कल बाजार में जो भावों की गिरावट हुई है उसके कारण, कुछ

प्रकृति के कारण और उपज न होने के कारण पहुंचा है और जिस पर कि सरकार का कोई भी हाथ या अधिकार नहीं था, वह स्टैबिलाइज नहीं हो पाया है। यह कहना कि आज रूरल एरियाज में राम राज्य स्थापित हो गया है और जमींदारी विनाश के पश्चात् हर एक किसान जै जैकार मनाता है, मैं समझता हूं कि मूर्खता होगी। अध्यक्ष महोदय ऐग्रेरियन रिफार्म के संबंध में केवल एक और एक ही उद्देश्य और लक्ष्य हमारे सामने है। उसके करने में बहुत से काम गड़ने पड़ते हैं किन्तु जो एक मुख्य लक्ष्य है, मैं समझता हूं कि उस पर अभी तक सरकार की और इस सदन की कोई नीति निर्धारित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की नीति ऐग्रेरियन रिफार्म्स के संबंध में यह है कि हर एक व्यक्ति को जमीन मिल जाय क्या उसको प्राप्त करने के पश्चात् और इस लक्ष्य की सिद्धि करने के पश्चात् क्या सरकार और क्या मेरे मित्र यह समझेंगे और कहेंगे कि भारतवर्ष या उत्तर प्रदेश की जो ऐग्रेरियन दिक्कतें थी वह दूर हो गई? चर्चा मैंने कई दिन हुये सुना था कि जमीन का बटवारा किया जाय बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई जमीन नहीं, उनको जमीन दी जाय। मैं इसके साथ हूं। मैं मानता हूं कि यदि बहुत से लोगों के पास जमीन नहीं है और यदि उनको जमीन देना उचित है और संभव है तो उनको अवश्य दी जाय किन्तु क्या इसमें हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है? यह चीज, मैं समझता हूं कि यह हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है किन्तु मुख्य लक्ष्य यह है कि रूरल एकोनामी एक सेल्फ सफीशियेंट एकोनामी बनाई जाय और जो आज एक भावना रूरल एरियाज में पाई जाती है कि किसान के लड़के रूरल एरियाज को छोड़कर अरबन एरियाज में आते जाते हैं उस भावना को रोकने के लिये जो कदम उठाया जा सकता है उसको सरकार का कर्त्तव्य है कि उठाये। यह तो मानी हुई बात है कि रूरल और अरबन जो एरियाज हैं, जो क्षेत्र हैं उनमें पारस्परिक इतनी विपरीतता पाई जाती है कि वह एक दूसरे से मिल नहीं पाते और इसलिये चाहे किसान का लड़का क्यों न हो जो एक बार अरबन एरियाज में आ जाता है, जब उसको अरबन एरियाज का चस्का लग जाता है तो उसके पश्चात् अरबन एरिया को छोड़ कर वह रूरल एरियाज में जाने को फिर तैयार नहीं होता। इसलिये अध्यक्ष महोदय मेरा विचार है कि माननीय मंत्री महोदय को इस विधेयक द्वारा अपने उस चित्र की पूर्ति करने के लिये कुछ ऐसे कदम उठाना आवश्यक था जिनसे कि हमारी रूरल इकानामी और अच्छी हो सके, एक सेल्फ कन्टेन्ड व सेल्स सफिशियेंट इकानामी बने। अध्यक्ष महोदय रूरल इकानामी को पूर्ण रूप से सेल्फ सफिशेयेंट बनाना मैं मानता हूं कि असंभव सी बात है। आज भी माडर्न देशों में, जिसका हम यहां हमेशा उदाहरण देते हैं यानी अमेरिका में, आज भी, जैसा सबको ज्ञात है, वहां की सरकार की ओर से गल्ले के दाम स्पेसीफाई होते हैं।

**श्री अध्यक्ष**--अभी आप तो कुछ समय लेंगे?

**महाराजकुमार बालेन्दुशाह**--जी हां।

**श्री अध्यक्ष**--तो एक प्रस्ताव मेरे पास आया है समय बढ़ाने का। उसे मैं पहले ले लेता हूं। फिर आप अपना भाषण जारी रखें।

**श्री रामनरेश शुक्ल**--माननीय अध्यक्ष महोदय चूंकि बहुत से मित्र बोलने वाले जान पड़ते हैं इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि आज का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**महाराजकुमार बालेन्दुशाह**--अध्यक्ष महोदय इस लिमिटेशन आफ होल्डिंग्स के संबंध में अब अधिक न कह कर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय का यह समझना कि उनका वह चित्र किसी भी रूप से पूरा हो गया हो, यह गलत होगा। उनके लिये एक आवश्यक

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

कदम उठाना है कि लिमिटेशन आफ होल्डिंग्स की बात वह तय कर दे। मैं जानता हूं कि अक्सर यहां उनके भाषणों में यह विचार प्रकट किया गया है कि ३० एकड़ उनके वर्तमान विचारानुसार एक इकोनामिक होल्डिंग है। किन्तु अध्यक्ष महोदय मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की नीति····

**श्री चरणसिंह**--मैंने कभी यह नहीं कहा।

**महाराजकुमार बालेन्दुशाह**--कुछ ऐसा मैं भूल करता होऊंगा क्योंकि इस विषय में शायद कम समझ पाता हूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा समझ में आता है कि एक ार मंत्री महोदय ने कुछ ऐसे वचन कहे थे कि वह मेंटल बेकग्राउन्ड यहां क्रियेट कर रहे हैं कि जनता इसको स्वीकार कर लें, एक एटमास्फियर हो जाय कि ३० एकड़ तक जमीन हो एक आदमी के पास। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो क्षमा चाहूंगा उसके लिये। मगर इस लिमिटेशन आफ होल्डिंगस के साथ-साथ और पश्चात् में उस विषय पर भी कुछ कहना चाहूंगा कि जिसकी भी चर्चा यहां हुई जिसका भी जिक्र किया गया और जिसका असर कुछ हद तक इस विधेयक पर भी पड़ता है, वह है कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स। और जब कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स का जिक्र किया जाता है तो साथ ही साथ हमें फ्रेगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स का भी जिक्र करना पड़ेगा। अब प्रश्न यह उठना है कि सरकार की नीति है कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स की या फ्रेगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स की। यह तो एक असंभव सी बात है कि सरकार की दोनों ही नीति हो सकें। मगर जैसा मैंने शुरू में कहा कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री महोदय के उस चित्र की, प्रारम्भिक कल्पना का जो अन्तिम रूप है उसमें कुछ पारस्परिक विरोध या विपरीतता है। एक ओर से कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स के संबंध में में विधेयक लाया जाता है, दूसरी ओर से इस विधेयक द्वारा फ्रेगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स की व्यवस्था बनायी जाती है।

साथ ही साथ विपरीतता इसमें भी पायी जाती है कि जो आचार्य विनोबा भावे द्वारा एकत्रित की हुई जमीन का जैसे बटवारा हो रहा है उसमें भी एक तरह से रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड हो रहा है। इसलिये जो मैंने शुरू में कहा कि लिमिटेशन आफ होल्डिंग्स करना आवश्यक है और यदि इतनी जमीन न हो कि हर एक व्यक्ति को इतनी जमीन दे दी जाय तो यह एक उचित समय है कि जब नई जमीन का बटवारा होगा या हो रहा है तो उस जमीन का बटवारा यदि मैं भूलता नहीं हूं तो हाल ही में माननीय नन्दा जी ने कहा कि सरकार का एक लक्ष्य है कि यहां कोआपरेटिव फार्मिंग की प्रथा चलाई जाय। यदि लिमिटेशन आफ होल्डिंग्स ३० एकड़ की जाती है तो फिर फ्रेगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स क्यों किया जा रहा है। इसलिये जो यह विपरीतता है उसकी इस संशोधन द्वारा दूर होने की अत्यन्त आवश्यकता थी और इस संबंध में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं रखा है तो वह एक त्रुटि पाई जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी समय लिया और चन्द विषयों पर कुछ कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। दूसरा विषय जिसके संबंध में कुछ कहना चाहूंगा वह है, अगर मैं उसको इन शब्दों में वर्णन करूं तो अनुचित नहीं होगा कि वह रूरल एरियाज में इक्वैलिटी आफ स्टेटस स्थापित करना है जैसा कि मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका अंतिम लक्ष्य यह है कि अधिकांश जो काश्तकार होंगे वह भूमिधर या सीरदार होंगे। यह उनका एक उचित कदम है और इक्वैलिटी आफ स्टेटस काश्तकारों में लाना जमींदारी विनाश के पश्चात् अत्यन्त आवश्यक है। मगर इस संबंध में यह नहीं समझ पाया कि अगर सरकार यह समझ ती है कि न्याय और नीति के अनुसार यह आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति को बराबरी की निगाह से देखा जाय और क्योंकि एक व्यक्ति के पास कम जमीन है या एक व्यक्ति के पास दूसरे कारणों से कम जमीन हाथ में आई। इसलिये उसे नीची श्रेणी में रखा जाय और दूसरा व्यक्ति जिसके पास अधिक जमीन है या किसी और कारण से ज्यादा पैसा है तो उसे ऊंची श्रेणी में रखा जाय। इस संबंध में

जब सरकार ने एक नीति कर ली है कि सब काश्तकार बराबर है तो अध्यक्ष महोदय मैं यह नहीं समझ पाया कि सरकार क्यों और किस कारण से और किस आधार पर इस बरप्बरी की हैसियत को प्राप्त करने के चेष्टा नहीं करती है। सरकार काश्तकारों सें एक प्रकार का कर ले रही है या तो काश्तकारों को यह अधिकार हो कि सबको एक बराबरी की निगाह से देखा जाथ यदि उसको यह अधिकार है तो सरकार इस संबंध में उससे यह नहीं कह सकती है कि मैं तुम्हारे इस अधिकार को तब मानूंगा जब तुम दस गुना या १५ गुना लगान दे दोगे।

जहां तक भूमिधर बनाने के लिये पिछली दफा १० गुना लगान लिया गया था उसके मुख्य कारण थे और वह यह कि जमींदारी एबालीशन के संबंध में जो कम्पेंसेशन देना था उसके लिये वह एक तरह से चन्दा उठाया जा रहा था। मगर उसको इसके साफ करना गलत है और मूल सिद्धांत के विपरीत भी जाता है जब कि आपने यह सिद्धांत स्वीकार किया है कि इक्वैलिटी आफ स्टेट्स हो चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पहले असामी रह चुका हो, चाहे पहले अधिवासी रह चुका हो या कुछ भी हो लेकिन सबको हक है कि सबको एक बराबरी की निगाह से देखा जाय तो फिर उस बात को आप बगैर कर के स्वीकार कीजिये और यदि उसको यह अधिकार नहीं है तो फिर जो आप चाहें वह कीजिये। फिर मैंने जो आपत्ति इस संबंध में उठायी है वह नहीं रहती। मगर जैसा मैं समझता हूं यदि यह माननीय मंत्री महोदय के मुखारबिन्द से नहीं तो उस ओर के कई सदस्यों से मैंने सुना है कि अब हर एक काश्तकार को एक ही दृष्टि से देखा जायगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहूंगा और वह है सिक्योरिटी आफ टेन्योर के साथ डिस्पोजेस्शन, यानी बेदखली, का संबंध रहेगा। इस विधेयक में इस संबंध में अधिवासियों के विरुद्ध यह एक क्लाज बना है कि यदि वह ६ महीने के अन्दर १० गुना या १५ गुना लगान दे दें तो वह बेदखल नहीं किये जा सकेंगे, नहीं तो वह बेदखल किये जा सकते हैं नोटिफिकेशन के पश्चात्। अध्यक्ष महोदय इस संबंध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं, किन्तु यह केवल मात्र कहूंगा कि मैं फिर एक बार उसी बात को दोहराऊंगा कि रूरल एरियाज में एक बहुत भारी इनसिक्योरिटी फैलायी जा रही है, कैआटिक कंडीशन फैलायी जा रही है और उसका एक कारण यह है कि जानबूझ कर या अनजाने से सरकार की कुछ ऐसी वैसलेटिंग नीति आज रही है कि न छोटे काश्तकार, न बड़े काश्तकार बहरहाल कोई भी सरकार की नीति सही रूप मे नहीं समझ पाया और बातों में तो नीति का स्पष्ट होना आवश्यक है, ही किन्तु इस संबंध में नीति का एक स्पष्ट रूप ग्रहण करना अति आवश्यक है कि सरकार की डिस्पजेस्शन या सिक्यारिटी आफ टेन्योर के संबंध में क्या नीति रहेगी। मैं एक और छोटा उदाहरण दूंगा कि मामले को घपले में डालने के लिये इंसिक्यारिटी आफ टेन्योर फैलाने का एक कारण सरकार का जंगल विभाग भी है, उसका यहां संबंध नहीं है। उसकी अधिक चर्चा न करके केवल एक इशारा मात्र करता हूं कि जो इनसिक्यारिटी है उसके बहुत कारण हैं और उनको दूर करना अति आवश्यक है। तब ही हमारी जो अग्रेरियन पालिसी होगी, अग्रेरियन रिफार्म्स तभी सफल हो पायेंगे और तभी रूरल इकोनोमी में, प्रोडक्शन में, कमी न करके, एक क्रांतिकारी कदम उठाया जायगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कल इस विधेयक की तुलना एक बेजान खिलौने से की थी। जहां तक मैं देख पाता हूं मूल अधिनियम तथा उसके दोनों संशोधन बेजान का प्रतीक होते हैं, किन्तु एक बेजान कठपुतले के समान इनमें हाथ फैलाने और पैर चलाने की शक्ति है। कभी ये जमींदरों के ऊपर पैर चलाते हैं और कभी भूमिधर को लालच देकर अपने हाथ फैलाते हैं। नहीं, अध्यक्ष महोदय यह जो कदम माननीय मंत्री महोदय ने उठाया है, या जो चित्र उन्होंने खींचा है, जिसको वह कहते हैं कि आज पूर्ण हो रहा है, वह चित्र एक बेजान खिलौने का नहीं है। वह मंत्री महोदय का एक घरेलू कठपुतला है, जिसको वह जिस ओर चाहें घुमायें और अग्रेरियन रिफार्म्स के नाम में उससे जो चाहें करा लें।

*श्री जगतनारायण (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने भवन के सामने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसमें सबसे गम्भीर विषय जो रखा है वह १३५६ फसली के बारे में है कि १३५६ फसली में जो मध्यवर्ती थे वे अधिवासी नहीं माने जायेंगे। यह बहुत जरूरी संशोधन था। लेकिन १३५९ फसली में जब कि जमींदारी विनाश कानून लागू होने वाला था उस समय मध्यवर्तियों ने ज्यादा जमीन अक्पाई की। उसके बारे में इसमें कोई चीज नहीं है। जो सप्लीमेंटरी लैण्ड रेफार्म्स ऐक्ट है उसके हिसाब से जो मध्यवर्ती थे और १३५९ फसली में जिन्होंने कब्जा कर लिया था वे अधिवासी हो जायेंगे। दफा २० में जो १३५६ फसली के बारे में संशोधन लाया गया है वह बहुत ही उचित है और उसका आना बहुत जरूरी था। लेकिन इस किस्म के नाजायज कब्जे जमींदारों की तरफ से १३५९ फसली में ज्यादा हुये हैं जबकि जमींदारी खत्म होने वाली थी। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके बारे में भी कोई न कोई संशोधन लाजिमी है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि अधिवासियों और असामियों के हकूक को तै करने का काम जो रेवेन्यू कोर्ट को दिया गया है यह बहुत जरूरी है और इसके लिये भी मैं राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं लेकिन जो मंशा राजस्व मंत्री जी का इससे था कि अधिवासियों और असामियों के मामले जल्दी तय हों वह इस तरीके से पूरा नहीं होगा क्योंकि जिनको कोर्ट के प्रोसीजर का तजुर्बा है और मैं समझता हूं माननीय रास्जव मंत्री बाकायदा उससे वाकिफ हैं, हर मुकदमे में मुद्दालय या मुद्दई यह प्ली लेते है कि मैं सीरदार हूं अधिवासी नहीं हूं, इसके लिये दीवानी में भेजना जरूरी हो जाता है। तो जब वह मामला दीवानी में चला जाता है तो राजस्व मंत्री की जो मंशा मामले को जल्दी तय कराने की है वह पूरी नहीं होती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड (न्याय देर से मिलना न मिलने के बराबर है।) टेनैन्सी राइट्स जो भूमिधर, सीरदार या आसामी के हैं ये सब एलाइड राइट्स हैं, इनको डिस्टिंगुइश नहीं किया जा सकता है। मैं एक मिसाल देता हूं। यह भी रखागया है कि अगर दीवानी में कोई मसला असामी या अधिवासी का पैदा हो तो वह रेवेन्यू कोर्ट भेजा जायगा तो अगर कोई शख्स एक दावा दिवानी मेंमें इस विषय का दायर करता है कि अव्वलन तो मैं सीरदार हूं और अगर सीरदार न साबित होऊं तो अधिवासी हूं। तो जो यहां पर संशोधन रखा गया है उसके हिसाब से अधिवासी या असामी का एश्यू फ्रेम करके रेवेन्यू कोर्ट में भेज देना लाजिमी होगा और जब वहां से फैसला हो कर आयेगा तब इसमें यह है कि :—

"The Civil Court shall then proceed to decide the suit accepting the finding of the Collector or the subordinate revenue Court on the issue referred."

अब इस विषय में यह प्रश्न होता है कि ५६ फसली में उसका, अधिवासी का इन्दराज था कागजात देही में, या नहीं। अगर कोई शख्स काबिज है तो उसका जरूर इन्दराज होगा ५६ फसली में। तो यह लाजमी हो जायगा रेवेन्यू कोर्ट के लिये वह सिर्फ इस बात को देखेगी कि ५६ फसली में उसका इन्दराज है या नहीं। यह देखने के बाद फाइंडिंग दे देंगे कि यह अधिवासी है। अब उसकी हकीयत सीरदारी की थी या नहीं थी यह बात सिविल कोर्ट उस बात को देख ही नहीं सकती। वह फाइंडिंग उसको माननी पड़ेगी। उसे मान कर तब सूट डिसाइड करेगी इसके मानी यह होते हैं कि जो मुद्दई यह दावा करता है कि वह भूमिधर या असामी है, लेकिन चूंकि वहां पहले से फाइंडिंग है, कि अधिवासी है तो होने गये थे चौबे हो गये छब्बे। तो यह आल्टरनेटिव में दावा हो सकता है। उसका तजुरबा माननीय राजस्व मंत्री को खुद होगा। यह हर जगह आल्टरनेटिव दावे होते हैं। इसमें बड़ी दिक्कत पैदा होगी। मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि जितने भी टिनेंसी के सवालात है उनके वास्ते चीफ और स्पीडी रेमेडी सिर्फ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रेवेन्यू कोर्ट्स में हो सकती है और इस किस्म के मुकदमे रेवेन्यू कोर्ट ही डिसाइड करे। सिविल कोर्ट में इसकी कोई अहमियत नहीं है। उसमें बहुत सी दिक्कतें होंगी। राजस्व मंत्री ने कल अपने भाषण में यह भी जाहिर किया था कि इस जुरिस्डिक्शन के विषय में कुछ बातें कैबिनेट में दरपेश हैं। लेकिन यह यहां पर आर्डिनेंस भी लागू है और मैं कुछ तजुरबे से यह बात अर्ज कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस किस्म की फाइंडिंग्स हुई है कि वहां इश्यू इसमें किया गया और सिवल कोर्ट में जब वापस आया तो उन्होंने कहा कि हम फरदर डिसाइड नहीं करेंगे। जब इस किस्म की बातें हो जायंगी तो इससे लिटीगेंट पब्लिक का बहुत नुकसान होगा। इसको ध्यान में रखते हुये मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि कोई भी एक लिमिट रेवेन्यू की मुकर्रर कर दी जाय अगर वह दोनों जगह पर चाहते हैं तो अदालत दीवानी में भी एक डेक्लेरेशन रखा जाय और रेवेन्यू कोर्ट में भी रखा जाय। तो कमसे कम जो छोटे-छोटे खाते के काश्तकार हैं या मालगुजार हैं पचास रुपये या दो सौ रुपये की लिमिट रख ली जाय कि अगर कोई शख्स ५० रुपया का मालगुजार है वह भूमिधर या सीरदार अधिवासी या असामी है तो उसके मुकदमे रेवेन्यू कोर्ट में होंगे और जो इससे ज्यादा के हैं उनके मुकदमें अदालत दीवानी में होंगे। लेकिन यह बहुत जरूरी है अगर इसके पहले ऐक्ट्स में भी प्रिसिडेंट्स मौजूद हैं। यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में तहसीलदार को बकाया लगान २०० रुपये तक के मुकदमे फैसल करने का अधिकार है। ऐग्रीकल्चरल रिलीफ ऐक्ट में भी दफा १२ के मातहत एसिस्टेंट कलेक्टर्स को मुकदमे सुनने का अधिकार है। मेरा रह सुझाव है कि इस किस्म की लिमिट इसमें भी मुकर्रर कर दी जाय।

कुछ एनोमलीज जो इसमें रह गई हैं उनकी बाबत भी जिक्र कर देना चाहता हूं। १७२ में अगर किसी स्त्री ने उत्तराधिकार में खाते पाये उनको सरंडर करने का हक उसके शौहर के सक्सेसर्स को मिलता है लेकिन ट्रांसफर करने पर कोई चेक नहीं है। जब वह ट्रांसफर करती है तो जिसके हक में ट्रांसफर करती है वह उसका पूर्ण मालिक हो जाता है। बहरहाल यह ऐक्ट में पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। मेरे ख्याल में इस बात का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये और १७२ में लफ्ज ट्रांस्फर भी एड कर देना चाहिये।

**श्री रामेश्वर लाल** (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से इस विधेयक पर जनरल बहस हो रही है और वक्ताओं के भाषण मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं। आज इस सदन में माननीय रामनरेश शुक्ल, माननीय सीताराम शुक्ल और श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी के भाषणों से मुझे अजीब परेशानी हुई। इसलिये मैंने प्रयत्न किया है कि मैं सदन के सामने अपने भी विचार इस विधेयक के संबंध में रखूं। माननीय सुरेश प्रकाश जी ने अपने भाषण के दौरान में यह प्रश्न किया है कि विरोधी दल का कोई सदस्य यह बात बतलाये कि इस विधेयक में कौन सी त्रुटि कहां और किस खंड में है। इसलिये मैंने सोचा कि यह उचित होगा कि कम से कम यदि उन्होंने गम्भीरतापूर्वक इस विधेयक का अध्ययन नहीं किया है तो उन्हें बतला दिया जाय कि इस विधेयक में क्या-क्या खामियां हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उन्हें बतलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये १० करोड़ १ ४लाख रुपये अधिवासी परिवारों से इकट्ठा करके कुछ लोगों की पाकेट्स में जाने की व्यवस्था है। क्या इस व्यवस्था का माननीय सुरेश प्रकाश जी खुले दिल से स्वागत करेंगे।

मैं समझता हूं कि सुरेश प्रकाश जी इसका स्वागत करेंगे क्योंकि उनके सरीखे कुछ लोगों को इसका लाभ हो सकता है। इस विधेयक के द्वारा १० करोड़ रुपया गरीब अधिवासियों से, उन लोगों से जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं और सदियों से पीड़ित हैं, लेने की व्यवस्था की गयी है। इस विधेयक के द्वारा गरीब लोगों के लगान के बोझ को ज्यादा करने की कुचेष्टा की गयी है। इस विधेयक के द्वारा जो अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं उनकी संख्या को बढाने की कोशिश की गयी है इस विधेयक के द्वारा शिक्षा संस्थायें जो सरकारी सहायता नलेकर भी जीवित रहकर सरकार की शिक्षा विधि की खामियों को दूर करने का प्रयत्न करती हैं, उसको मिटाने का प्रयत्न किया गया है और साजिश की गयी है। इस विधेयक के द्वारा बेदखली

[श्री रामेश्वर लाल]

का रास्ता खोल दिया गया है। इस विधेयक में अधिवासियों के अधिकार छीने गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े में इन हर एक बातों की व्याख्या भी करना चाहता हूं।

इस सदन में अनइकानामिक होल्डिंग्स के प्रश्न को लेकर इस विधेयक के संबंध में जमीन के बटवारे के प्रश्न को लेकर बर्मा, चीन और काशमीर की समयाओं का उदाहरण दिया गया है और इस विधेयक के संबंध में इस सदन में अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये गये हैं। इस विधेयक में जो सब से बड़ी कमजोरी है वह यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से इस विधेयक के द्वारा इस प्रान्त में जो कम खेत जोतते हैं उनके खेतों के टुकडे करने की कोशिश की गयी है। इस विधेयक द्वारा यह है कि ३ १/८ एकड़ जमीन का खाता जिसके पास होगा उस खाते का बटवारा यदि वह कराना चाहे तो दरख्वास्त देगा। कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि उस खाते का बटवारा कर दे। अगर ३ सही एक बटा आठ से कम के खाते हैं तो कलक्टर उसकी इच्छा से उसकी कीमत जो होगी वह उससे दिलायेगा और उसको बेचवा देगा और नीलाम करा देगा। इकानामिक होल्डिंग्स के लिये कम से कम उसकी दर जो निर्धारित हो वह तो इस प्रांत के देश काल की समस्या के अनुसार ही संभव हो सकती है। लेकिन हमारे प्रान्त में जब कि खेती करने वाले व्यक्ति की औसत होल्डिंग २·५ है। जहां तक मैं जानता हूं देवरिया जिले में एक खेतिहर व्यक्ति के लिये हाटा तहसील में·९ एक व्यक्ति के खाते की होल्डिंग है। सलेमपुर तहसील में ०.६९ एकड़ एक खेतिहर व्यक्ति की वहां पर होल्डिंग है। ऐसे लोगों के खाते का परसेंटेज सारे प्रांत का निकाला गया है तो इसी सदन में बराबर दोहराया गया है। हमारे प्रांत में ७५ फी सदी ऐसे गरीब लोग हैं जो अनइकानामिक होल्डिंग रखते हैं। यदि उन खातों के डिवीजन करने का अधिकार इस विधेयक के द्वारा दिया जाय तो साधिकार यह कहा जा सकता है कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े विशेषकर हमारे जिले में और प्रांत में भी हो जावेंगे यदि एक परिवार जिसमें ४ व्यक्ति है ३ १/८ एकड़ जमीन उसके पास है। अगर उस जमीन के टुकड़े हो जाते है तो उनके पास एक एक बीघा के करीब ही जमीन आयगी तो फिर हमारे पूर्वी जिलों में जहां कि लोगों के पास ५०–५० किसानों के बीच एक एक बैल है वहां इस विधेयक द्वारा और भी छोटी छोटी होल्डिंग्स करने की साजिश की गयी है फिर भी अगर उसको एक क्रांतिकारी कदम कहा जाय तो वह केवल राम नरेश जी के शब्दों में ही कहा जा सका है। जब खेतों के ऐसे छोटे-छोटे टुकड़े किये जायेंगे तो उसका हमारे प्रांत में क्या असर पड़ेगा, उसका असर हमारे प्रान्त में यह होगा कि व्यक्ति वाद की मनोवृत्ति बढेगी और लोग स्वार्थलोलुपता के वशीभूत होकर झगड़ने लगेंगे और सारे प्रांत में एक विषमता का वातावरण पैदा हो जायगा। किसी प्रकार भी यह विधेयक ऐसा नहीं है कि इसका स्वागत किया जाय।

श्री राम नरेश जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारे प्रांत ने सबसे पहले गरीब किसानों के सवाल को हल करने का प्रयत्न किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बम्बई में प्रति किसान होल्डिंग १२.२ है, पंजाब में ९.२ है, बिहार में ३.१ है और यु० पी० में २.५ है तथा हमारे जिले में वह केवल १.३ एकड़ है। ऐसी दशा में बाहर के प्रदेशों से अपने प्रदेश की तुलना करना और अपने प्रदेश को बढ़ाकर बताना जब कि हमारे खेती सुधार की आवश्यकता पहली और विशेष हो तथा इस विधेयक को गरीब किसानों के उद्धार करने वाला बताना, यह माननीय रामनरेश जी को ही शोभा देता है। अध्यक्ष महोदय माननीय सुरेश प्रकाश जी ने माननीय राजनारायण जी पर एक चार्ज लगाया। उस दिन जब माननीय राजनारायण जमीन के बटवारे को लेकर बहस कर रहे थे तो शायद माननीय सुरेश प्रकाश सिंह उस दिन नहीं थे, यदि आज भी उन्होंने माननीय राजनारायण जी के भाषण को गौर से सुना होता तो उन्हें मालूम होता कि सीलिंग के विषय में उनके और सोशलिस्ट पार्टी के विचारों में कोई अन्तर नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी और माननीय राज नारायण जी के व्यूज सीलिंग के बार में एक ही हैं। हम चाहते है कि आप सीलिंग के बारे में तय कीजिये। चाहे यह कहिये कि २० एकड़ हो, अथवा १५ एकड़

हो आप उसको स्पष्ट रूप से सीलिंग मुकरर कर दीजिये। काल और जमीन की नौइयत के अनुसार जितनी जमीन में एक परिवार खुशी से खा पी सकता हो, अपने को मेंनटेन कर सकता हो, अपनी रोजी कमा सकता हो, उसको आप एकोनामिक होल्डिंग करार दे दीजिये। यह जमीन की सीलिंग तो सोशलिस्ट पारटी की आधार शिला है, उसी पर सोशलिस्ट पारटी खड़ी हुई है। सोशलिस्ट पारटी तो देश के सवाल को सीलिंग के द्वारा भी हल करना चाहती है। इसीलिये वह कहती है १०० रुपया से कम और १००० रुपया से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिये और २० एकड़ से ज्यादा किसी के पास जमीन न हो। अगर माननीय मंत्री जी ३ १/८ एकड़ को ही एकोनोमिक होल्डिंग समझते हैं तो हम उसको भी मान सकते हैं उस पर राजी हो सकते हैं अगर ईमानदारी के साथ कायदे में रहते हुये खेतों की सीलिंग की जाय। कोई भी कानून बनाया जाय आप उसको इस तरह से बनाये कि किसानों के हर काम में सुविधा रहे। आप जमीन के बटवारे के सवाल को लेते हतो कहते हैं कि इससे किसानों का भाग्य बीच में ही लटक जायगा और उसके द्वारा यह साजिश करके दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि जमीन का बटवारा उचित नहीं है। हम कहते हैं कि जमीन का बटवारा तभी संभव हो सकता है जब जमीन के बटवारे के सवाल को हल करने के बाद सरकार किसानों की हर समस्या को हल करने के लिये उनको आर्थिक सहायता देने सिंचाई, बीज, खाद आदि की सहायता देने के लिये पूर्ण रूप से तैयार हो। सीलिंग के संबंध में हम कहां कहते हैं कि सीलिंग न हो तो माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी ने जो सीलिंग के सम्बन्ध में कहा वह भ्रम में पड़ कर कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा संस्थायें सरकारी सहायता नहीं लेना चाहती हैं उन पर कुठाराघात करने की साजिश इस विधेयक द्वारा की गयी है। मैं उसका प्रमाण आपके द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं जिस पर विचार करना चाहिये। आपने प्रान्त में संस्कृत शिक्षा के आधार आज कुछ ऐसे विद्वान संस्कृत के हैं जो यह समझते हैं कि जो आचार्य परीक्षा सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार यदि हर साल कोई पास करे तो १३ वर्ष में पास कर सकता है। वही आचार्य परीक्षा कुछ ऐसे विद्वान् हैं, कुछ ऐसे प्रवीण हैं, कुछ ऐसी संस्थायें हैं जो सरकार से मदद नहीं पातीं और न सरकार की तरफ मुंह ही ताकती हैं कि वह मदद करे। उनका दावा है कि ४ वर्ष में पास करा सकती हैं। और उन्होंने उसका प्रमाण भी उपस्थित किया है। उनकी प्रणाली आर्ष प्रणाली है और उस आर्ष प्रणाली के आधार पर उन्होंने बनारस में, अमृतसर में दिल्ली में व प्रान्त के विभिन्न स्थानों में गुरुकुल कायम किये हैं जिन्होंने ऐसे विद्वानों को बाहर निकाला है जिन्होंने दुनिया के विद्वानों में अपना स्थान प्राप्त किया है। अध्यक्ष महोदय, तो फिर अगर वे विद्यालय हैं और कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हैं जो अपनी सम्पत्ति का कुछ हिस्सा उनको देना चाहते हैं तो सरकार उनको क्यों रोकती है? क्यों सरकार चाहती है कि अगर वे संस्थायें सरकार की तरफ देखने को प्रस्तुत नहीं हैं और वह संस्था रिकग्नाइज्ड नहीं है तो फिर ऐसी संस्थाओं को वह जमीन नहीं मिल सकती है। मैं तो यह समझता हूं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिये कि यदि ऐसी कोई पद्धति हो, यदि ऐसा कोई इंस्टीटयूशन हो, यदि ऐसी कोई संस्था हो जो सरकार की मदद नहीं लेना चाहती है लेकिन कुछ लोग उसकी सहायता करना चाहते हैं तो उनका दरवाजा खुले रहना चाहिये। अगर ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया तो संस्थायें जो चलती हैं और उनके चलने के पीछे जिन लोगों की बहादुरी, कुछ लोगों की दान प्रियता, कुछ लोगों का कर्तव्य और कुछ लोगों की कर्मठता रहा करती है उनसे वंचित हो जाएंगे। फिर ये सारी इंस्टीटयूशंस सूख जायेंगे और पनप नहीं सकेंगे। मैंने आज अखबार में पढ़ा है कि माननीय मंत्री सम्पूर्णानन्द जी तथा माननीय कमलापति त्रिपाठी जी कुछ ऐसी संस्थाओं को जिन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, जो जनता द्वारा और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बल पर ही चला करती हैं उनको देखने के लिये बनारस गये थे और उन्होंने वहां के विद्वानों की सराहना की है। तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। यह इसलिये किया जा रहा है कि सरकार चाहती

[श्री रामेश्वर लाल]

है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें आमूल परिवर्तन न होने पावे। यदि आमूल परिवर्तन होगा और ऐसी संस्थायें पनपेंगी तो सरकार की आमदनी में कमी होगी और उसके साथ ही साथ सरकार के कुछ उन लोगों की जिनके बल पर हमारी सरकार अपने को बुद्धिमान बनने का दावा करती है, उनमें न्यूनता आवेगी और इसलिये वह चाहती है कि ऐसी संस्थायें पनपने नहीं पावें।

अध्यक्ष महोदय, एक बार किसी आदमी ने इटली में कहा कि दुनिया गोल है तो उसको फांसी दे दी गयी। अपने ही देश में बहुत दिनों तक यह विषय विवादास्पद रहा है कि ईश्वर है या नहीं। यदि है तो साकार है या निराकार। ईश्वर को साकार करने वाले को फांसी पर झुलाने का प्रयत्न किया गया, उनको काट डाला गया, मार डाला गया। इसके प्रमाण ध्रुव आदि हैं। यह इसलिये हुआ कि ऐसा कहने वालों को उस समय के राजा तथा महाप्रभुओं की मर्जी, धर्म और नीति के खिलाफ कहा था। सरकार नये विचारों से ऐसे ही भड़कती है। यह जो कहा गया है कि ऐसी शिक्षा संस्थायें हैं, ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हैं जो ४ वर्ष में प्रवीणता प्राप्त करा सकते हैं यह सरकार के एक खुली चुनौती है, सरकार के निकम्मा होने की चुनौती है, सरकार के शिक्षा विभाग के निकम्मेपन के लिये यह चुनौती है। तो फिर सरकार इस चुनौती को कैसे स्वीकार करे। इसीलिये वह ऐसी संस्थाओं पर कुठाराघात करना चाहती है। माननीय मंत्री जी ने प्रयत्न किया है कि हम शिक्षा मंत्री जी के सहयोगी साबित हो सकें, उनका दाहिना हाथ हो सकें और उनके काम को और प्रशस्त करने की भी साजिश इस विधेयक द्वारा करें।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में है कि एक व्यक्ति यदि लगातार तीन वर्षों से साढ़े बारह एकड़ से ऊपर जमीन को परती रखे हुये हैं और यदि कलेक्टर संतुष्ट हो जाता है कि वह तीन वर्ष से परती रखी गयी है तो वह उसको उठा सकता है। लेकिन इनकी उपधारा में है कि उसके बाद भी यदि वह व्यक्ति यह आश्वासन दे कि छः महीने के अन्दर वह उस जमीन को उठा देगा तो ६ महीने का वह नोटिस जो कलेक्टर द्वारा उसके लिये ईश्यू किया गया है रोक दिया जायगा तो अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज तो हमारे केन्द्र के खाद्य मंत्री और हमारी सरकार के खाद्य मंत्री यह दावा करते हैं कि खाने पीने की सामग्री में सेल्फ सफीशियेंट हम हैं लेकिन जैसा दैवी प्रकोपों का आक्रमण हमारे देश में हो रहा है और इंटर नेशनल वायुमंडल युद्ध लोलुप होता चला जा रहा है यदि उसको ध्यान में रखें और दूरदर्शिता से काम लें तो हमें निष्पक्ष भाव से मानना पड़ेगा कि देश के लिये सब से बड़ी समस्या खाद्य समस्या है किसी भी देश के लिये जो दुनिया के राष्ट्रों के मुकाबले में सर उठाने की हिम्मत रखता है और उसको सर उठाना चाहिये तो उसके लिये सब से बड़ी समस्या खाद्य समस्या है और उसको हल करना चाहिये। दुनिया में जहां-जहां खाद्य वस्तुओं की न्यूनता रही है वे राष्ट्र कमजोर हुये हैं, राष्ट्र पतनोन्मुख हुये हैं और दुनिया में नीचे गिरे हैं वहां पर न पंचवर्षीय योजना लागू हो सकती है न वहां पर राष्ट्रोत्थान के और कार्य किये जासकें। न वह युद्ध में विजयी हुये हैं न होंगे यह सिद्ध है और आगे भी सिद्ध होगा। अब इस खाद्य समस्या को हल करने के बजाय, १२ १/२ एकड़ से ऊपर जमीन परती रखना और उसके बाद कलेक्टर द्वारा छः महीने की नोटिस देने पर कलेक्टर के पास उसका पहुंचना और कलेक्टर द्वारा उसको माफ कर देना यह क्या सुधार है? दुनिया में जहां भी सुधार होते हैं चीन में जो सुधार हुआ है, वहां भी जो खेती के साथ इस प्रकार का अनधिकार चेष्टा करते हैं उनको हर्जाना ही नहीं देना होता बल्कि उनको वोट भी देने का अधिकार नहीं है। हमारे यहां माननीय मंत्री जी ऐसे लोगों को अधिकार देना चाहते हैं, कि अगर तीन वर्ष तक किसी जमीन को परती रखते हो तब भी परती रखने के बाद कलेक्टर की इच्छा से अगर चार छः महीने के बाद फिर भी तुम चाहो तो उसको उठा दो यह प्रमाण-पत्र मिलता है उनकी देशद्रोहिता का क्योंकि खाद्य समस्या से खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति देशद्रोही से कम नहीं हो सकता।

इसी सदन में एक चर्चा चली थी मुझे समय तो याद नहीं है लेकिन याद है कि चर्चा चली थी और किसी माननीय सदस्य ने यह चर्चा की थी कि हमारे देश में अन्न को खतरा मूसे से है और वह बहुत अनाज नुकसान करते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी यह कहा था कि बाढ़ जब आती है तो मूस मर जाते हैं और बाढ़ से फायदा होता है। तो मूस कितना अन्न खा जाते हैं? सारे प्रान्त में लगभग ६ करोड़ मूस हैं ऐसा लोगों ने खोजबीन की है और अब सब हिसाब जोड़कर लगाया जाय तो कितना हिसाब खड़ा होगा यह तो मैं जल्दी में जोड़ नहीं सकता लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय वह इन देशद्रोहियों के द्वारा जितना नुकसान होता है उससे कम अवश्य है।

एक सदस्य--यह आंकड़े मूस के आपको कहां से मिले?

श्री रामेश्वरलाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूछा जा रहा है कि यह आंकड़े कहां से मिला? रामनन्दन जी मिश्र ने एक प्रस्ताव तका 'जमीन का बटवारा' नामक लिखी है उसमें कहीं से उन्होंने उद्धृत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आदमी साढ़े बारह एकड़ जमीन परती रखता है उसके लिये इस विधेयक में यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जो व्यक्ति जमीन परती रखता है और साढ़े बारह एकड़ तो बहुत है पांच एकड़ भी परती रखता है तो वह देशद्रोही है ऐसा इस विधेयक में आना चाहिये था। कम से कम मैं तो इसका खुला स्वागत करता क्योंकि हम अपने जिले में स्वयं बहुत बड़े भुक्तभोगी हैं। मैं माननीय मौर्य जी से कहना चाहता हूं। वे तो हमारे जिले में घूम चुके हैं और उन्होंने जो देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो अब देख लेंगे। हमारे जिले के कुन्डवा ग्राम में एक बाबू साहब हैं और दावे के साथ कहता हूं कि उनकी कम से कम ५०० एकड़ जमीन परती पड़ी है। दसियों बरस से पड़ी है। मैं परसों वहीं से आ रहा हूं देख कर मेरी आंखों में आंसू आ गये। जिस खेत में २० मन से ३० मन प्रति एकड़ पैदावार हो सकती है वह खेत बेकार पड़ा रहे, यह सोचने की बात है और मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे लोगों पर कलेक्टर साहब कारगर हो जायंगे कानून सख्ती से बरतने में।

इसी सदन में गन्ना विधेयक के सम्बन्ध में हमने एक प्रस्ताव पास किया कि जो भी मिल मालिक गन्ने की कीमत काश्तकारों को नहीं देता है तो एक निश्चित अवधि के बाद उससे वह कीमत लगान की तरह से वसूल होगी। उस वक्त मैंने इसका विरोध किया था। माननीय मंत्री महोदय बतायें कि आज तक क्या किसी मिल मालिक से किसान का बाकी पैसा लगान की तरह से वसूल हुआ है। नहीं हुआ है, जहां तक मेरे जिले की बात है मैं जानता हूं और मैं समझता हूं कि किसी भी मिल मालिक के खिलाफ ऐसी कार्यवाही कलेक्टर नहीं कर सकता इसलिये कि वह उनसे प्रभावित है और मेरे जिले का कलेक्टर तो बहुत ही प्रभावित है। तो यह कैसे संभव हो सकता है कि किसी एक बड़े आदमी की जमीन, क्योंकि वह आदमी जो साढ़े बारह एकड़ जमीन परती छोड़ रखता है निश्चय ही बड़ा आदमी होगा, कलेक्टर ले-ले और उसे भूमिहीनों में बांट दे। यह इस सरकार के रूल और रवैये के अनुसार विश्वसनीय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक, एक बड़े असमंजस का कानून है, कानून का रूप बहुत साफ होना चाहिये कि जिसमें हर एक आदमी अपनी शक्ल देख सके। मैं नहीं देखता कि इसमें ऐसा कहीं भी है। माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसमें एक तरफ तो साढ़े तीन एकड़ मिनिमम होल्डिंग रखा गया है और दूसरी तरह उनकी जमीन को भी छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने की कोशिश की गई है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें है कि अधिवासी सरकार द्वारा एक निश्चित तारीख तक १५ गुना जमा कर उसका सीरदार या भूमिधर हो सकता है, लेकिन यह तारीख, जो सरकार द्वारा निश्चित की गई है, यदि समाप्त हो जाय तो उसका अधिकार छिन जायगा। यह एक जुल्म है। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय की ओर इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह नहीं मालूम है कि

[श्री रामेश्वर लाल]

अपने देश में ऐसे लोग, बहुत हैं जिन लोगों के पास अनएकोनामिक होल्डिंग्स हैं और जो लोग आज भूखों मरते हैं, एक वक्त जिनके पास खानेको नहीं है और यही वजह है कि हमारे देश में और हमारे प्रान्त में और पूर्वी इलाकों में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी चीजों पर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं जिनको अगर दुनिया के लोग सुनें तो वे हमारे नाम पर थूक देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुबरहा की चर्चा यहां पर हुई है, किन्तु हमारे जिले में मरे हुए जानवर का मांस तक खाने वाले लोग हैं और ऐसे लोग अधिवासी अधिक हैं। ये लोग १०, १० और ५, ५ कट्ठा जोतते हैं और वह भी ऐसे नहीं हैं कि १० गुना १५ गुना दे सकें।

अध्यक्ष महोदय, जो गरीब हैं, वह जमीन भी पाते हैं तो अच्छी नहीं पाते। गरीब लोगों को जिन्होंने शिकमी पर खेत उठाया है उन्होंने कभी भी अच्छी जमीन नहीं दी है। अच्छी जमीन वह खुद जोतते हैं और खराब जमीन जिसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, जो ऊंचे लागत पर होती है, जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं होता है, ऊसर सी होती है, वही जमीन शिकमी पर बड़ों द्वारा उठाई जाती है। अच्छे-अच्छे टुकड़ों पर लोग खुद ही खेती करते हैं। तो ऐसे अलाभकर जोत जोतने वालों के लिये आप यह व्यवस्था कर रहे हैं। अगर निश्चित डेट खत्म हो गई तो फिर वह उसके भूमिधर या सीरदार नहीं हो सकते। यह तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक की एक बहुत बड़ी खामी है।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का जो इस सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है विरोध करता हूं। और मैं चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी के शब्दों में कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करके यदि उचित हो तो इसमें स्वयं संशोधन कर दें और तब यह सदन में आये तो फिर इस पर विचार किया जाय, यह मेरी उनसे आशा, है।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैंने कल माननीय माल मंत्री महोदय के भाषण को सुना और उससे मुझे जो कुछ मिल सका वह एक यह आशा मिली कि अधिवासियों के लिए आगे हम यह सोच रहे हैं कि उनको भूमिधर बना दिया जायगा और कोई न कोई रास्ता इसके लिए दो तीन दिन में निकाला जायगा। इससे मुझे कुछ आशा मिली। पर जहां जमीन के सम्बन्ध में एक पालिसी को स्वीकार करने का सवाल है उसमें मुझे एतराज है और मैं डिफर करता हूं। जहां अब तक भी बेदखली होती रही है और असामियों की नहीं, अधिवासियों की नहीं बल्कि सीरदार बहुत सारे हैं उनकी बेदखली होती रही है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह हालत देहातों के अन्दर आज हो गई है। मैंने तो यह देखा कि गरीब की कोई पूछ नहीं है, न उसके पास इतना धन है, कि वह बड़े से बड़े वकील कर सके, और वकील भी उसके मुकदमे की पैरवी ठीक से नहीं करते, मैंने यह भी देखा है, और न उसके पास ऐसा साधन ही है कि वह दूसरे जरियों से जैसे कि उच्च वर्ग के लोग हैं, या जो बड़े किसान आज कहे जाते हैं, एक तरीके से उनको जमींदार न कह करके बड़े किसान ही कहा जा सकता है लेकिन जमींदारों से कम उनसे गरीबों को कष्ट नहीं पहुंचता है, वही खतरा अब भी बना हुआ है जो पहले था उन गरीब किसानों के लिए, तो हम देखते हैं कि आज लाठियों के बल पर, या अदालतों के बल पर या अफसरान के बल पर, अब भी बेदखलियां हो तो रही हैं और कितनी ही बेदखलियां हुईं, उनका क्या हल हुआ। जब से जमींदारी उन्मूलन के लिए कमेटी बनी थी उस वक्त से लेकर अब तक कितने मुकदमे दाखिल हुए, और उनसे कितनी बेदखलियां हुईं, इसका अन्दाजा अगर लगाया जाय तो पता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगेगा कि कितनी बार सरकार ने उन बेदखलियों को रोका नहीं । देहातों के अन्दर किसानों में एक बेचैनी फैली और उस बेचैनी का नतीजा यह हुआ कि बेदखली सरकार को बन्द करनी पड़ी, कहीं पर बन्द की उसने, कहीं खोली । कभी बन्द करके फिर खोली । इस तरीके से जो गरीब किसान थे वह पिसते ही गये और आखिर में उसने ऐसा कर दिया कि वह खत्म हो हो गये । उनके खेतों का या उनकी होल्डिंग्स का तो कुछ पता ही नहीं है । न जाने कितने ही लोग इस तरह से अपने खेतों से अलग कर दिये गये । ऐसी अवस्था में वह तो रहा अलग चैप्टर । जो हुआ वह तो हुआ ही । उनका उलटा होना चाहिए था कि ऐसा न हो । लेकिन कोई स्पष्ट नीति नहीं थी । एकदम से बेदखली बन्द नहीं करना चाहते थे । बल्कि यह था कि अब खोल दिया कुछ दिन चला इसी तरह फिर बन्द कर दिया । इस तरीके से जमींदारों का पक्ष लेना था सरकार को । तो ऐसी अवस्था में वह किसान तो खत्म हो गया । आज भी अधिवासी और सीरदार जो हैं जो कि ऐसी पिछड़ी हुई जातियों के हैं कि जिनके पास न तो धन है और न वकील हैं । वकील भी उनके मुकदमों की पैरवी ठीक करते नहीं । आज हमारे एक माननीय सदस्य शुक्ल जी ने इस बात को स्वीकार ही कर लिया है जब कि मैं बार-बार कहता रहा हूं कि हमारे प्रदेश में जातीयता का इतना बोलबाला हो गया है कि कास्टिज्म और कम्यूनलिज्म पर हमारे प्रदेश में हर एक चीज तौली जाती है, नापी जाती है और उसी पर उसका फैसला होता है । जितने भी मुकदमात जमीन के सम्बन्ध में आते हैं उन सब मुकदमात के फैसले बग़ैर पहुंच के नहीं हो पाते हैं । मैंने तो यह देखा । सहारनपुर की मैं एक मिसाल देना चाहता हूं । वहां एक गांव है । इसमें कुछ जमीन डिस्ट्रीब्यूट की गई और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई ? उसमें हरिजनों को भी दी गई तथा अन्य लोगों को भी जमीन दी गई और इसके बाद कुछ जमीन चरागाह के लिये रख दी गई । जिस जमींदार को सब से ज्यादा जमीन दी गई थी उसने चरागाह वाली जमीन पर भी कब्जा कर लिया है और उसके ही पक्ष में एस० डी० ओ० साहब का फैसला भी हो गया है । इस तरह से हमारे यहां न्याय होता है जब कि जमीन का बटवारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा कर दिया गया था और चरागाह के लिये अलग जमीन दे दी गई थी तो उसकी भी परवाह न करके फेवरटिज्म किया जाता है । ऐसी अवस्था में और भी बहुत से लोग बेदखल हुये । इस तरह की उनके साथ बेइंसाफी होती है ।

एक बात और कह दूं कि २५० रुपये से ऊपर वाली मालगुजारी वालों को यह हक दे दिया गया है कि वह बेदखल करा सकते हैं तो न मालूम कितने आदमी बेदखल कर दिये गये हैं । खैर यह तो दूर की बात है ।

**श्री चरण सिंह**--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सा सेक्शन है जिसमें बेदखली का हक २५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी वालों को दिया गया है ।

**श्री जयपाल सिंह**--खैर मैं भूल गया हूं । इस तरीके से बेदखली का बोल बाला हमारे देश में रहता है । इससे गरीब किसानों को शान्ति नहीं मिल सकती है । मैं कहूंगा कि इस तरह से गरीब किसानों को शान्ति नहीं मिली और इकोनामी को खतरा पहुंचा और जो एक समाज गरीबों का है उनको खतरा पहुंचता रहा तो मैं समझता हूं कि हमारी लैंड मैनेजमेंट पालिसी ठीक नहीं है । मैं आपका ध्यान प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट की तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने सिफारिश की है कि एक लैंड मैनेजमेंट बाडी बनाई जाय और यह हो जाना चाहिये कि अमुक जमीन में इतनी पैदावार होगी और अगर कोई उतनी पैदावार नहीं करेगा तो वह बेदखल हो जायगा ।

**श्री अध्यक्ष**--माननीय सदस्य अभी भाषण और देना चाहेंगे ?

**श्री जयपाल सिंह**--जी हां।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

**कैलासचन्द्र भटनागर,**
**सचिव, विधान सभा,**
**उत्तर प्रदेश।**

लखनऊ,
१४ सितम्बर, १९५४।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३७ पर)

## परिशिष्ट

| क्रम-संख्या | पद | वेतन-क्रम रु० | महंगाई का भत्ता | यात्रा का भत्ता | दूसरी सुविधायें | कार्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | बोरिंग मैकेनिक | ७५–५–१२० | नियमानुसार | तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के हिसाब से । | कुछ नहीं | बोरिंग द्वारा कुओं की उन्नति का कार्य और छोटे नलकूपों का निर्माण । |
| २ | ट्यूबवेल टेकनीशियन | ७५–५–१२० | ,, | ,, | ,, | बड़े नलकूपों का निर्माण । |
| ३ | फिटर | ४५–२–६५–३–८० | ,, | चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के समान । | ,, | ट्रैक्टरों और गाड़ियों की मरम्मत । |
| ४ | हेड फिटर | ७५–५–१२० | ,, | तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के समान । | ,, | ,, |
| ५ | फिटर और एलेक्ट्रीशियन | ७५–५–१२० | ,, | ,, | ,, | वर्कशाप में कार्य करते हैं । |
| ६ | मेकेनिक (ड्रिलिंग) | ७५–५–१२० | ,, | ,, | ,, | रिंग मशीनों के सम्बन्ध में मेकेनिकल कार्य । |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २४५ पर)

## भवन तथा मार्ग शाखा सम्बन्धी अन्वेषण विभाग द्वारा किये गये अन्वेषणों का विवरण

भवन तथा मार्ग शाखा सम्बन्धी अन्वेषण विभाग ने निम्नलिखित विषयों पर अन्वेषण किये हैं :

(१) कच्चे मकानों की रक्षा के लिये उन पर जो मिट्टी का प्लास्टर लगाया जाता है उसमें कौन सी ऐसी वस्तु मिलाई जाय जिससे कि वह मिट्टी पानी में आसानी से न घुल सके और मिट्टी के लेप की आयु बढ़ जाये।

(२) कच्ची ईंटों के बनाने में ऐसी कौन सी वस्तु मिट्टी में मिलाई जाय कि जिससे पानी में आसानी से न घुल सके।

(३) भारतीय सीमेंट की परीक्षा।

(४) विच्यूमैन या कोलतार व पत्थर की आपस में अभिलाग सम्बन्धित जांच।

(५) नई ईंटों के भट्टों के लगाने के स्थान की मिट्टी की जांच करना अन्यथा प्रान्त की नाना प्रकार तथा विभिन्न स्थानों की मिट्टी की भौतिक व रासायनिक जांच व उनके पारस्परिक सम्बन्धित स्थितियों की जांच।

(६) अन्य प्रकार की कंक्रीट के गुणों की जांच करना।

(७) वह मिट्टी जो पानी के सम्पर्क में आकर फूलती है और सूखने पर सिकुड़ती है उसकी दृढ़ बनाने के प्रयोग।

(८) इसके उपरान्त अन्य और कार्यों पर भी जैसे खोखली ईंट, भिन्न-भिन्न प्रकार के प्लास्टर, कंक्रीट में बांस का प्रयोग इत्यादि पर भी अन्वेषण हो रहा है।

बरसात की नमी रोकने के सम्बन्ध में इस विभाग ने यह पता लगाया है कि कंकड़ या बजरी को फर्श के नीचे डालने से सीलन ऊपर सरलता से नहीं चढ़ती। यह भी जांच की जा रही है कि मोटे रेत में ऐसे कौन से अंश हैं जो नमी को रोक सकते हैं। अन्य पदार्थ जैसे ईंट की मिट्टी, सिंडर व महीन रेत पानी को नमी के रूप में ऊपर चढ़ने से नहीं रोकते। जो सीलन दीवारों में और अन्य कारणों से आ जाती है उस पर इस अन्वेषण विभाग में अभी कोई कार्य नहीं हुआ है।

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५१ पर)

### तारांकित प्रश्न संख्या ६४ का आलेख्य

अलीगढ़ जिले में आनरेरी, स्पेशल तथा बेंच मैजिस्ट्रेटों की योग्यता

| नाम | | शिक्षा योग्यता |
|---|---|---|
| १—श्री जयपाल सिंह | .. | बी० ए०, एल-एल० बी० |
| २—श्री महाराज सिंह जैन | .. | इंटर मीडियेट |
| ३—श्री नाहर सिंह | .. | बी० ए०, एल-एल० बी० |
| ४—श्री रामलाल जैन | .. | हाई स्कूल तक शिक्षा पाई, विशारद पास |
| ५—श्री बनवारी लाल मित्तल | .. | बी० ए०, एल-एल० बी० |
| ६—श्री निरंजन लाल | .. | बी० ए०, एल-एल० बी० |
| ७—श्री कृष्ण भगवान फुलर | .. | बी० ए०, एल-एल० बी० |
| ८—श्रीमती गायत्री देवी | .. | बी० ए० |
| ९—श्री निरंजन लाल मित्तल | .. | सीनियर कैम्ब्रिज |
| १०—श्री छेदा लाल जैन | .. | बी० ए०, एल० एल० बी० |
| ११—श्री याद राम गुप्ता | .. | इंटर मीडियेट |
| १२—श्री हरिश चन्द्र | .. | मैट्रिकुलेशन तक शिक्षा पाई |
| १३—श्री बृज मोहन लाल | .. | बी० एस-सी० |
| १४—श्री खजान सिंह | .. | इंटर तक शिक्षा पाई |
| १५—श्री मुन्शी लाल गोयल | .. | मैट्रिकुलेट। |

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १४७ एल० ए०—१९५४—८५०।